मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 58 | अंक : 6 | दिसम्बर, 2017 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹15

विजय दिवस
16 दिसम्बर

सत्यमेव जयते

प्रो. वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा
एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

आगे बढ़ता राजस्थान

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान निरन्तर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सर्वे में प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में देश में चौथा स्थान अर्जित किया है। यह हम सभी के लिए बड़ी उपलब्धि है साथ ही गौरव का विषय भी है। पारदर्शिता, तकनीक और सभी के एक टीमवर्क रूप में किए गए सकारात्मक प्रयासों से यह संभव हुआ है। इसके लिए सभी साथियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और साधुवाद!

किसान जिस प्रकार अपनी लहलहाती फसल देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को देखकर प्रसन्न होता है। मार्गशीर्ष के साथ ही सरदी की शुरूआत हो गई है, दिन छोटे व रातें बड़ी होने लगी हैं, स्वाभाविक है कि स्वाध्याय हेतु समय भी अधिक मिलने लगा है, सिर्फ आवश्यकता है समय का उचित प्रबन्धन किए जाने की। बाल्यावस्था खेलने, खाने और पढ़ने के लिए जानी जाती है, यह मौसम इन सभी गतिविधियों के लिए उचित है। पढ़ाई के साथ-साथ हमारे लिए स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। खाने-पीने और खेलने को भी हमारे दैनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।

दिसम्बर माह में विद्यार्थियों की अर्द्ध वार्षिक परीक्षा भी है। हमारी तरफ से परीक्षाओं की तैयारी पूरी होगी, फिर भी बालमन परीक्षा को बोझ नहीं माने, रटने रटाने की प्रवृत्ति ना हो, बड़े ही सहज लेकिन गम्भीरता के साथ परीक्षा संचालित हों। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में शिक्षा की गुणवत्ता की समझ प्रत्येक विद्यार्थी के मन में हो, यह हम आवश्यक रूप से समझें। अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के बाद आगामी शीतकालीन अवकाश के लिए भी बालकों को नियोजित तरीके से अध्ययन हेतु प्रेरित करते हुए उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

दिसम्बर में ही तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ईसामसीह, पं. मदनमोहन मालवीय और गुरु गोविन्दसिंह जयन्ती भी है। महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारा पाथेय बने और हम सतत राष्ट्रधर्म का पालन करें।

(प्रो. वासुदेव देवनानी)

"शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान निरन्तर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सर्वे में प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में देश में चौथा स्थान अर्जित किया है। यह हम सभी के लिए बड़ी उपलब्धि है साथ ही गौरव का विषय भी है।"

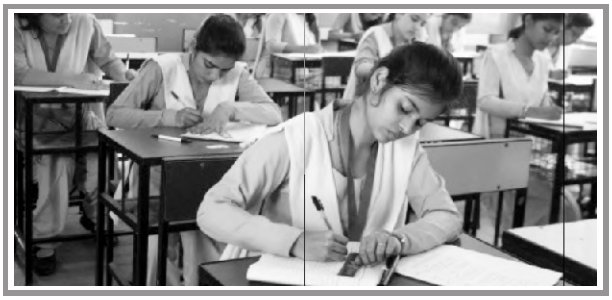

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।

In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 58 | अंक : 6 | मार्गशीर्ष–पौष २०७४ | दिसम्बर, 2017

प्रधान सम्पादक
नथमल डिडेल

वरिष्ठ सम्पादक
जयपाल सिंह राठी

सम्पादक
गोमाराम जीनगर
मुकेश व्यास

सह सम्पादक
सीताराम गोदारा

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ **15**

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर–334 011
दूरभाष : 0151–2528875
फैक्स : 0151–2201861
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **–वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- उत्कर्ष पर शिक्षा सत्र

आलेख

- नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः सामयिक चिंतन 8
  सुभाष माचरा
- शिक्षा में अभिभावकों की सहभागिता 10
  शशिकान्त द्विवेदी 'आमेटा'
- विजय दिवस 11
  संकलन : **गोमाराम जीनगर**
- महामना मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन 12
  विजय सिंह माली
- बड़ों की सीख 13
  संकलन : **सीताराम गोदारा**
- लोह पुरुष सरदार पटेल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 14
  स्नेहलता
- रुचिपूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा के लिए एक नवाचार : प्रायोजना कार्य 16
  डॉ. राधाकिशन सोनी
- कैसे लाएँ शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम 17
  अनिल बोड़ा
- अंग्रेजी विषय में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम कैसे 18
  रूपनारायण काबरा
- पोर्टफोलियो : शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का दर्पण 19
  धर्मेश कुमार जैन
- एक सेवा मुक्ति ऐसी भी 20
  नईम अहमद
- अन्तिम उद्देश्य–सच्चा और अच्छा इन्सान 33
  प्रकाश वया
- बाँसवाड़ा : शिक्षा की 'अलख' 35
  भारत दोसी
- असफलता भी वरदान है। 36
  डॉ. जमनालाल बायती
- दृढ़ संकल्प का महत्त्व 38
  राम चरन लाल
- अक्षय–पेटिका 39
  उषारानी स्वामी
- राजस्थान प्रशासनिक सेवा 40
  जयपाल सिंह राठी
- प्राचीन भारत में गणित विज्ञान की उपलब्धियाँ 42
  डॉ. श्याम मनोहर व्यास

मासिक गीत

- मनुष्य तू बड़ा महान् है, भूल मत! 9
  संकलनकर्त्ता : **डॉ. शैलेन्द्र कुमार पारीक**

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4
- आदेश–परिपत्र 21
- विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 32
- शिविरा पञ्चाङ्ग (दिसम्बर, 2017) 32
- शाला प्रांगण से 47
- चतुर्दिक समाचार 49
- हमारे भामाशाह 50
- व्यंग्य चित्र–**रामबाबू माथुर** 34, 39

पुस्तक समीक्षा 44–46

- परवाना : लेखक–वेदप्रकाश शर्मा 'वेद'
  समीक्षक–**सुभाष चन्द्र महलावत**
- सुमन सतसई : लेखक–उदयकरण 'सुमन'
  समीक्षक–**डॉ. ज्ञान प्रकाश 'पीयूष'**
- बर्निंग ट्रूथ : लेखक–अबीरचन्द व्यास
  समीक्षक–**हरीश बी. शर्मा**

मुख्य आवरण :

नारायणदास जीनगर, बीकानेर, मो. 9414142641

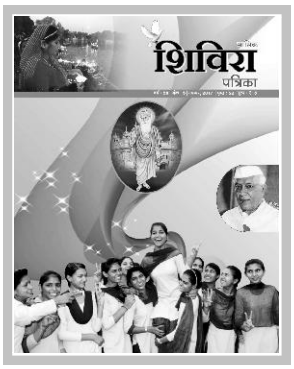

शिविरा पत्रिका में दो आलेखों के समापन और आरम्भ से पहिले रिक्त स्थानों पर उपयोगी जानकारी प्रकाशित करना एक सहज प्रक्रिया है। शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और व्यायाम को दृष्टिगत रखते हुए माह-नवम्बर 2017 की शिविरा पत्रिका के पृष्ठ संख्या 32 पर 'स्वस्थ रहने के सरल उपाय' (मूल स्रोत : स्वस्थ रहने के सरल उपाय, संकलन-ब्रह्मवर्चस, शान्तिकुंज हरिद्वार। श्रीवेदमाता गायत्री ट्रस्ट (TMD) गायत्री तीर्थ, शान्तिकुंज हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा प्रकाशित पुनरावृत्ति सन् 2013 मूल्य 06/- पृष्ठ 24) जानकारी साभार प्रकाशित की गई। यह प्रधान सम्पादक द्वारा लिखा गया आलेख नहीं था, न आदेश, न ही निर्देश। राज्य सरकार शिक्षा विभाग सदैव बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में पुरूषों से भी आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व कर सम्पूर्ण समाज को नई दिशा दी है। सम्पादक मण्डल बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सर्वोच्च भाव रखता है और किसी भी प्रकार की लैंगिक असमानता से कोई सरोकार नहीं रखता। 'स्वस्थ रहने के सरल उपाय' साभार प्रकाशित सहज जानकारी मात्र है उसका उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, फिर भी हुई असहजता के लिए भविष्य में अतिरिक्त सावधानी रखी जाएगी। **-वरिष्ठ संपादक**

पाठकों की बात

- माह नवम्बर, 2017 का अंक आकर्षक मुखपृष्ठ सहित प्राप्त हुआ। शिविरा के सभी लेख पठनीय है। 'जीवन की रणभूमि का संगीत-गीता' लेख निराश और पलायनवादी व्यक्ति के लिए संजीवनी है। गीता मनुष्य को आत्म बोध कराती है। जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालती हुई कर्म की ओर प्रेरित करती है। 'शिक्षक का मूल्यांकन' लेख यही दर्शाता है कि एक शिक्षक का मूल्यांकन एक विद्यार्थी से अधिक और कोई नहीं कर सकता। 'समय प्रबंधन' लेख हमें जीवन का सही रूप में उपयोग सिखाता है।

  -महेन्द्र कुमार शर्मा, नसीराबाद, अजमेर

- शिविरा अंक नवम्बर, 2017 'स्वस्थ रहने के सरल उपाय' आलेख में स्वास्थ्य के सरल उपाय सुझाए गए हैं। ये आदेश नहीं मात्र सुझाव है। न ही राज्य के शिक्षा विभाग के निर्देश है, न ही शिक्षा विभाग या शिविरा पत्रिका की नीति है। सुझाव बाध्यकारी नहीं होते। किसी के रास आएँ तो अपनावें वरना न अपनावें। आदेश, नियम, निर्देश बाध्यकारी होते हैं। उन्हें मानना ही पड़ता है। आदेश-निर्देश से ही नीति निर्माण होता है, यह भारी अन्तर है सुझाव व आदेश में। किन्तु इस प्रसंग को न समझकर कुछेक क्षेत्रों से बात का बतंगड़ बनाया गया। यह प्रसंग को न समझने का दुष्परिणाम है। शिविरा तो पूर्णतः शैक्षिक पत्रिका है। इसकी नीति मंशा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' रही है और रहेगी। गार्गी पुरस्कार व छात्राओं की सहूलियत के लिए निःशुल्क साइकिलें उपलब्ध कराना व अन्य छात्रवृत्तियाँ व सुविधाएँ मुहैया कराना इसकी नीति-रीति रही है। अभी हाल ही में बाँसवाड़ा जिले की बागीडोरा की एक प्रतिभाशाली छात्रा को राज्य के शिक्षा विभाग ने अमेरिका भेजा है वहाँ वह छात्रा अन्तरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करेगी। छात्राओं का, महिलाओं का सही आयामों में उत्थान हो, वे आगे बढ़ें। शीर्ष पदों पर पदारूढ़ हो यह दिशा शिक्षा विभाग की व शिविरा की है। फिर बिना प्रसंगों को जाने झूठा शोर मचाना कहाँ तक उचित है।

  स्वस्थ रहने के लिए पैदल चलना, तेज चलना, तैरना-घूमना, फिरना, दौड़ना साइकिल चलाना कारगर उपाय है तो क्या इस वैज्ञानिक युग में जब बाइक, मोटर, कार आदि यातायात के अनेकानेक साधन उपलब्ध हैं, ये सुझाव दकियानूसी विचार हैं, पिछड़े विचार हैं पहले के युग के विचार हैं? यह तो नासमझ लोगों की ही सूझ हो सकती है। क्या यह न्यायोचित है कि पैदल चलने को हम कंजूसी व दकियानूसी का पर्याय माने। यह आलेख स्वास्थ्य संबंधी है, न कि नीति निर्देशात्मक या बाध्यकारी। सुझावों पर हो हल्ला मचाना औचित्य की सीमा-उल्लंघन है।

  कृपया विरोध के लिए विरोध न करें। प्रसंग प्रकरण देखें तभी किसी को आरोपित करें। मात्र शब्दों के पीछे न जाएँ। शब्द अपने आप में कुछ नहीं, उसमें छिपे भावों को ग्रहण करें। प्रसंग निरपेक्ष न देखें शब्दों को।

  भला रस्सी कूदना, घर के कामकाज करना जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, क्या ऐसे सुझाव देना अपराध है? इसको एक वर्ग के लिए दकियानूसी विचार कैसे कहेंगे। रास नहीं आती है तो मत अपनाएँ पर इन्हें नीति-रीति या निर्देश आदेश तो न

▼ चिन्तन

वृतं यत्नेन संरक्षैत्
वित्तमायाति याति च।
अक्षीणो वित्ततः क्षीणः
वृत्तस्तु हतो हतः।।

अर्थात् प्रयत्नपूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आएगा, जाएगा। सच्चरित्र व्यक्ति धन से दुर्बल होने पर भी दरिद्र नहीं होता। धन रहकर भी चरित्र नहीं है तो व्यक्ति मृत प्राय है।

कहें। यह कहना कि 'शिविरा' पत्रिका महिला वर्ग की घोर विरोधी है, अत्यंत पीड़ादायक है। कृपया इस विनम्र निवेदन को स्वीकार कर बात का बवाल न बनाएँ।

टेकचन्द्र शर्मा, झुंझुनूं

- शिविरा पत्रिका नवम्बर, 2017 के अंक के 'दिशाकल्प' में श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा साहित्यिक भाषा में जिस प्रकार गुरुत्तर दायित्व का बोध कराया है वह स्तुत्य है। समय पर ऑफिस या विद्यालय पहुँचने की सतत लगन और निष्ठा देश हित में अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसकी पालना हर भारतीय नागरिक नहीं कर पा रहा है। इससे राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्व का बोध न होना प्रकट होता है। डॉ. राजेन्द्र श्रीमाली, ब्रिगेडियर करणसिंह चौहान एवं कृष्णा कुमारी के आलेख ने बाल दिवस के महत्त्व को प्रस्तुत कर दिया है। श्री टेकचन्द्र शर्मा ने 'बस्ते का बोझ' आलेख में बालमन की सहज अनुभूति का स्पर्श कराकर शिक्षा के पाठ्यक्रम में बढ़ती पुस्तकों की ओर शिक्षाविदों का ध्यान खींचने का सराहनीय कार्य किया है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उठाए गए प्रशंसनीय प्रश्न का उत्तर हमें सकारात्मक मिले, तो अधिक श्रेष्ठ है। श्री रामजीलाल घोड़ेला, श्री सतीशचन्द श्रीमाली तथा सारस्वत जी की समीक्षा सारगर्भित लगी। 'राष्ट्रपिता के पंचम नन्दनः राजस्थान के चन्दन' आलेख में शोधात्मक सामग्री प्राप्त हुई। नई जानकारी मिली। एतदर्थ लेखक 'अभिलाषी' बधाई के पात्र हैं।

–के.के. गुप्ता, भरतपुर

- माह नवम्बर, 2017 की शिविरा पत्रिका में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने व सहायक कार्यों की श्रेणी में महिलाओं द्वारा झाड़ू पौंछा करना व चक्की पीसने का परामर्श दिया गया है। यह सर्वथा उचित, विज्ञान व आयुर्वेद सम्मत है। शारीरिक श्रम से न केवल शरीर का लचीलापन बना रहता है वरन माँसपेशियाँ भी सुदृढ़ व सुडौल बनती हैं। मैं मेरे स्वयं के पारिवारिक व गृहस्थ जीवन के अनुभव के आधार पर इसे उचित मानता हूँ। मेरी श्रीमती जी जब प्रथम बार गर्भवती हुई तो महिला चिकित्सकों ने उन्हें झाड़ू पौंछा करने तथा चक्की चलाने की सलाह दी ताकि सामान्य प्रसव (Normal Delivery) हो सके। पूरे गर्भावस्था काल में श्रीमती जी ने नियमित रूप से घर का झाड़ू पौंछा किया तथा चक्की पर भी आटा पिसाई का कार्य किया। प्रभु की असीम कृपा से न केवल प्रथम प्रसव बल्कि आगे भी सामान्य प्रसव (Normal Delivery) हुए। ये कार्य न केवल मानसिक संतुष्टि कारक वरन अपने स्वयं के द्वारा किए जाने के कारण गुणवत्तापूर्ण भी होते हैं। बाजार से खरीदे गए आटे की गुणवत्ता की कहीं भी गारंटी नहीं होती है।

–लखनपाल सिंह, भरतपुर

- शिविरा पत्रिका नवम्बर, 2017 के अंक में छपे आलेखों का संयोजन बहुत ही शानदार एवं हर आलेख सकारात्मक सोच के साथ ज्ञानवर्धक भी है जिसमें विशेष तौर से आगामी माह में दस्तक दे रही अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर कुछेक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक यह सोच रखते हैं कि उनका बेटा-बेटी उक्त परीक्षा में और अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, को लेकर शायद अवसाद में होंगे लेकिन वे यदि इस अंक में छपे 'परीक्षा में अधिकतम अंक पाना-एक तकनीक' परीक्षा से पहले पढ़ लेंगे तो निश्चित ही वे असाधारण लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँगे। अभी एक राष्ट्रीय सर्वे के दौरान सामने आया है कि महिलाएँ (गृहिणियाँ) अपने बच्चों के अध्ययन को लेकर ज्यादा चिंतित रहती है वे देखा-देखी में अपना सबकुछ दाँव पर लगा देती है इसके चक्कर में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। अध्ययन तो उस पुराने जमाने में भी होता था लोग अव्वल भी आते थे लेकिन महिलाएँ सुबह जल्दी उठती थी, गायें दूहती थी, गोबर उठाती थी एवं अपनी नई-नवेली बहुओं को साथ लेकर घर की घट्टी में गेंहूँ पीसती थी, बिलौना बिलोती थी, घरों से दूर जाकर कुओं से सिर पर घड़ा भरकर पानी भी लाती थी एवं दैनिक दिनचर्या के साथ खेती-बाड़ी में पुरुषों का हाथ भी बँटाती थी। उस समय उनके लिए ये ही सबसे अच्छे व्यायाम हुआ करते थे एवं वो निरंतर स्वस्थ रहती थी लेकिन आज के इस आधुनिकता के दौर में सब कुछ सिमट कर रह गया है, वर्तमान के आपा-धापी एवं प्रतिस्पर्धा के दौर में ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छे स्वास्थ्य को कहीं गिरवी रख दिया हो।

–टी. आर. उपाध्याय, बीकानेर

- समाचार पत्र में यह समाचार पढ़कर कि 'शिविरा' में महिलाओं के अपमान का लेख छपा है, अपने शिक्षक पति से लेकर मैंने इसे पढ़ा। मैं महिला संगठन का कार्य करती हूँ अतः मेरी रुचि ऐसे विषयों में रहती है। मूल लेख पढ़कर मुझे लगा कि समाचार पत्र में यह प्रतिक्रिया या तो तथाकथित किसी आधुनिका ने दी है जो पैसे देकर जिम में खड़ी साइकिल के पैडल घुमाने को व्यायाम मानती है और साइकिल पर बैठकर बाजार से सब्जी लाने जैसे काम को पिछड़ापन मानती है। यदि यह प्रतिक्रिया किसी पुरुष ने दी है तो उसकी नजर में झाड़ू लगाना, रोटी बनाना, चक्की चलाना छोटा काम है, भले ही उसके घर में झाड़ू-पौंछा के लिए 'बाई' आती होगी, कोई 'भाई' नहीं। उसकी दृष्टि में यदि महिला द्वारा घर के काम करना अपमान का सूचक है तो उसने मेरी जैसी लाखों गृहणियों का अपमान किया है। बाबा रामदेव के शिविर में चक्की चलाने का योग कर लेंगे और घर में आटा बनाने के लिए घट्टी चलाना पिछड़ापन? लेकिन मैंने तो इसी पिछड़ेपन के कारण सभी प्रसव बिना सीजेरियन किए हैं, क्योंकि चिकित्सक ने मुझे इसी व्यायाम की सलाह दी थी।

–सुशील कंवर, अजमेर

- 'शिविरा' पत्रिका राजस्थान शिक्षा विभाग की एक महत्त्वपूर्ण पत्रिका है जिसे 58 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। मैं सन् 1985 से इस पत्रिका के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में रहा हूँ। मेरी कई रचनाएँ व कई पुस्तकों की समीक्षाएँ भी छप चुकी है। शिविरा का नवम्बर माह का अंक अन्य अंकों की अपेक्षा अधिक सुन्दर व स्तरीय रचनाओं के साथ नए कलेवर में पाठकों के सामने आया। वैसे नियमित स्तंभ तो थे ही साथ में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, भी प्रकाशित कर शिविरा ने पाठकों पर उपकार किया है। नवम्बर 2017 के अंक के पृष्ठ 32 पर 'स्वस्थ रहने के सरल उपाय' में 14 बिन्दुओं पर सारगर्भित चर्चा की गई है। इनमें से कोई बिन्दु ऐसा नहीं है जो विवाद का कारण बने। पिछले कई दिनों से जो विषय चर्चा का कारण बना हुआ है, वह है बिन्दु-3 में 'स्त्रियाँ चक्की पीसना, बिलौना बिलोना, रस्सी कूदना,..... आदि घर के कामों में भी अच्छा व्यायाम कर सकती हैं।' शहरों में तो चक्की पीसना संभव ही नहीं रहा, परन्तु किसी को चक्की पीसना की बात नहीं जची तो कौन सी बाध्यता है। इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। अफसोस यह है कि शिविरा 58 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रही है, नई शिक्षण विधियाँ, शिक्षकों के

दायित्व, राष्ट्र के नागरिकों को चरित्रवान बनाने में जो भूमिका 'शिविरा' ने निभाई है उसे मीडिया ने उजागर क्यों नहीं किया? कभी किसी मंच पर शिविरा के सकारात्मक गुणों की चर्चा क्यों नहीं हुई, शिविरा के योगदान की चर्चा क्यों नहीं हुई! आज अचानक यह क्या हो गया कि अच्छी जानकारी को विवाद का विषय बना दिया गया। शिविरा एक ऐसी पत्रिका है जिसमें नई जानकारियाँ देने, शिक्षा में सुधार, विद्यार्थियों को नई तकनीक सिखाने की जानकारी, विश्व और राष्ट्र के महापुरुषों, नवीन खोजों, शिक्षण विधियों, नए प्रयोग, शिक्षा विभाग के आदेश व साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण पत्रिका मानी जा सकती है। शायद पूरे भारत में 'शिविरा' जैसी नियमित पत्रिका सरकारी स्तर पर नहीं मिलेगी। शिक्षकों में रचनात्मकता पैदा करने व साहित्यिक ललक पैदा करने में यह पत्रिका अनुकरणीय है जो प्रतीकात्मक मूल्य पर शिक्षक समुदाय को भेजी जाती है। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में यह पत्रिका विभाग, शिक्षक तथा संस्थाप्रधान के बीच सेतू का कार्य करती है। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री स्तरीय व जानकारीप्रद होती है। यह शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु स्तरीय पत्रिका है जिसे हर शिक्षक व पाठक को पढ़ना चाहिए।

रामजीलाल घोड़ेला, लूणकरणसर

- आजकल कुछ लोग महिलाओं के घरेलू श्रम को महिलाओं पर अत्याचार और उनका शोषण मानते हैं लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है। आजकल महिलाओं में मोटापा और स्त्रियों की कुछ विशेष बीमारियाँ पाई जाती है उसका कारण घरेलू श्रम न करना ही है। पहले सिजेरियन प्रसव नहीं होते थे क्योंकि स्त्रियाँ चक्की पीसती थीं। रामदेव जी ने तो एक काल्पनिक चक्की चलाने का योगासन ही ईजाद कर रखा है। ऐसे में काल्पनिक चक्की चलाने की बजाय क्यों न वास्तविक चक्की चलाई जाए जिससे घर का पिसा ताजा आटा मिले और श्रम भी सार्थक हो। जिम में जाकर कोई ऐसी साइकिल चलाए जो कहीं नहीं पहुँचती हो, उसकी बजाय तो यह बेहतर होगा कि व्यक्ति साइकिल से ऑफिस या बाजार जाए। ट्रेड मिल पर चलने की बजाय सुबह खुद दूध लेने आधा-एक किलोमीटर चलकर जाएं। व्यायाम का व्यायाम और दूध भी शुद्ध मिलेगा। हम अपने शारीरिक श्रम को जितना काम से जोड़कर सार्थक बनाएँगे उतना हमें जीवन का आनंद मिलेगा। गाँधी जी जब लन्दन में पढ़ते थे तो अपने स्कूल पैदल जाया करते थे। इससे किराये की बचत होती थी और उन्हें व्यायाम के लिए किसी जिम में जाकर अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ता था। इस प्रकार पैदल चलने के कारण गाँधी जी स्वस्थ रहे और वे 125 वर्ष जीने का विश्वास रखते थे। मुझे यह बताते हुए कोई संकोच नहीं है कि मेरे घर पर हाथ से चलाई जाने वाली चक्की है और जब भी समय मिलता है, मैं दलिया, बेसन घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। अच्छा स्वाद और खुशी दोनों मिलते हैं। इसी तरह की सार्थक और श्रम का महत्व बताने वाली सामग्री छापा करें जिससे महिलाओं ही नहीं, बच्चों को भी श्रम करने की प्रेरणा मिले।

भारती मिश्र, सीकर

- शिविरा पत्रिका का अंक नवम्बर 2017 अपने नए कलेवर व आकर्षण के साथ प्राप्त हुआ। शिविरा के इस अंक में बाल मन को छूने व बाल साहित्य सम्बन्धी आलेख देखकर अच्छा लगा। शिविरा में बाल साहित्य विषयक रोचक सामग्री यथा बालगीत, बाल कहानियों का प्रकाशन किया जाए तो और भी अधिक प्रभावी रहेगा। इस बार शिविरा में 'स्वस्थ रहने के सरल उपाय' भी सुझाए गए जो हमें स्वस्थ रखने में निश्चित ही कारगर होंगे। वर्तमान में भौतिक सुख-सुविधाओं के कारण शारीरिक श्रम करने के प्रति जन सामान्य की लापरवाही बढ़ती जा रही है। कृषि में यान्त्रिकता बढ़ने से व घरेलू कार्यों में (यथा-बिलौना, दुग्ध दोहन, वस्त्र प्रक्षालन आदि) भी यान्त्रिकता के प्रयोग के कारण परिश्रम से होने वाले लाभ (व्यायाम) से वंचित हो रहे हैं। 'स्वस्थ रहने के सरल उपाय' में शारीरिक व्यायाम व खान-पान के प्रति जागरूकता लाने का आपने जो प्रयास किया है इसके लिए सम्पादक मंडल धन्यवाद का पात्र है। भविष्य में भी इस प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देते रहें ताकि अपना 'स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत' बन सके।

-डॉ. शिवराज भारतीय, नोहर

- 'शिविरा' नवम्बर, 17 के अंक में प्रकाशित 'स्वस्थ रहने के सरल उपाय' के संबंध में समाचार-पत्र में प्रकाशित आलोचनात्मक टिप्पणी व मूल सामग्री लेकर मैं स्वयं आठ वैद्य एवं चिकित्सकों से मिला, चार पाँच गृहिणियों से भी बात की। सबका यही कहना था कि घर के काम, साफ-सफाई, चक्की पीसना आदि हमारी सांस्कृतिक परम्परा का अंग रहा है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण माना गया है। स्वस्थ रहने अथवा मोटापा कम करने के उपचार के अंतर्गत आज भी आयुर्वेद में ऐसा ही सुझाव दिया जाता है। सबने ही इस बात का भरपूर समर्थन किया और अफसोस जताया कि आटा घर में ही पीसना तो आज स्वप्न जैसा हो गया। घट्टियाँ घरों से गायब हो गई। आटा पिसवाने जाने की परेशानी से बचने के लिए आटा थैली ही काम में ली जाती है जिसकी शुद्धता संदिग्ध है। अन्य गृहिणियों ने भी इस बात को सराहते हुए न अपना सकने की मजबूरी भी बताई। तब चारों तरफ आलोचना का क्या अर्थ होगा? चारों में से किसी एक तरफ का ख्याल आया और वह है मीडिया का आलोचनात्मक दृष्टिकोण। स्वस्थ रहने के 14 उपाय बताए गए हैं जिन पर सिद्धांततः सहमत होते हुए भी आलोचकों को इसमें लैंगिक भेदभाव नजर आता है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण भी उल्लेखनीय है। भरतपुर के एक एलोपैथी के डॉक्टर ने मानसिक अवस्था के रोगी को प्रिस्क्रिप्सन में दवाइयों के साथ अन्य उपाय सुझाए तो हो गई- चारों तरफ आलोचना।

वाट्सअप, फेसबुक, मैसेज पर मैसेज, परची की फोटो सहित कि आज के इस वैज्ञानिक, प्रगतिशील युग में यह डॉक्टर ऐसे उपाय सुझाता है। डॉक्टर मीडिया को साक्षात्कार दे देकर परेशान। ऐसे में मनस्विद, मनोचिकित्सक आगे आए और बताया कि हर धर्म में कुछ ऐसी क्रियाएँ होती है जो चिकित्सा विज्ञान की बहुत मदद करती हैं। दवाई के साथ यह रोगी आस्थापूर्वक गाएगा, ताली बजाएगा, हलचल करेगा तो निश्चित ही वह जल्दी ठीक हो जाएगा। आलोचक सकपका गए। मीडिया की बोलती बंद।

ठीक वैसे ही व्यायाम, रस्सी, कूदना, घर के काम करना, जिसमें चक्की पीसना भी शामिल है, किए जाए तो मोटापा व कमर दर्द में बड़ी राहत मिलती है। इसमें संदेह नहीं है। इसकी आलोचना करने वाला पूर्वाग्रहयुक्त ही है। घर का काम काज, चक्की आदि न पीसना मजबूरी है। कालातीत हो चुका है यह काम, लेकिन बात तो सर्वसम्मत है। अतः हमें घर के काम काज में लैंगिक भेद नजर आना निस्संदेह अनुचित है।

-सत्यनारायण शर्मा, बीकानेर

सत्यमेव जयते

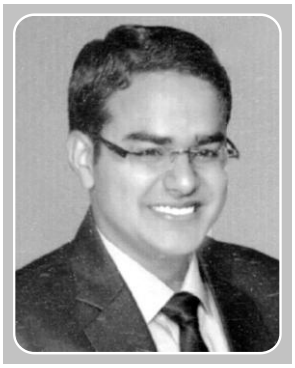

नथमल डिडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

उत्कर्ष पर शिक्षा सत्र

शिक्षा सत्र 2017-18 अपने उत्कर्ष पर है। विभाग नवाचारों और कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से सतत आन्तरिक ऊर्जा का अनुभव कर रहा है।

बोर्ड परीक्षा परिणामों की श्रेष्ठता से राजकीय विद्यालयों में सत्रारम्भ से ही प्रभावी नामांकन वृद्धि हुई। विषय अध्यापकों, व्याख्याताओं और संस्थाप्रधानों के लगभग सभी रिक्त पदों पर डीपीसी. पश्चात् काउंसलिंग के पारदर्शी कार्यक्रम से पदस्थापन होने के फलस्वरूप विद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण बना।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर SIQE कार्यक्रम तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सही अर्थो में आदर्श और उत्कृष्ट बनाने के ठोस प्रयास हुए। समस्त विद्यालयों के समुचित पर्यवेक्षण, पारस्परिक समन्वयन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के रूप में नवीन पदेन दायित्व दिया गया।

'मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना' के अन्तर्गत विद्यालय विकास हेतु प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80(जी) के तहत आयकर से छूट के लिए विद्यालयों द्वारा आयकर विभाग में पंजीयन की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

विद्यालय विकास में सक्रिय सहयोग हेतु भामाशाहों के लिए 'मुख्यमंत्री विद्यादान कोष' की स्थापना और कार्पोरेट जगत को विद्यालयों के विकास से जोड़ने के लिए CSR प्रकोष्ठ का गठन किया गया। विद्यालय की आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति हेतु 'अक्षय पेटिका' योजना क्राउड फंडिंग के नियोजन के लिए प्रभावी रही।

विद्यालय के शैक्षिक और भौतिक विकास की निरन्तरता के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने हेतु 'विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच' के माध्यम से 'सखा संगम' कार्यक्रम की सार्थक शुरूआत हुई।

पहली बार 18 नवम्बर 2017 को राजकीय विद्यालयों में 'माँ शिक्षक बैठक' का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों की माँ, 80 वर्ष और उससे भी अधिक वय की दादी/नानी (महिला अभिभावक) के शाला प्रांगण में आने से, अपने बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी लेने से और शाला को दिए गए आर्थिक, सामाजिक सहयोग से बने आत्मीय वातावरण ने बच्चों में नई ऊर्जा का संचार किया। शिक्षक और संस्थाप्रधानों को अतिरिक्त सम्बल मिला। अभिभावकों और भामाशाहों का राजकीय विद्यालयों के प्रति अपनत्व शुभ लक्षण है।

वर्तमान शिक्षा सत्र में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण है। विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा भी इसी माह में है, अब तक उनके द्वारा किए गए अध्ययन के आकलन और प्राप्त परिणामों से वे अपनी कमियों को सुधारते हुए वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार होंगे ताकि सम्पूर्ण परिणाम उत्कृष्ट बन सके।

सभी अपने दायित्व का निर्वहन श्रेष्ठतम रूप में करते रहें।

आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ –

(नथमल डिडेल)

"शिक्षा सत्र 2017-18 अपने उत्कर्ष पर है। विभाग नवाचारों और कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से सतत आंतरिक ऊर्जा का अनुभव कर रहा है।"

निर्माण के मुहाने पर

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति : सामयिक चिन्तन

❐ सुभाष माचरा

शब के अंधेरों को खंगालो, तो कोई बात बने, इक नया खुर्शीद निकालो, तो कोई बात बने। वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, लेकिन वक्त को अपने सांचे में ढालो , तो कोई बात बने ।।

परिवर्तन विकास की सीढ़ी का पहला पायदान है। इस अर्थ में समाज और राष्ट्र के समग्र विकास हेतु शिक्षा प्रणाली में नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव जरूरी है। दरअसल शिक्षा सम्पूर्ण जीवन की तैयारी है। बदलते वक्त के साथ-साथ शिक्षा की वह प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, जो शिक्षार्थी को केन्द्र में रखकर उसमें अन्तर्निहित शक्तियों को बाहर लाकर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर दृढ़ इच्छाशक्ति, दूर-दृष्टि और भौतिक एवं मानवीय संसाधन की सुविधाएँ जुटाने की आवश्यकता होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है, लिहाजा यह भी आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली को समय के अनुकूल विकासात्मक, गतिशील एवं सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने एवं उसका व्यावसायिक उन्नयन करने हेतु हम एक ऐसी प्रणाली विकसित करें, जिसका कि दुनिया के दूसरे विकसित एवं विकासशील देश भी अनुसरण कर सकें।

समूची शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की इसी तड़फ की राष्ट्रीय आकांक्षा के चलते ही पहले 1976 में शिक्षा के उत्तरदायित्व को संविधान संशोधन कर समवर्ती सूची में लाया गया। तत्पश्चात् वर्ष 1986 में दीर्घ चिन्तन के पश्चात् शिक्षा पर पूरे देश की एक राष्ट्रीय नीति बनी, जिसमें सिफारिश की गई कि पूरे देश की स्कूली पाठ्यचर्या के मूल में एक सर्वमान्य तत्व (COMMON CORE) हो। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.P.E.)-1986' के अनुवर्तन में 'कार्य योजना (Programme of Action)-1992', 'शिक्षा बिना बोझ के (Learning without Burden)-1993', 'विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (N.C.F.S.E.)-2000' के रूप में विविध उपयोगी दस्तावेज सामने आए, परन्तु सुदीर्घ चिन्तन एवं विस्तृत शोध के पश्चात् सम्पूर्ण देश में शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था में समग्र एवं सामयिक बदलाव की छटपटाहट को समुचित स्वरूप में दर्शाने वाला दस्तावेज 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (N.C.F.)-2005' एक मील के पत्थर के रूप में स्थापित हुआ है। इस दस्तावेज ने बारम्बार 'बच्चों पर पाठ्यचर्या के बोझ' का सवाल उठाते हुए मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की इस प्रवृत्ति को सिरे से खारिज करने की सलाह दी है, जो समझ के बदले थोड़े वक्त के लिए काम आने वाली जानकारी के अम्बार यानि सूचनाओं के अपरिमित संग्रह को तरजीह देती है। उक्त दस्तावेज की सिफारिशें उन्नीसवीं शताब्दी में स्वामी विवेकानन्द के इस कथन का बरबस स्मरण दिला देती है : 'शिक्षा तुम्हारे दिमाग में भरी जाने वाली सूचनाओं की मात्रा नहीं, जो वहाँ सड़ती रहती है और जीवन भर पचती नहीं है। हमें वह शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र बनता है, मन की शक्ति बढ़ती है, प्रतिभा का विस्तार होता है और आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।''

मेरे स्वयं के ढाई दशक के शिक्षण अनुभव का निचोड़ यह है कि शिक्षा के मूल सरोकार आज भी निस्सन्देह महत्त्व रखते हैं, ये हैं:- 'बच्चों को इतना सक्षम बनाना कि वे जीवन का अर्थ समझ सकें और अपनी योग्यताओं का विकास कर सकें, अपने जीवन का एक उद्देश्य निश्चित करें और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें तथा दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा करने का अधिकार दें।' शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है , जिसे शिक्षक या डाक के जरिए कहीं पहुँचाकर दिया जा सके। उर्वर और ऊर्जादायी शिक्षा की जड़ें हमेशा ही बच्चे की भौतिक और सांस्कृतिक जमीन में गहरे पैठी होती है और उन्हें माता-पिता, शिक्षकों, सहपाठियों और समुदायों के साथ पारस्परिक क्रियाओं से पोषण मिलता है। इस दायित्व के सम्बन्ध में शिक्षकों की भूमिका और प्रतिष्ठा को रेखांकित करने और सुदृढ़ करने की जरूरत है। खरे ज्ञान तथा सृजन में हमेशा ही पारस्परिकता अंतर्निहित होती है। अगर बच्चे को निष्क्रिय रहने को मजबूर न किया जाए,तो इस आदान-प्रदान में शिक्षक भी सीखता है। चूंकि बड़ों के मुकाबले बच्चों की अवलोकन और अनुभूति में अधिक गहराई होती है, ज्ञान के सर्जक के रूप में उनकी संभावनाओं की हमें अधिक समझ होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में विख्यात शिक्षाविद् और शिक्षा प्रशासक प्रो.यशपाल को उद्धृत करना प्रासंगिक है, जिसमें वे कहते हैं, ''अपने अनुभव के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत मेरी समझ है, उसका अच्छा-खासा हिस्सा बच्चों के साथ मेरे संवाद का नतीजा है।''

यदि हमें कुछ करना है, तो वह है मनुष्यों की परस्पर निर्भरता को रेखांकित करना और जैसा रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि ''जब हम स्वयं को दूसरों के माध्यम से अनुभव करें, तभी हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है।'' यह तथ्य कि बच्चा ज्ञान का सृजन करता है, इसका निहितार्थ है कि पाठ्यचर्या (Curriculum), पाठ्यक्रम (Syllabus) एवं पाठ्यपुस्तकें (Text Books) शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएँ कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षायी अनुभव आयोजित करें, ताकि सारे बच्चों को अवसर मिल पाएँ। शिक्षण का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध करना होना चाहिए। ज्ञान को सूचना से अलग करने की जरूरत है और शिक्षण को एक पेशेवर गतिविधि के रूप में पहचानने की जरूरत है, न कि तथ्यों के रटने और प्रसार के प्रशिक्षण के रूप में। सक्रिय गतिविधि के जरिए ही बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसलिए प्रत्येक साधन का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं को इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में और स्वस्थ रूप से विकसित होने में मदद मिले। अगर बच्चों के कक्षा के अनुभवों को इस तरह आयोजित करना हो, जिसमें उन्हें ज्ञान सृजित करने का अवसर मिले, तो हमारी विद्यालयी व्यवस्था में व्यापक व्यवस्थागत सुधारों की

जरूरत होगी और इसकी भी कि विद्यालय के विषयों और पाठ्यचर्या के क्षेत्रों की फिर से संकल्पना की जाए और विद्यालय के लोकाचार की गुणवत्ता को सुधारने के संसाधन जुटाए जाएँ। इस बात की कोशिश करनी होगी कि बच्चों के लिए सीखने के लिए अधिक संसाधन तैयार किए जाएँ, खासकर स्कूल और शिक्षक के लिए संदर्भ पुस्तकालय हेतु स्थानीय भाषाओं में किताबें और संदर्भ सामग्रियाँ उपलब्ध हों और बच्चों की अंत: क्रियात्मक तकनीक तक पहुँच हो, न कि प्रसारित तकनीक तक।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य को गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के निबन्ध 'सभ्यता और प्रगति' के एक प्रसंग में समाहित करते हुए विराम देना चाहूँगा:-

''जब मैं बच्चा था, तो छोटी-छोटी चीजों से अपने खिलौने बनाने और अपनी कल्पना में नए-नए खेल ईजाद करने की मुझे पूरी आजादी थी। मेरी खुशी में मेरे साथियों का पूरा हिस्सा होता था, बल्कि मेरे खेलों का पूरा मजा उनके साथ खेलने पर निर्भर करता था। एक दिन हमारे बचपन के इस स्वर्ग में वयस्कों की बाजार-प्रधान दुनिया से एक प्रलोभन ने प्रवेश किया। एक अंग्रेज दुकान से खरीदा गया खिलौना हमारे एक साथी को दिया गया, वह कमाल का खिलौना था- बड़ा और मानो सजीव। हमारे साथी को उस खिलौने पर घमंड हो गया और अब उसका ध्यान हमारे खेलों में इतना नहीं लगता था, वह उस कीमती चीज को बहुत ध्यान से हमारी पहुँच से दूर रखता था, अपनी इस खास वस्तु पर इठलाता हुआ। वह अपने अन्य साथियों से खुद को श्रेष्ठ समझता था, क्योंकि उनके खिलौने सस्ते थे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अगर वह इतिहास की आधुनिक भाषा का प्रयोग कर सकता तो वह यही कहता कि वह उस हास्यास्पद रूप से श्रेष्ठ खिलौने का स्वामी होने की हद तक हमसे अधिक सभ्य था। अपनी उत्तेजना में वह एक चीज भूल गया- वह तथ्य जो उस वक्त उसे बहुत मामूली लगा था कि इस प्रलोभन में एक ऐसी चीज खो गई, जो उसके खिलौन से कहीं श्रेष्ठ थी, एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा। उस खिलौने से महज उसका धन व्यक्त होता था, बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा नहीं, न ही उसके खेल में बच्चे का आनन्द था और न ही उसके खेल की दुनिया में साथियों को खुला निमंत्रण।''

अभी हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा है कि ''नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला मसौदा दिसम्बर- 2017 के अंत तक आ जाएगा।'' उक्त प्रसंग में अब जब हम आने वाले दशकों के लिए एक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण के मुहाने पर खड़े हैं, तो हमें समसामयिक वैश्विक परिदृश्य के साथ हमारे नौनिहालों, किशोरों और युवाओं के सुसमायोजन के लिए आमूलचूल बदलावों की पृष्ठभूमि तैयार करनी ही होगी। खास तौर से तब, जब हम वैश्विक गुरु के अपने चिरपुरातन सिंहासन को पुन: प्राप्त करने के लिए लालायित भी हैं और कटिबद्ध भी। हालाँकि आमूलचूल बदलाव की यह कवायद कतई आसान नहीं है, विशेषकर वर्तमान ढाँचे में सुविधा भोग रहे बदलाव विरोधी पैरोकारों की मौजूदगी में। परन्तु मौजूदा शैक्षिक ढाँचे में आमूलचूल परिवर्तन समय की पुकार है, जरूरत भी और तलब भी :-

किश्ती को भँवर में घिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे,
जिन्दों को अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल रहने दे ।
धारे के मुआफिक बहना क्या, तौहीन-ए-दस्त-ओ-बाजू है,
परवर्द-ए-तूफां किश्ती को, धारे के मुखालिफ बहने दे।।

शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी
निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
मो. 9414000470

मासिक गीत

मनुष्य तू बड़ा महान् है, भूल मत!

धरती की शान, तू है मनु की सन्तान
तेरी मुट्ठियों में बन्द तूफान है, रे
मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत।...

तू जो चाहे पर्वत, पहाड़ों को फोड़ दे,
तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे,
तू जो चाहे माटी से, अमृत निचोड़ दे,
तू जो चाहे धरती को अम्बर से जोड़ दे,
अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान,
तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य...

नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल,
तेरी छाती में छुपा महाकाल है,
पृथ्वी के लाल, तेरी हिमगिरि सा भाल,
तेरी भृकुटि में ताण्डव का ताल है,
निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान,
तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य...

धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर,
तू जो चाहे काल को भी थाम ले,
पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके,
तू जो अगर हिम्मत से काम ले,
गुरु सा मतिवान, पवन सा तू गतिमान,
तेरी नभ से भी ऊँची उड़ान है रे। मनुष्य...

संकलनकर्त्ता-**डॉ. शैलेन्द्र कुमार पारीक**
अध्यापक
रा.उ.प्रा.वि., 6 एफ प्रथम, श्रीगंगानगर, **मो. 9414448335**

शिक्षा में अभिभावकों की सहभागिता

❐ शशिकान्त द्विवेदी 'आमेटा'

किसी भी समाज में शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य घटक हैं- छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक। अभिभावक एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटक है जो न केवल नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य की प्राप्ति में उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, वरन शिक्षा की गुणात्मकता में भी योगदान दे सकता है। विद्यालय के उत्तरदायित्व में सामाजिक उत्थान को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विद्यालय और समाज का सम्बन्ध एक दूसरे के हित के लिए है। समाज विद्यालय की स्थापना करता है। विद्यालय समाज का प्राण, प्रकृति के सन्त और संस्कृति के प्रमुख केन्द्र है। विद्यालय समाज का एक अविभाज्य अंग है। विद्यालयों की वास्तविक सुन्दरता सबके लिए शिक्षा से है। सबके लिए शिक्षा विभिन्न आयामों की एक रामबाण औषधि है, इसमें सबकी भागीदारी और सबका परस्पर सहयोग रहा व कार्य में दक्षता रही तो एक दिन फिर हमारा भारत जगद्गुरु कहलाएगा। कोई भी कार्य लोगों की भागीदारी के बगैर सफल नहीं हो सकता। विद्यालय के सामाजिक सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आवश्यक है, न कि उपेक्षावृत्ति। शिक्षा मानव जाति की साझा संपत्ति है।

हमारा अतीत अत्यन्त गौरवमय रहा है। प्राचीनकाल से ही भारत अपनी विद्वता, कला, संस्कृति एवं सभ्यता के क्षेत्र में अद्वितीय रहा है। राष्ट्र 'सबके लिए शिक्षा' की दिशा की ओर प्रयाण कर रहा है। सबके लिए शिक्षा और विशेष कर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक अभिभावकों में शिक्षा के साथ जुड़ाव की भावना न जागे। इस संकल्पना की पूर्ति के लिए आवश्यक है- अभिभावकों की सहभागिता। शिक्षा के प्रति जागरुकता के पीछे देश की यह 'राष्ट्रीय इच्छा' काम कर रही है कि हमें विश्व में किसी से पीछे नहीं रहना है। विद्यालय व समाज का सम्बन्ध पारस्परिक हित के लिए है। शिक्षा व समाज में आत्मा व शरीर जैसा सम्बन्ध है। शिक्षा व समाज का अटूट रिश्ता है। शिक्षा समाज निर्माण व सामाजिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा, मानव विकास की प्रथम सीढ़ी है जिसे पार किए बिना अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। देश को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण, उत्तम एवं सरलतम साधन है 'शिक्षा'।

आज की शिक्षा कल निर्माण होने वाले समाज का बीज होता है। कल के समाज की पेशगी आज की शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है। विद्यालय शिक्षा के केन्द्र हैं। अभिभावक, शिक्षक और परिवेश तीनों ही के सुसंपर्क से बनता है बालक का जीवन। विद्यालय और समाज को परस्पर जोड़ने के लिए विद्यालय में अध्यापक-अभिभावक परिषद् का गठन किया जाता है। वास्तव में स्थानीय समाज की सजग भागीदारी ही विद्यालयों को गतिशील बनाकर शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सहयोग देती है। अभिभावकों की भागीदारी से ही विद्यालय की स्थानीय समस्याओं का निराकरण हो सकेगा तथा छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता की समस्या समाप्त होगी।

भारत में अध्यापक-अभिभावक संघ की योजना वर्षों से चल रही है। अभिभावकों का सहयोग इस बात के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हो, छात्र-छात्राओं का ठहराव सुनिश्चित हो, अपव्यय एवं अवरोधन की स्थिति में सुधार हो। शिक्षक-अभिभावक परिषद् ही वह मंच है जिसके माध्यम से अभिभावकों को उनके दायित्वों का बोध कराया जा सकता है।

आज हम एक प्रजातान्त्रिक समाज व्यवस्था में रह रहे हैं। जो व्यक्ति की गरिमा और समानता पर आधारित है। शिक्षित व्यक्ति ही दुनिया में वाँछित परिवर्तन ला सकते हैं, यह क्षमता केवल उन्हीं में है, अतः हमें शिक्षा की शक्ति पर विश्वास करके चलना होगा। शिक्षा का सच हमें सभ्य जीवन जीने की कला की ओर ले जाता है और यह कला ही जीवन की कला है। इसमें सबका योगदान होना चाहिए। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाने का हेतु है। देश का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही सम्भव है। अतः विश्व में अग्रणी बनने के लिए शिक्षा में जन समूह की सहभागिता आवश्यक है। शिक्षा आज की अनिवार्यता है।

अब देखिए, एक तरफ तो शिक्षा राष्ट्रीय चिन्तन का विषय बनी हुई है। शिक्षा भी कैसी, जो जीवन भर चले। सम्भवतः यही कारण है कि जापान सर्वांगीण विकास कर रहा है। जापान आज केवल तकनीकी और विज्ञान में ही विश्व का सिरमोर नहीं बना हुआ है अपितु उसका दावा है कि उसके नागरिक विश्व के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति हैं।

चाहत होती है कि बालक की उपलब्धि सर्वोपरि रहे। यह सोच तो ठीक है लेकिन इसे अमली जामा पहनाने की बात पर भी गौर करना आवश्यक है। इस उपलब्धि के तीन मुख्य संबल हैं : अध्यापक, स्वयं बालक एवं अभिभावक। तीनों के सम्मिलित प्रयास ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। शिक्षक को सामाजिक पुनरुत्थान एवं सांस्कृतिक उत्थान का दायित्व भी निभाना होगा। बालक कुछ अभिवृत्तियाँ और मूल्य लेकर विद्यालय आते हैं। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आज सद्संस्कृत व्यक्ति ही शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद के कर्त्तव्यों को निभा सकता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। शिक्षक राष्ट्रनिर्माता है तो विद्यार्थी राष्ट्र का भावी कर्णधार है। शर्त यही है कि शिक्षक में कर्त्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी हो और अभिभावक भी जागरूक हों व विद्यालय के लिए समय देने को तत्पर हों। शिक्षा में जितना शिक्षक का महत्व है उतना ही अभिभावक का महत्त्व भी है। शिक्षक अपनी सम्पूर्ण योग्यता एवं क्षमता से शिक्षण कार्य करता है किन्तु अभिभावकों के सहयोग के बिना शिक्षण प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता। अतः शिक्षकों तथा अभिभावकों को अपने-अपने दायित्व बखूबी निभाने चाहिए। आज के छात्र कल के नागरिक होंगे। एक अच्छे नागरिक को मानव सम्बन्धों का विशेषज्ञ होना चाहिए।

शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। उसे देश निर्माता या राज्य निर्माता नहीं कहा गया है। हर देश को सुयोग्य नागरिकों की आवश्यकता होती है अतः पहले 'शिक्षक स्वयं सुयोग्य बने' ताकि वह अपने राष्ट्र की इस माँग की पूर्ति कर सके। इसी आदर्श स्थिति में शिक्षक समाज का मान-सम्मान भी प्राप्त कर सकेंगे और अपने देश के विकास में योगदान देने का सौभाग्य एवं गौरव भी। आवश्यकता है सम्मान योग्य योग्यता को ग्रहण करने की, शिक्षकों और शिक्षा का अनादर कर मानव समाज कभी भी प्रगति-पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता।

एक शिक्षक के लिए यह भी उचित होगा कि वह अधिक से अधिक जनता के सम्पर्क में रहे। आम तौर पर शिक्षक इस विषय में उदासीन रहते हैं। प्राचीन काल में गुरु को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिक्षक राष्ट्र का गौरव है एवं राष्ट्र का जीवन है। प्राचीन काल से गुरु का पद सदैव सम्माननीय रहा है। गुरु पद की महिमा अनन्त रही है, इसीलिए कहा गया है-'यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं' के अनुरूप 'श्री गुरुवे नमः' के विचार मात्र से एक विशेष ऊर्जा का आभास होता है।

मेरी मान्यता है कि शिक्षक यदि अपनी सार्थक भूमिका में लौट आता है तो कोई कारण नहीं कि समाज की उन्नति न हो पाए। समाज का वही सच्चा पथ प्रदर्शक है, बशर्ते कि वह अपने में समाज की आस्था पैदा कर सके। फिर आज के संकट से उबारने के लिए उसे आगे आना ही है, इस हेतु किसी आग्रह-आदेश की प्रतीक्षा में नहीं रहना है, यही उसका आचार्य धर्म है। उसे अपना सृजनशील नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

अध्यापक-अभिभावकों के तालमेल से विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि व लगन जागृत होगी जिससे शैक्षिक स्तर का उन्नयन हो सकेगा। मेरे विचार से शिक्षकों की भूमिका ही छात्रों को अध्ययनशील या अध्ययन के प्रति उदासीन बना सकती है। अभिभावक भी इतने गैर जिम्मेदार प्रतीत हो रहे हैं कि बच्चों के लिए, विद्यालय के प्रति समय ही नहीं है उनके पास। वर्तमान में अभिभावकों की सोच बनी हुई है कि हमें विद्यालय से क्या लेना-देना। अभिभावकों को विश्वास में लेने की जरूरत है। विद्यालयों में क्या कुछ हो रहा है, इसकी उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए। विद्यालय उन पर विश्वास न करे और उनसे सहयोग की अपेक्षा करे, यह तो कदापि सम्भव नहीं। विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करें। इससे अभिभावकों और अध्यापकों में बड़े ही मधुर सम्बन्ध कायम होंगे। आवश्यक है विद्यालय और समुदाय एक दूसरे के नजदीक आवें। ऐसे में शिक्षक और अभिभावक के बीच निरन्तर संवाद अपरिहार्य हो गया है। अब अगर अभिभावक लापरवाह रहा तो शिक्षक कैसे पढ़ा पाएगा। अतः अध्यापकों एवं अभिभावकों को सचेष्ट एवं सजग होना होगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों के सहयोग का महत्त्व आदिकाल से रहा है। उनके सहयोग के अभाव में विद्यार्थियों के अनुशासनमय चहुँमुखी विकास में पूर्ण सफलता प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतः विद्यालय स्तर पर 'शिक्षक-अभिभावक परिषद' वाँछित है।

समय आ गया है हम सबको साथ लेकर चलें तथा ऐसा वातावरण बनाएँ कि जिससे शिक्षा के प्रत्येक पहलू को और उसकी बारीकियों को समझ सकें, अर्थात् समाज की भागीदारी सुनिश्चित करें। जहाँ कहीं भी अध्यापकों एवं अभिभावकों का आपसी सहयोग पाया गया, उसके चमत्कारी प्रभाव भी देखे गए हैं। 'सबके लिए शिक्षा' का सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक अभिभावकों में शिक्षा के साथ जुड़ाव की भावना न आए। वास्तविकता यह है कि शिक्षा हमारी सोच, आचरण, व्यक्तित्व तथा प्रत्येक स्पंदन में है। आइए, हम इसके सही अर्थ को पहचानें।

शिक्षक को, जिज्ञासु समाज की रचना करने हेतु जो सो रहे हैं उन्हें जगाना होगा, जो जग रहे हैं उन्हें चलाना होगा और जो चल रहे हैं उन्हें निरन्तर गति के लिए प्रेरणा देनी होगी। बाजारवाद की आँधी में सेवा का पर्याय समझी जाने वाली शिक्षा, जो एक बड़ा व्यवसाय बन गई है। इस कारण विभिन्न स्तर पर होने वाले शोषण से शिक्षकों को मुक्त किया जा सके, शिक्षा के ढाँचे को दुरस्त करना होगा। आइए, शिक्षक-अभिभावक परिषद् को मजबूती प्रदान करें।

प्राध्यापक (से.नि.)
फोरेस्ट चौकी के पास, लोहारिया
जिला-बाँसवाड़ा-327605
मो. 9460116012

विजय दिवस

सन् 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध दोनों देशों के बीच हुआ तीसरा युद्ध था। पहले के दोनों युद्धों में पाकिस्तान को मात खानी पड़ी थी। इस तीसरे युद्ध में तो पाकिस्तान को दुम दबाकर भागना पड़ा और बांग्लादेश में मौजूद उसके 93 हजार सैनिकों को भारतीय रणबांकुरों से प्राणों की भीख माँगते हुए हथियार डालना पड़ा। 16 दिसम्बर 1971 को जब पाकिस्तानी ले. जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के ले. जनरल जे. एस. अरोड़ा के सामने आकर आत्मसमर्पण के पत्र पर हस्ताक्षर किए तो मानों आक्रमणों का करारा जवाब हमलावरों को दे दिया। यह युद्ध न सिर्फ भारत के इतिहास का बल्कि दुनिया के सैनिक इतिहास का एक यादगार युद्ध था।

विश्व के किसी भी युद्ध में अब तक किसी भी देश के इतने बड़े सैन्य दल का आत्मसमर्पण करने का उदाहरण नहीं मिलता। हमारी गौरवशाली परम्परा 'शरणागत का रक्षण' का निर्वाह करते हुए उन्हें क्षमा किया गया। यह विजय दिवस देश वासियों में गौरव का भाव जगाता है।

संकलन : **गोमाराम जीनगर**
सहायक निदेशक
मा.शि. राज., बीकानेर
मो. 9413658894

जयंती विशेष

महामना मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन

❒ विजय सिंह माली

''मैं मालवीय जी से बड़ा देश भक्त किसी को नहीं मानता। मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। जीवित भारतीयों में मुझे उनसे ज्यादा भारत की सेवा करने वाला भी कोई दिखाई नहीं देता।'' – महात्मा गाँधी

भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में बहुप्रशंसित कार्य किया और सभी में महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया। वे महान देशभक्त, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, अग्रणी पत्रकार, प्रखर अधिवक्ता, स्वदेशी के पुरस्कर्ता, देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा के प्रतिष्ठाता, प्रभावशाली समाज सुधारक, विख्यात वक्ता, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षक-संवर्धक, जीवदया पोषक, गंगा-गोमाता के भक्त, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा आदर्श कुलपति, भारत में तकनीकी शिक्षा के पितामह और भारतमाता के सच्चे सपूत थे।

महामना का जन्म पौष कृष्ण अष्टमी बुधवार संवत 1918 तद्नुसार 25 दिसम्बर 1861 को प्रयाग नगर में पं. ब्रजनाथ व्यास की धर्मपत्नी मूना देवी की कोख से हुआ। इनके पूर्वज मालवा से आए थे, अतः इन्होंने अपने नाम के पीछे मालवीय लगाया। मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, 1879 में गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद से इन्ट्रेस परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् 1881 में इनका विवाह मिर्जापुर के पं. नंदराजजी की पुत्री कुंदन देवी के साथ सम्पन्न हुआ। 1884 में बी.ए. उत्तीर्ण की। मालवीयजी ने विविध क्षेत्रों में कार्य करके अद्वितीय स्थान बनाया, किन्तु शिक्षा के लिए वे पूर्णतः समर्पित थे। यह विषय उनके हृदय से जुड़ा था। भारत के लिए एक शिक्षा पद्धति देने का प्रयास उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर अंत तक चलता रहा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय देश के लिए उनकी एक अनुपम कृति है। मालवीयजी के शिक्षादर्शन की प्रमुख बातें इस प्रकार है।

1. धर्माधारित चरित्र निर्माण– मालवीयजी धर्म को चरित्र निर्माण का सीधा

मार्ग और सांसारिक सुख का सच्चा द्वार समझते थे। वे विद्यार्थियों से अपेक्षा करते थे कि देशभक्ति तथा आत्मत्याग द्वारा वे सदा ही सम्मान पाने के योग्य बने। इसलिए विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत की कथा, गीता प्रवचन व संत प्रवचन आयोजित किए जाते थे। 'गायंति देवा किल गीतकानि....।' उनका प्रिय श्लोक था।

2. संस्कृत भाषा व धर्मशास्त्र की शिक्षा–मालवीयजी ने विश्वविद्यालय की नियमावली में संस्कृत भाषा व धर्मशास्त्र को प्रथम स्थान दिया। दीक्षान्त समारोहों में संस्कृत की उपाधि का वितरण सर्वप्रथम होता था। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजनादि की व्यवस्था की। उनके अनुसार संस्कृत जीवन्त भाषा है। वह अतीत की नहीं अपितु भविष्य की भी भाषा है।

3. शिक्षा का माध्यम–मालवीयजी विश्वविद्यालय की स्थापना से ही उच्च कक्षाओं में पठन-पाठन हिन्दी माध्यम में चाहते थे लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विरोध के कारण यह नहीं हो पाया। वे मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने के हिमायती थे। उनकी मान्यता थी- ''मैं जितनी सरलता से अपने विचार अपनी मातृभाषा हिन्दी में व्यक्त कर सकता हूँ उतनी सरलता से अंग्रेजी में नहीं।''

4. शारीरिक व सैनिक शिक्षा– मालवीयजी शारीरिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका आग्रह था कि प्रत्येक विद्यार्थी व्यायाम व खेलकूद में अवश्य भाग लें। विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय के अलग-अलग क्रीड़ा स्थल थे। व्यायाम के लिए विशाल सुसज्जित 'शिवाजी व्यायामशाला' थी। मालवीय जी विद्यार्थियों को आशीर्वाद स्वरूप कहते-

दूध पीयो कसरत करो नित्य जपो हरिनाम।
मन लगाई विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम।।

मालवीयजी ने ग्रामोत्थान में मल्लशाला को भी समाहित किया।

ग्रामे-ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे-ग्रामे कथा शुभा।
पाठशाला मल्लशाला प्रतिवर्ष महोत्सवः।।

वे सैनिक शिक्षा के भी प्रबल आग्रही थे। वे चाहते थे कि देश पर विपत्ति आने पर सभी विद्यार्थी सैनिक की भूमिका निभाएँ। उन्होंने उत्तम रीति से विश्वविद्यालय में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने भारतीयों के लिए पावेल के स्काउट से अलग स्काउट संस्था की स्थापना की।

5. नारी शिक्षा–मालवीयजी बालिका शिक्षा को अधिक महत्त्व देते थे। वे सदैव कहा करते थे कि ''पुरुषों की शिक्षा से स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वही भारत की भावी संतानों की माता है। वे अपने प्रवचनों में वैदिक नारियों की गाथा जरूर सुनाते। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में महिला महाविद्यालय का अलग भवन व छात्रावास भी बनवाया। उनकी मान्यता थी कि हमें प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति के उत्तम ज्ञान के साथ-साथ वर्तमान साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा भी स्त्रियों को देनी होगी। जिससे भारत के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग दे सके।

6. समग्र शिक्षा–मालवीय जी की शिक्षा की अवधारणा समग्ररूप में थी और उसका विधान उन्होंने स्वयं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में किया। प्राथमिक शिक्षा से पीएच.डी. की

शिक्षा की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में थी। वे प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता के आग्रही थे तथा योग्य विद्यार्थियों को ही विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश देने के समर्थक थे। वे विश्वविद्यालय की तुलना वृक्षों से करते थे और मानते थे कि इसकी जड़ें प्राथमिक पाठशालाओं की गहराई तक पहुँचती है जो अपना रस तथा शक्ति माध्यमिक स्कूलों से प्राप्त करते है। सचमुच उन्होंने विश्व की सभी ज्ञान की धाराएँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवाहित कर इसके 'विश्वविद्यालय' नाम को चरितार्थ किया।

7. अध्यापकों के सम्मान के लिए समर्पित–मालवीयजी अध्यापकों के सम्मान के लिए पूर्णरूपेण समर्पित थे। वे अध्यापकों को राष्ट्रीय पुनरुत्थान के पुरोधा के रूप में देखते थे। उन्हें राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ सेवक मानते थे। अध्यापक छात्र का मन-मस्तिष्क जिधर चाहे मोड़ सकता हैं। देशभक्ति के भाव जाग्रत कर राष्ट्र के लिए समर्पित छात्र-छात्राओं की विशाल वाहिनी खड़ी कर सकता है। वह प्रायः चाणक्य का उदाहरण देते थे।

8. प्रकृति प्रेम–मालवीयजी का प्रकृति से अगाध प्रेम था। विश्वविद्यालय की स्थापना के कुछ वर्षों में ही परिसर की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया गया। सभी पेड़ भारतीय मूल के है। आम, जामुन, इमली, नीम, कटहल आदि के पेड़ पूरे परिसर को आच्छादित करते हैं। प्रत्येक चौराहे पर पीपल या बरगद का वृक्ष है, हरे-भरे खेल मैदान हैं, सुन्दर वाटिकाएँ हैं। आयुर्वेदिक उद्यान है। वे परिसर के प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन अपने भाषणों में भी करते थे। वे विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वे प्रायः कहा करते थे ''हमें प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त करनी है, उसके साथ सह अस्तित्व का भाव रखना है। प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन भी नहीं अपितु पोषण करना है।''

मालवीयजी के शिक्षा दर्शन को यदि संक्षिप्त में जानना है तो हम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलगीत को पढ़ें-सुनें। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. शांति स्वरूप भटनागर द्वारा रचित इस गीत में विश्वविद्यालय को 'सर्वविद्या की सर्व दृष्टि, सत्य शिक्षा, ब्रह्मविद्या, राजऋषियों, वाग्विद्या, विश्वविद्या तथा कर्मवीरों की राजधानी बताया गया है। विश्वविद्यालयों के प्रति ये मात्र सम्बोधन नहीं अपितु मालवीयजी के शिक्षा दर्शन के आधार है। मालवीयजी चाहते थे कि शिक्षा सत्य पर आधारित, मुक्ति दिलाने वाली, सुधर्म पर चलने वाली, प्रतीची व प्राची के मेल वाली, देशभक्ति साहस, शक्ति प्रदान करने वाली और कर्मवीरों का निर्माण करने वाली हो। मालवीय जी शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखना चाहते थे। इसलिए अपने भिक्षा पात्र को लेकर देशभर का भ्रमण करते थे और जनता श्रद्धा के साथ उनकी झोली भर देती थी। शिक्षा का भारतीयकरण तथा मैकाले की शिक्षा से मुक्ति ही उनके चिंतन का मुख्याधार था। वे चाहते थे कि शिक्षा छात्र को समाज और प्रकृति से जोड़े। शिक्षा द्वारा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित कर दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए वे कृत संकल्प थे।

12 नवम्बर, 1946 को शाम 4 बजकर 13 मिनट पर मालवीय जी प्राण पखेरू उड़ गए। पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं है पर उनका व्यक्तित्व-कृतित्व आज भी हमारे लिए प्रेरणा-स्रोत है। हम उनके बताए आदर्शों पर चलकर उनके शिक्षा दर्शन का अवलम्बन कर भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं।

प्रधानाचार्य
रा.आ.उ.मा.वि. मगरतलाव (पाली)
मो: 9829285914

बड़ों की सीख

एक समय की बात है, रामपुर नामक राज्य में एक महान् विद्वान् रहता था। उसका नाम ब्रह्मदत्त था। एक समय वह तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने गाँव से निकला। जब वह जाने लगा तो उसकी माता ने कहा- पुत्र! रास्ते के लिए अपना कोई साथी खोज लो, अकेले इतनी लम्बी यात्रा करना ठीक नहीं है।

ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया- डरो मत माँ! इस मार्ग में कोई भी खतरा नहीं है। मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मेरे पास यात्रा के लिए साथी खोजने का समय नहीं है। इतने कम समय में मुझे साथी नहीं मिलेगा। माँ ने कुछ और उपाय न देख, पड़ोस से एक पालतू केकड़ा लेकर अपने बेटे को देते हुए कहा- यदि तुझे जाना ही है तो इस केकड़े को अपने साथ ले जा। यह यात्रा में तेरी बहुत सहायता करेगा। ब्रह्मदत्त ने माता का कहना मानकर केकड़े को अपनी यात्रा का साथी बना लिया। केकड़े को कपूर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ब्रह्मदत्त ने उसे कपूर की डिबिया में रख लिया।

यात्रा करते हुए ब्रह्मदत्त को कुछ समय ही बीता था कि उसे गर्मी और थकान का अनुभव होने लगा। वह रास्ते में एक पेड़ की छाया में आराम करने बैठ गया। वह थका हुआ तो था ही इसलिए थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसी वृक्ष के नीचे बिल में एक खतरनाक काला साँप भी रहता था। साँप जब बिल से बाहर आया तो उसे कपूर की गन्ध आ गई। कपूर की गन्ध साँप को भी बहुत प्रिय होती है। इसलिए उस साँप ने ब्रह्मदत्त के कपड़ों में से कपूर की डिबिया खोज ली। जैसे ही उसने कपूर खाने के लिए डिबिया खोली, उसके अन्दर बैठे केकड़े ने साँप को अपने पैरों में जकड़ लिया। केकड़े के पैर बड़े तीखे होते हैं। अपना शिकंजा कसते हुए केकड़े ने साँप के दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार साँप मर गया।

कुछ समय के बाद ब्रह्मदत्त नींद से जागा तो उसने देखा कि पास में काला साँप मरा पड़ा है। उसके पास कपूर की डिबिया भी पड़ी है वह समझ गया कि यह काम केकड़े का ही है। प्रसन्न होकर वह सोचने लगा- माँ सच कहती थी कि यात्रा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। मैंने माँ की बात मानी इसलिए काला साँप मुझे काट नहीं सका, अन्यथा मैं आज जीवित नहीं होता।

बाल मित्रों!

इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि-जीवन में अच्छे मित्रों का साथ लाभदायक रहता है।

संकलन : **सीताराम गोदारा**
(सह संपादक-शिविरा) मा.शि.राज. बीकानेर
मो. 9413691357

निर्वाण दिवस

लोह पुरुष सरदार पटेल: व्यक्तित्व एवं कृतित्व

❐ स्नेहलता

पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जो कि सन् 1948 में संयुक्त प्रांत के प्रधान सचिव थे उन्होंने सरदार पटेल की 74 वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अभिनंदन ग्रंथ में लिखा था कि ''सरदार पटेल की गणना संसार के उन महारथियों में की जाएगी जिन्होंने समय-समय पर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से वृहत् जनसमूह को सुसंगठित और शक्तिशाली बनाया है।''

यह कथन पूर्णरूपेण सत्य है। आज भारत संघ का विस्तृत भूभाग जो एक सूत्र में संगठित है। उसका श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। ब्रिटिश सत्ता के चले जाने के बाद रियासतों की समस्या भयंकर रूप धारण करती दिखाई पड़ी और इस देश के अनगिनत खंडों में विभाजित हो जाने की आशंका होने लगी थी। सरदार पटेल के कन्धों पर इस समस्या को सुलझाने का भार आ पड़ा। उन्हीं की दूरदर्शिता तथा विवेकशीलता का परिणाम है कि हमने तत्कालीन संकट पर विजय पाई। विदेशी कूटनीतिज्ञों की योजनाओं को विफल कर काल की गति व दिशा को विनाश की ओर से विमुख कर समृद्धि, सम्पन्नता, एकता, सुख और शांति की ओर अग्रेषित करने वाले इस युग-प्रवर्तक, युग परिवर्तनकर्त्ता का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमता, निःस्वार्थ सेवा, आदर्श देशभक्ति, निर्भीक साहस और महान राजनीतिज्ञता ने ही भारत को उसके सुचिर ध्येय स्वतंत्रता तक पहुँचाया है। वे भारत के लोहपुरुष कहलाते हैं। सन् 1928 में बारदोली सत्याग्रह में कूदकर और पट्टीदारों तथा किसानों में विश्वास की भावना पैदा करके आगे के लिए एक उदाहरण बना दिया था। उसी आधार पर किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। यहाँ पर ही महात्मा गाँधी द्वारा उन्हें 'सरदार' की पदवी प्रदान की गई थी।

लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का चरित्र-चित्रण सीमित शब्दों में असंभव है। असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाने का जो कार्य उन्होंने देश स्वतंत्र होने के उपरान्त किया।

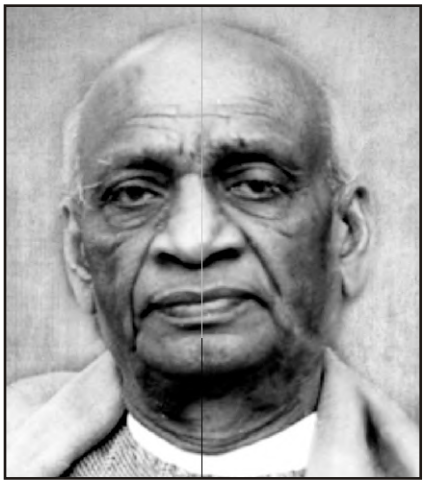

भारत के 600 छोटे बड़े देशी राज्यों के सम्बन्ध में इन्होंने दिसम्बर 1947 ई. तक जो भी कार्य किए वह सर्वविदित है। उन्हें लोहपुरुष इसलिए भी कहा जाता है कि जो भी निर्णय करने की योजना वह बना लेते थे उसे पूर्ण करके ही छोड़ते थे। उन्होंने अपने निर्णयों में स्वप्न में भी झुकना नहीं सीखा था। उनका व्यक्तित्व इस जगत में साधारण देश-सेवकों की श्रेणी में ही नहीं अपितु शासन कार्य में पूर्ण निष्णात व्यक्तियों में था। उसमें भी प्रशंस्यतम् और उन्नतम कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के तत्कालीन देशी राज्य सम्पूर्ण देश के एक तिहाई भाग पर कब्जा किए हुए थे। इन्हें सर्वथा स्वतंत्र सत्ता कहा जाता था। चुंगी और न्याय के सम्बन्ध में भी ये पूर्णतः स्वतंत्र थे। विदेशी राष्ट्रों को उम्मीद थी कि देशी राज्य काँग्रेस की एकता के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करने के पक्ष में भारी प्रत्यूह उपस्थित करेंगे। उनके कल्पनाचक्षुओं में तो उस समय साम्प्रदायिक उपद्रवों तथा अन्य प्रकार के विद्रोहों तथा विप्लवों के चित्र नृत्य कर रहे थे लेकिन जब लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कार्य भी अपनी बुद्धिमता से चुटकियों में कर दिखाया तो वे दाँतों तले अंगुली दबा बैठे।

उधर देशी राज्यों ने अपनी वास्तविक स्थिति समझकर अपने सर्वाधिकार परित्याग कर भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था। अब उनकी प्रजा भारतीय नागरिक बन गई थी। हैदराबाद निजाम ने जरूर नखरे दिखाए थे। उसके लिए लोहपुरुष को सैनिक प्रक्रिया अवश्य आजमानी पड़ी थी। जिससे उसने समर्पण कर भारतीय संघ में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी थी।

इस असंभव कार्य को संभव कर लोह पुरुष ने उस समय की अपनी वृद्धावस्था को भी तरुणाई में परिवर्तित कर सम्पूर्ण जगत को आश्चर्य में डाल दिया था। अनुशासन में उनका अटल विश्वास था। जिसका प्रयोग वे बिना किसी भय के निडरता के साथ किया करते थे। वे मितभाषी थे। लेकिन 'गागर में सागर भर देने' वाले अल्प शब्दों में बड़ी जान होती थी।

उस समय उनका युद्धघोष होता है। कदाचित इसके लिए उन्हें पूर्व में तैयार होने में समय जरूर लगता था। लेकिन जब तैयार होने जाते थे तो उसका निर्वहन बड़े उत्साह और जोश के साथ करते थे। उन्हें कोई भी काम सौंप दिया जाता था तो उसे शान्त और गंभीर होकर वे स्थिर शक्ति से मूल संगठन में जान सी डालते हुए आभासित होते थे। उसके उपरान्त ही वे दूसरे कार्यों को सम्पन्न करते थे। जौहरी की तरह कसौटी पर खरा उतरकर ही वे कार्य को परिणत करते थे। सर्वहित का ध्यान उनके हृदय में हमेशा बना रहता था। जिस कार्य से सब का भला हो व्यक्तिगत नहीं, उनकी उसमें प्राथमिता रहती थी।

जिस प्रकार उत्साही बिल्ली के पंजों में (आक्रमण की अवस्था में) सिंह की सी शक्ति होती है, ठीक उसी तरह वल्लभ भाई पटेल की कार्य प्रणाली में होता था। चलने वाली अंगुली लिखने के पश्चात् भी गतिशील रहती है। उसी प्रकार से लाक्षणिक प्रतीक की दोनों बातें लोहपुरुष में देखी जाती थीं। वे एक सेनापति के रूप में थे।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने पार्टी को जीवन दिया था। पं. जवाहरलाल नेहरु ने इसके

दृष्टिकोण और कल्पना को विस्तार दिया था। डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने उसे पवित्रता दी थी। सरोजिनी नायडू ने इसे सौंदर्य दिया था, लेकिन सरदार पटेल ने पार्टी को योग्यता, पूर्णता का आभास और शक्ति प्रदान की थी।

लगभग डेढ़ सौ वर्ष की अंग्रेजी दासता के उपरान्त पटेल जैसा वास्तविक अन्तर्दृष्टि प्राप्त और शीघ्र निर्णायक कर्मशील व्यक्ति सभी को विस्मय में डाल देता था। उनकी लड़ाई और तत्कालीन भारत सरकार के साथ उनकी शासन सम्बंधी योग्यता एक उद्धृत ढिठाई ही प्रतीत हुई थी। लेकिन इन सभी विलक्षणताओं के बावजूद उन्होंने हर समय सौंपे गए काम के द्वारा अपनी क्षमता प्रमाणित कर सबके हृदयस्थल में सम्मानित स्थान बना लिया था।

गाँधीजी उन्हें अहमदाबाद की लॉ लाइब्रेरी से प्रकाश में लाए थे। वे वहाँ भारत में जो राजनीति थी उसमें नई आध्यात्मिक शक्ति को दूर बैठे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। गाँधीजी का अनुयायी होने में उन्हें विलम्ब हुआ था। लेकिन बारदोली मोर्चे पर गाँधी जी को विजय इसी नए वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्राप्त हुई थी। बस तभी से ये महात्मा गाँधी के घनिष्ट निकटतम अनुयायी हो गए थे।

श्री अशोक मेहता ने एक स्थान पर लिखा है कि ''वे बहुत कम पढ़ते हैं। लिखते उससे भी कम हैं। उनके लिए जीवित मनुष्य पुस्तक है। वे इरादतन अपनी दृष्टि को संगठनात्मक आवश्यकताओं के अन्दर सीमित रखते हैं। वे कभी भी कोई कदम जल्दबाजी में नहीं उठाते। प्रतीक्षा करते हैं, और जब एक बार आक्रमण कर देते हैं तो, न तो दया दिखलाते हैं, न पीछे कदम हटाते हैं। उनके भाषणों में एक बिंधने वाली तीक्षणता रहती है। जो भारत में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बाद किसी में नहीं देखी गई थी।''

तत्कालीन गवर्नर जनरल भारत श्री राजगोपालाचारी उनके बारे में लिखते हैं कि ''तीस वर्ष पूर्व मेरी जिन्दगी में एक दिन वह आया था जो कभी न भूलने योग्य महत्त्व का दिन था। जब मद्रास में गाँधी जी ने मुझ से बात करते समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया। साथ ही उनसे मिलकर परिचय प्राप्त करने का निर्देश दिया था। मैं उनसे मिला। साथ-साथ मिलकर तमाम दिनों तक एक साथ काम किया। मैं कह सकता हूँ कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जो आदमी ऐसा सोचते हैं कि वे कठोर पुरुष है। वे पूरी तरह से गलतफहमी में हैं। इसके विरुद्ध यह असंगत नहीं होगा कि यदि कोई यह कह दें कि उनकी प्रवृत्ति एक प्यारी और ईर्ष्यालु स्त्री की भाँति है। उनका प्रेम सच्चा है। उनके शाँत और रूखे स्वरूप के पीछे उनमें बड़ी भावुक और उत्तरदायित्व पूर्ण आत्मा एवं कार्यशील सजगशक्ति विद्यमान है। वे शासक अवश्य है, लेकिन एक माता की भाँति, निरंकुश की भाँति नहीं। दुनिया में उनके लिए सुख बहुत कम है। लेकिन वे अपने विषय में कुछ नहीं सोचते। वे अन्याय सहन नहीं कर सकते। इसी कारण लोग उन्हें कठोर समझते हैं। जो अन्याय करना चाहते हैं। लेकिन यह क्रोध नहीं है। यह उनकी विरोध करने की शक्ति में विश्वास है।

नेहरु जी ने लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं वर्षगाँठ पर लिखा था कि ''हिन्दुस्तान में पिछले वर्ष हमारी परीक्षा के रहे हैं। कुछ तो झिझक गए अथवा समाप्त हो गए। या वहीं रह गए; जहाँ वे थे। लेकिन उनमें से थोड़े बल्कि बहुत ही थोड़े समय के साथ ही अपने पूर्ण व्यक्तित्व तक पहुँचे। जिन्होंने उन घटनाओं पर अपनी छाप छोड़ दी है। उन पर हमारे इतिहास का निर्माण हुआ है। इन बाद के व्यक्तियों में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हैं जो इच्छा और उद्देश्य में दृढ़ हैं। एक महान संघटनकर्त्ता हैं। भारत की स्वाधीनता के उद्देश्य में लगन के साथ लगे रहे हैं। उन्होंने आवश्यक शक्तिशाली प्रतिरोध की सृष्टि की है। अधिकांश देशवासियों ने उन्हें अपनी रुचि का नेता पाया है और उनके साथ अथवा मातहत काम करके हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की स्थाई नींव डाली है।''

तत्कालीन मंत्रिमण्डल में स्वास्थ्य मंत्री रही राजकुमारी अमृतकौर ने पटेल के सम्बन्ध में लिखा था कि ''मैंने उन्हें बच्चों के साथ उन्हीं की भाँति शोर मचाते और खेलते हुए देखा है। इस रुचिकर विश्राम से अधिक उन्हें अन्य किसी मनोरंजन में अधिक आनन्द नहीं मिलता था।''

मातृभूमि की धर्मध्वजा का अभिनंदन वंदन।
राष्ट्र देवता के चरणों में
'पावन' शब्द वंदन।।

लोहपुरुष के अनुशासन और उनकी आवाज तथा आज्ञा का जीता जागता उदाहरण बारदोली से कुछ मील दूर एक गाँव में आम सभा का है। जहाँ पर गाँधीजी को बोलना था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनकी आवाज बहुत कम सुनाई पड़ रही थी। ऐसे में डेढ़ लाख किसानों की उपस्थिति में शाँति रहना असंभव था। लेकिन सरदार ने आज्ञा दी कि कोई आवाज अथवा गाँधीजी की जय आदि कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। गाँधीजी के आगमन से उनके जाने तक भाषण के मध्य भी सन्नाटा छाया रहा। इतनी भारी संख्या का कोलाहल भी नहीं सुनाई दिया था। गाँधीजी के निजी सचिव श्री महादेव भाई ने कहा था 'मुझे आश्चर्य है कि ये आज्ञाएँ कहाँ तक मानी जाएंगी।' लेकिन अपनी आँखों और कानों से देखी और सुनी उस सभा की चुप्पी से वे ठगे से रह गए थे।''

प्रधान सचिव पं. गोपीचन्द भार्गव पूर्वी पंजाब ने लिखा था कि ''उन्होंने देशवासियों को प्रभावित किया था। उनकी दूरदर्शी, बुद्धिमता, निःस्वार्थ सेवा, आदर्श-देश भक्ति ने प्रेरणास्पद कार्य किया था। जो नई पीढ़ी केलिए अनुकरण का अनुपम उदाहरण प्रमाणित होगा।''

उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक ही चिन्ता थी कि हाल ही में प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता हमेशा कायम रहे। सभी में भाईचारा और साम्प्रदायिक एकता की भावना का संचार आत्मा तक में अपनी दृढ़ नींव डाल दें तो अधिक श्रेष्ठ हैं।

हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी यही दृढ़ आस्था है। उनकी योजनानुसार भारत में एक सागर के मध्य जो विश्व में सबसे ऊँची इस्पात की पटेल की प्रतिमा होगी। 15 दिसम्बर सन 1950 को पटेल का देहान्त हो गया था। यूँ समझो गाँधी जी की मृत्यु के बाद ये दूसरा प्रकाश स्तंभ था जिसने हमेशा के लिए विश्राम कर भारत को अंधकार में डुबा दिया।

नई पीढ़ी के शिक्षक और शिक्षार्थी लोहपुरुष के गुणों का अनुशीलन कर भारत को समृद्धि के स्वर्णिम शिखर पर आसीन करें। तभी लोहपुरुष के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

गुप्ता सदन,
एस.बी.के. गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल के पास,
मंडी अटलबंद, भरतपुर-321001
मो. 9828539575

कक्षा 10 एवं 12 में लागू

रुचिपूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा के लिए एक नवाचार : प्रायोजना कार्य

❒ डॉ. राधाकिशन सोनी

पूर्व में शिक्षा के प्रति लोगों की कोई विशेष रूचि नहीं थी। शिक्षा का विषय सरकार की प्राथमिकता में भी नहीं था। इच्छुक लोग अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजते थे, जहाँ पर बालक के सर्वांगीण विकास की शिक्षा दी जाती थी। कालान्तर में जाकर शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव आया और शिक्षा गुरुकुल की बजाय पाठशाला में दी जाने लगी। अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों के चलते सरकारों ने भी शिक्षा के महत्त्व को स्वीकारा और शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास शुरू किए। शिक्षा के प्रति सामाजिक चेतना भी जागृत हुई और लोगों ने भी इस दिशा में ध्यान दिया। इस जागरूकता के कारण शालाओं की संख्या बढ़ने लगी। शासन और जनता ने शिक्षा क्षेत्र में रूचि ली और सभी के सामूहिक प्रयासों से शैक्षिक प्रबंधन सुदृढ़ होने लगा। शिक्षा व्यवस्था में भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

प्रतिभावान, कमजोर एवं असहाय विद्यार्थियों की शिक्षा सुलभता के लिए अनेक प्रेरणादायी एवं कल्याणकारी योजनाएँ शुरु की गई। वर्तमान वैश्विक युग में माध्यमिक शिक्षा पूर्णत: नि:शुल्क हो गई है। अब शिक्षा का स्वरूप बदल कर बालकेंद्रित हो गया है।

भौतिक सुविधाओं तथा अन्य लाभकारी योजनाओं की सुनिश्चितता के बाद शालाओं में नामांकन-वृद्धि की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। नामांकन में वृद्धि शिक्षा का परिमाणात्मक पहलू है किन्तु वास्तविक शिक्षा के लिए उसके गुणात्मक पक्ष को ध्यान रखना भी जरूरी है। कारण कि संख्यात्मक एवं गुणात्मक शिक्षा दोनों ही शिक्षा व्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं।

शालाओं में नामांकन-वृद्धि के मुकाबले में परिणामों में आशातीत सफलता नहीं मिली है। यह शाश्वत सत्य है कि संख्यात्मक वृद्धि से गुणात्मकता में कमी आती है बशर्ते परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों। हरेक व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ अच्छा करने की सोच रखता है। गुणात्मकता में वृद्धि के तरीके खोजता है।

शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार लाने के लिए शैक्षिक नवाचार किए जाते हैं। नवीन शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग के साथ-साथ शिक्षण को रुचिकर एवं आनन्ददायी बनाने के लिए अनेक विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं जिनमें कहानी, खेल, भ्रमण, प्रदर्शन, वैयक्तिक अध्ययन, प्रोजेक्ट वर्क आदि हैं।

ये पद्धतियाँ विद्यार्थी को भययुक्त वातावरण से निकालकर स्वतंत्रता एवं सुगमता से कार्य करने को प्रेरित करती हैं जिससे उनमें न केवल अभिव्यक्ति एवं आत्मविश्वास अपितु अन्वेषण योग्यता, निर्णय शक्ति, मूल्यांकन क्षमता, सृजनात्मक, रचनात्मक प्रभृति कौशलों का विकास होता है।

प्रभावी शिक्षण की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी इन नवाचारी विधियों को शिक्षक प्रयुक्त कर सकता है। इन विधियों में से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 एवं 12 में 'प्रायोजना विधि' को लागू भी कर रखा है। इन दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विषय में प्रोजेक्ट बनाना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए बोर्ड ने प्रत्येक विषय में अंक भी निर्धारित कर रखे हैं जो सत्रांक में गिने जाते हैं। बोर्ड नियमानुसार सत्रांक सम्बन्धी समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र की परीक्षा तक सुरक्षित रखना होता है। विद्यार्थी प्रॉजेक्ट वर्क शिक्षक के निर्देशन में पूर्ण करता है। विषय शिक्षक एवं विद्यार्थी आपसी चर्चा कर प्रोजेक्ट कार्य के विषय एवं शीर्षक का निर्धारण करते हैं। विषय अध्यापक द्वारा प्रोजेक्ट विषयों की सूची तैयार कर 31 जुलाई तक संस्थाप्रधान से अनुमोदित करवाने के निर्देश हैं। बोर्ड के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 31 अक्टूबर तक विद्यार्थी प्रोजेक्ट के विषय को बदल सकता है। प्रोजेक्ट कार्य का प्रतिवेदन 31 दिसम्बर तक विषयाध्यापक को प्रस्तुत करना होता है जिसका शिक्षक द्वारा मूल्यांकन कर सत्रांक निर्धारित किए जाते हैं।

आइए! जानते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में।

'प्रोजेक्ट विधि'

प्रोजेक्ट तैयार करने का उद्देश्य छात्रों में विषयगत ज्ञान को व्यावहारिक एवं क्रियात्मक रूप प्रदान करना है। यह अनुभव आधारित शिक्षण विधि है। चूँकि इस योजना में अनुभूत समस्या को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी समस्या से सम्बन्धित समंक एवं सूचनाएँ एकत्रित करता है। विषयवस्तु का अध्ययन, संकलित समंकों एवं सूचनाओं का सारणीयन, विश्लेषण तथा निर्वचन कर समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है और समस्या का समाधान खोजा जाता है।

प्रोजेक्ट तैयार करने से विद्यार्थियों में सक्रियता बढ़ती है तथा विषय के प्रति रुचि जागृत होती है। कल्पनाशक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास होता है। यह सामाजिकता पर बल देती है। विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में सारा कार्य स्वयं करता है। इस विधि के प्रवर्तक डब्ल्यू .एच. किलपैट्रिक थे।

प्रोजेक्ट वर्क के प्रकारों में चार्ट, मानचित्र बनाना, मॉडल, आशुरचित उपकरण तैयार करना, सर्वे करना, साक्षात्कार लेना, स्थानीय परिवेश, जीवन्त परिस्थितियों से सम्बन्धित विषय शामिल होते हैं। शीर्षक का चयन एवं अध्ययन की आवश्यकता, रूपरेखा एवं क्रियान्वयन, प्रोजेक्ट वर्क के निष्कर्ष एवं प्रोजेक्ट प्रतिवेदन लेखन की भाषा की उपयुक्तता आदि मूल्यांकन के आधार होते हैं।

'प्रोजेक्ट तैयार करने के चरण'

1. सर्वप्रथम विषय से सम्बन्धित शीर्षक का निर्धारण करना।
2. प्रदत्त शीर्षक के आधार पर विषय-वस्तु का चयन करना।
3. विषय-वस्तु को अलग-अलग बिन्दुओं के आधार पर विस्तारित करना।
4. आवश्यकतानुसार उप शीर्षक बनाना।
5. मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण बातों को ही शामिल करना।
6. आवश्यक चार्ट, चित्र आदि का प्रयोग

करना।
7. विभिन्न प्रकार के रंगों के स्केच पेन का प्रयोग कर आकर्षक तरीके से प्रतिवेदन तैयार करना।
8. प्रतिवेदन हस्तलेख में तैयार करना।
9. अन्त में निष्कर्ष देना।
10. अध्ययन की उपयोगिता बताना।
11. सन्दर्भ सामग्री का उल्लेख करना।

'प्रोजेक्ट प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु' :

1. शीर्षक
2. प्रोजेक्ट चयन के उद्देश्य
3. प्रोजेक्ट की रूपरेखा तथा परिसीमाएँ
4. आवश्यक सामग्री
5. कार्यविधि
6. दत्त-संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण
7. निष्कर्ष, मूल्यांकन
8. उपयोगिता
9. सन्दर्भ सूची

'प्रतिवेदन का प्रथम पृष्ठ'

1. विषय :
2. प्रोजेक्ट का नाम :
3. प्रोजेक्ट का शीर्षक :
4. माध्यम :
5. विद्यालय का नाम :
6. विद्यार्थी का नाम :
7. पिता का नाम :
8. कक्षा :
9. विषय अध्यापक का नाम :
10. अध्ययन की अवधि :
11. प्रोजेक्ट जमा करवाने की तिथि :
12. विद्यार्थी के हस्ताक्षर :
13. अधिकतम अंक :
14. प्राप्तांक :
15. शिक्षक के हस्ताक्षर एवं दिनांक :

वरिष्ठ अध्यापक
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)
मो. 7742331431

सत्य बोलने से साहस निर्माण होता है, अतः सत्य से बड़ा कोई सम्बल नहीं हैं।

कैसे लाएँ शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम

❐ **अनिल बोड़ा**

देश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों तक आज के शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम की सोच सरकार व समाज में अपना पूर्णतः स्थान ले चुकी है। शिक्षा के विकास व शिक्षा द्वारा समाज एवं देश के विकास के लिए इस अवधारणा से बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। सकारात्मक पहलू व परिणाम यह भी है कि वर्तमान में हर शिक्षक व संस्थाप्रधान नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ से ही आगामी सत्र के उत्कृष्ट परिणाम के बारे में गहनता से विचार करते हुए पूरे सत्र की कार्य योजना बनाने में लग जाता है।

इन सब प्रयासों का यह धनात्मक नतीजा आने लगा है कि बोर्ड परीक्षाओं यानि 10वीं व 12वीं या पूर्व की 11 वीं के जहाँ परीक्षा परिणाम 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक ही रह पाते थे वर्तमान में 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक परीक्षा परिणाम आने लगे हैं जो कि आने वाले कुछ ही वर्षों में शत-प्रतिशत तक पहुँच जाएगा।

परीक्षा परिणाम को सर्वप्रथम शत-प्रतिशत की तरफ ले जाना, यह लक्ष्य प्राप्त होने पर सभी विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी से परीक्षा में सफलता दिलाने व अंतिम लक्ष्य के रूप में सभी विद्यार्थियों को 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अंक दिलवाने के लिए सर्वप्रथम संस्थाप्रधान को वृहद् कार्य योजना बनानी होगी व पूरे शैक्षिक स्टाफ को पूर्ण रूप से इस 'मिशन' में शामिल करना होगा। सर्वप्रथम बच्चों को शत-प्रतिशत विद्यालय में उपस्थित रहने को प्रोत्साहित करना होगा। जब सभी विद्यार्थी रोजाना बिना किसी अवकाश विद्यालय में आना शुरू हो जाएँगे तो बच्चों में नियमितता का विकास होगा। इसके बाद सभी अध्यापक-अध्यापिकाओं को संस्थाप्रधान द्वारा प्रेरित करना होगा कि बोर्ड परीक्षा तक यथासंभव किसी भी तरह का अवकाश न ले। किसी विशेष परिस्थिति में अगर अध्यापक-अध्यापिका को अवकाश लेना भी पड़े तो विकल्प के तौर पर हर विषय को पढ़ाने हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक-एक अध्यापक को तैयार रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 8वीं या 10वीं कक्षा के लिए विज्ञान का अध्यापक गणित व गणित का अध्यापक विज्ञान पढ़ाए। उसी तरह हिन्दी का अध्यापक संस्कृत व संस्कृत का अध्यापक हिंदी पढ़ा दे। संस्थाप्रधान स्वयं या अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल कोई अध्यापक अंग्रेजी विषय के अध्यापक की अनुपस्थिति में अंग्रेजी का अध्यापन करवा दे। इसी क्रम में शारीरिक शिक्षक व उपलब्ध हो तो लाइब्रेरियन या प्रयोगशाला सहायक को भी अध्यापन कार्य हेतु प्रेरित करके सेवाएँ ली जा सकती है।

संस्थाप्रधान को प्रतिदिन हर कक्षा का कम से कम एक बार अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए व यदि किसी भी विषय में अध्यापन कार्य सही नहीं हो रहा हो तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी बच्चों से लेते हुए तुरंत ही समस्या का हल करना चाहिए। महीने के अंत में या कम से कम कभी भी हर माह में 1 बार बच्चों का लिखित टेस्ट अध्यापक द्वारा लेना चाहिए व संस्था प्रधान द्वारा उसकी जाँच की जानी चाहिए। इन सब नियमित प्रयासों के बाद भी अगर कुछ बच्चे ज्यादा कमजोर रह रहे हैं तो उनकी छुट्टी के दिन भी बैकअप कक्षाएँ लगानी चाहिए। इस हेतु संस्था प्रधान को स्टाफ के साथ एक उचित सामंजस्य रखना जरूरी है।

इन समस्त चीजों के साथ एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि संस्थाप्रधान को चाहिए कि वह अपने स्टाफ को किसी भी प्रकार की समस्या में नहीं उलझने दे। मसलन किसी भी अध्यापक-अध्यापिका का वेतन/एरियर/एसीपी/ जीपीएफ, एन.पी.एस. या एस. आई. से संबंधित कोई कार्य बाधित या देरी से हो रहा हो या सर्विस बुक/छुट्टियों आदि का कोई प्रकरण हो कि संस्थाप्रधान को तुरंत ही इस तरह के कार्यों को प्राथमिकता से निपटाना चाहिए। इस तरह के कार्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण होते है क्योंकि अध्यापक-अध्यापिका का ध्यान इस तरह के कार्यों में ही उलझ जाता है। एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभी किसी विद्यालय में किसी भी साथी अध्यापक-अध्यापिका के स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई समस्या आ सकती है ऐसी परिस्थिति में संस्थाप्रधान का दायित्व बनता है कि उसे पूरा सहयोग करे व हो सके तो परिवार भाव से घर जाकर भी मिले।

कुल मिलाकर ये कुछ महत्त्वपूर्ण नुस्खें अपनाकर शाला के बोर्ड-परीक्षा के परिणाम को शत-प्रतिशत बनाया जा सकता है।

प्रधानाध्यापक
रा.मा.वि. गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर
मो: 9828591533

परिणाम उन्नयन

अंग्रेजी विषय में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम कैसे

❒ रूपनारायण काबरा

दलीय पर्यवेक्षण हेतु आए पाँच शिक्षाधिकारी एवं शिक्षकों ने एक छोटी सी मीटिंग में अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, ''आपके विद्यालय के लगातार तीन वर्ष से सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम रहे हैं। हम यह अध्ययन करने और जानने आए हैं कि आपके विद्यालय के श्रेष्ठ परीक्षा परिणामों का राज क्या है? हमने आपके यहाँ पढ़ रहे छात्रों से भी बातें की है, वातावरण को भी समझा है। सब कुछ देखने जानने का प्रयास किया है। हम मुख्य रूप से यह जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी विषय का परिणाम जो कि उत्कृष्ट है उसके पीछे क्या योजना है?''

यह प्रश्न तो मुझे भी भला लगा। अंग्रेजी अध्यापक होने के नाते इस संदर्भ में सुनने, जानने, सीखने को मैं भी काफी उत्सुक था। मैं भी उस दिन परिस्थिति वश वहीं उपस्थित था।

विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक ने बताया कि उनका अंग्रेजी शिक्षण मुख्यतः 11 बिन्दुओं या स्टेप्स पर आधारित है और समस्त शिक्षण योजना निम्न स्टेप्स में समाहित है :-

1. टू-मिनट टॉक: रोज कक्षा के केवल तीन छात्र दो-दो मिनट के लिए कक्षा के समक्ष अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं। अपनी रुचि के अनुसार वे कुछ भी बोल सकते हैं। कोशिश तो यही की जाती है कि वे अपनी रचना बोलें और कई ऐसा करते भी हैं। वे अपनी बारी के पहले ही अपनी स्वयं की रचना तैयार करके संशोधन करवा लेते हैं और फिर याद करके बोल लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न टॉपिक्स, यथा 'माई फैमिली', 'द लुक आई लाईक्ड', 'द फिल्म आई लाइक्ड', 'माई बस जर्नी' इत्यादि पर उनको लिखना आ जाता है। यह फायदा भी होता है कि उनकी 'स्पोकन इंग्लिश' सुधरती है, खुलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। इस प्रकार यह एक बहूद्देशीय कार्यक्रम है।

2. डेली डिक्टेशन : कालांश में सर्व प्रथम रोज लगभग 10 शब्दों का श्रुतिलेख कराया जाता तत्पश्चात् बोर्ड पर लिखकर जाँच करा दी जाती है। सभी छात्र अपना रोज का स्कोर (सही के अंक) अपनी डायरी में अंकित कर लेते हैं। लिखाए गए शब्द मुख्यतः पढ़ाए गए पाठों से संबंधित होते हैं।

3. वोकेबुलेरी प्रोजेक्ट : इसके अन्तर्गत प्रत्येक माह में 150 शब्द दिए जाते हैं जो 'इंसोरीयल वर्ड्स' होते हैं और व्यापक उपयोग के तथा इफेक्टिव वोकेबुलेरी के होते हैं और जिनकी (Spellings) वर्तनी विशिष्ट हो यथा hygiene, remedy, competition, anaesthetics, behaviar, discipline, separate इत्यादि शब्द दो किश्तों में प्रत्येक माह की दिनांक 7 तक निश्चित रूप से लिखा दिए जाते हैं। कक्षा में ये शब्द चार्ट पर भी टंगे रहते हैं "Words For the Month...." लगभग 25 ता. को एक रिहर्सल टेस्ट होता है और माह के अन्तिम दिन फाइनल टेस्ट एक पृथक पन्ने पर लिया जाता है, 30 शब्द लिखाकर और इसकी जाँच भी कक्षा में ही कराई जाती है। प्रथम पंक्ति के छात्रों के पन्ने अन्तिम वालों को, इस प्रकार पन्ने अदल-बदल करके कक्षा में ही जाँच करा ली जाती है, बोर्ड पर सही शब्द लिखकर। सभी का स्कोरिंग होता है और इन टेस्टों के स्कोर का अभिलेख भी रखा जाता है। हर तीसरे महीने प्रतियोगिता-परख होती है जिसमें कुछ पुरस्कार की व्यवस्था भी होती है। फरवरी माह में लगभग 800 शब्दों में से 60 शब्द लिखाकर फाइनल जाँच होती है जिसकी परीक्षा और जाँच पूरी गंभीरता से की जाती है। इस प्रोजेक्ट का सीधा प्रभाव शुद्ध लेखन एवं उपयुक्त शब्द ज्ञान पर पड़ता है।

4. लिखित कार्य की जाँच : गृह कार्य इतना ही दिया जाता है जिसे छात्र बिना विशेष भार के कर सकें और जिसकी उचित जाँच की जा सके। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि कार्य बहुत ही कम दिया जाए। निबन्ध, पत्र लेखन इत्यादि के अतिरिक्त शेष सभी कार्य एक साथ, सभी का बोर्ड पर उत्तर लिखकर संशोधन करा दिया जाता है। ग्रामर के अभ्यास प्रश्न भी कक्षा में ही सबसे ठीक करा दिए जाते हैं फिर हस्ताक्षर करते वक्त सरसरी निगाह से और देख लिया जाता है। दूसरा लिखित कार्य देने से पूर्व पहले दिया गया कार्य निश्चित रूप से जाँच लिया जाता है ताकि गलतियाँ 'कैरीड ओवर' न हों।

5. अनुवर्ती कार्य : लिखित कार्य का यह अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण चरण है। जो अशुद्धियाँ पहले आई हैं उन्हें सही करना, गलत वर्तनी वाले शब्दों को सही रूप में दस बार लिखना होता है। यह भी देखा जाता है कि छात्र उन्हीं अशुद्धियों को पुनः तो नहीं कर रहे हैं। जाँचना केवल जाँचने के लिए ही नहीं लिखाने के लिए भी किया जाता है।

6. छात्रों से परीक्षा में पाठ्यपुस्तक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं अतः इनका भी अच्छा अभ्यास कराया जाता है। एक प्रश्न बैंक भी बनाकर दे दिया जाता है और सभी छात्रों को उनके उत्तर याद करने का अभ्यास कराया जाता है। ये प्रश्न 50 अंकों के प्रश्न-पत्र में लगभग 18 अंक भार के होते हैं। अतः इनकी तैयारी को महत्त्व देना ही होता है।

7. सप्लीमेन्टरी रीडर्स : सरल अंग्रेजी में लिखी गई कहानियों की पुस्तकें यथा 'द बॅगर किंग', 'गुलिवर्स ट्रेवल्स', 'रोबिन्सन क्रूसो' 'द फेयरी टेल्स', अराउंड द वर्ल्ड इन एटी डेज' इत्यादि तथा चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित कम से कम 10 पुस्तकें प्रत्येक छात्र को दिसम्बर तक पढ़नी होती है। इस सबका अभिलेख भी रखा जाता है। प्रत्येक छात्र को पुस्तक की पढ़ी गई कहानी बहुत संक्षेप में अपनी भाषा अंग्रेजी में लिखनी होती है, जिसे जाँचा और सुधारा भी जाता है। सीखे गए शब्दों को नोट बुक में अर्थ सहित लिखा जाता है। पुस्तकालय से लगभग 50 पुस्तकें एक बार में ही निकलवा ली जाती हैं और फिर छात्रों में परस्पर आदान-प्रदान चलता रहता है। कुछ छात्र तो 10 से ज्यादा लगभग 15-16 पुस्तकें भी पढ़ डालते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। दोनों की उपलब्धियों का अन्तर भी स्वाभाविक है।

8. ग्रुप कम्पोजीशन : यह संभव नहीं है कि निबन्ध अथवा पत्र लेखन सभी का जाँचा जा सके, इसलिए कक्षा में केवल 5 या 7 ग्रुप बना दिए जाते हैं। ग्रुप ही मिल बैठकर अपना निबन्ध पूरा करता है। अध्यापक उसे जाँचते हैं और फिर ग्रुप के सभी छात्र इसे अपनी नोट बुक में उतार लेते हैं। यह कोशिश की जाती है कि ग्रुप लीडर

सभी सदस्यों को पूरा सहयोग दें।

9. पाक्षिक परख : वैसे सामान्य जाँच तो शिक्षण के साथ-साथ भी प्रायः चलती रहती है। पाक्षिक परख उस अवधि में पढ़ाई गई सामग्री का होता है। स्कोरिंग और अभिलेख आवश्यक है। इससे छात्र की स्थिति एवं गति का पता चलता है, स्वयं छात्र को, अध्यापक को और दिखाने पर अभिभावक को भी। इस कार्यक्रम से सामान्यतः सभी छात्रों में सतत् सजगता एवं अध्ययनशीलता बनी रहती है। हर बार उच्चतम अंक प्राप्तकर्ता को विशेष प्रोत्साहित किया जाता है और विकासमान को भी उत्प्रेरित किया जाता है तथा निम्न स्तर वालों को भी प्रेरित किया जाता है। हतोत्साहित तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। टेस्ट पेपर की व्यवस्था साइक्लोस्टाइल के अभाव में रॉल-अप बोर्ड से भी कर ली जाती है।

10. डिक्शनरी प्रतियोगिता : वर्ष में लगभग चार बार डिक्शनरी से शब्द का अर्थ ढूँढ़ने की प्रतियोगिता होती है। इसमें प्रतियोगिता विभिन्न समान ग्रुप्स के अन्तर्गत होती है क्योंकि होशियार छात्रों से कमजोर छात्र तो कभी जीत ही नहीं पाएँगे और वे फिर इस प्रतियोगिता के प्रति उदासीन रहेंगे। अतः समान स्तर वाले छात्रों के ग्रुप बनाकर उनके बीच ही प्रतियोगिता रखी जाती है। पुरस्कार की व्यवस्था अध्यापक अपनी सूझ-बूझ से कर लेता है।

11. बाह्य मूल्यांकन : समय समय पर अन्य अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक इत्यादि के द्वारा वर्तनी, शब्दार्थ एवं व्याकरण संबंधी ज्ञान की जाँच कराई जाती है जो सामान्यतः मौखिक ही हुआ करती है। इस बाह्य जाँच के प्रति छात्र बड़े सचेष्ट होते हैं और अपनी उत्तम छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं।

विद्यालय के इन परिश्रमों अनुभवों एवं कर्मठ अध्यापक जी द्वारा बताई गई सभी बातें व सुझाव मैंने नोट किए और इन्हें पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अब यह आप पर है कि आप इससे कितना लाभ उठाते हैं। मैंने स्वयं आजमाइश की है और स्वयं ही उत्कृष्ट परिणाम दिए है, आप भी करके तो देखिए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य हेतु।

से.नि. व्याख्याता
ए-438, किशोर कुटीर, वैशाली नगर,
जयपुर-302021
मो. 8233360830

SIQE

पोर्टफोलियो : शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का दर्पण

❐ धर्मेश कुमार जैन

शिक्षा का व्यापक उद्देश्य बच्चो को जीवन जीने की कला सिखाना है। जिससे वे स्वयं को स्वस्थ रखने के साथ अपने चारों ओर के पर्यावरण को भी संतुलित रख कर उसे संरक्षित कर सके। यह भी आवश्यक है कि उनमें भावी पीढ़ी के लिए जवाबदेही हो। इन सबके लिए विद्यालय में शिक्षको द्वारा शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चो को विविध अनुभव दिए जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह उद्देश्य किस सीमा तक पूरा हो पा रहा है, अब तक कितनी सफलता इस दिशा में प्राप्त हुई है ,इसमें विभिन्न घटकों यथा अभिभावक, शिक्षक, बच्चे, नीति निर्धारक आदि की क्या भूमिका रही है यह सब कुछ बताने वाला विद्यालय स्तर का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पोर्टफोलियो है। यह एक फाइल के रूप में होता है।

पोर्टफोलियो क्या है ?

पोर्टफोलियो किसी बच्चे के शैक्षणिक कार्यों का एक संकलन और शैक्षिक प्रगति का प्रमाण हैं जो -

- बच्चों के द्वारा अर्जित कौशलों की गुणवत्ता, सीखने की प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए इकट्ठे हुए हैं।
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बच्चों को पाठ्यक्रमों, ग्रेड अथवा कक्षोन्नति, और आगामी स्तर की पढ़ाई के लिए सीखने के मानक प्रतिफल को अर्जित करने के स्तर को दर्शाता हैं।
- बच्चों को स्वयं के शैक्षणिक लक्ष्यों और शिक्षार्थियों के रूप में प्रगति पर रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है।
- बच्चों के अकादमिक काम, उपलब्धियों और अन्य दस्तावेजों के स्थायी संग्रह है। इससे शिक्षकों को काम को संकलित करने, समीक्षा करने और मूल्यांकन करने में मदद मिलती है।

राज्य के प्रत्येक राजकीय विद्यालय, जिनमें प्राथमिक कक्षाएँ संचालित है, में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पोर्टफोलियो को संधारित किया जाना आवश्यक है।

पोर्टफोलियो कैसे संधारित करें ?

सामान्यत: यह देखा गया है कि पोर्टफोलियो में बच्चो के बेसलाईन/ पदस्थापन व योगात्मक आकलन के दौरान लिए गए पेपर पेंसिल टेस्ट के साथ-साथ बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को ही इसमें रखा जाता हैं। लेकिन वास्तव में यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का दर्पण तभी बन सकता है जब शिक्षक अपने द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप किसी निश्चित समयावधि साप्ताहिक या पाक्षिक में बच्चो ने जो कुछ सीखा है उसके कुछ नमूने उसमें संग्रहित करें। जैसे:-किसी पाक्षिक योजना में शिक्षक का उद्देश्य कक्षा 3 में बच्चों को अपने आस-पास के पालतू जानवरों की पहचान करवाना था तो बच्चो के पोर्टफोलियो में एक या दो कार्यपत्रक ऐसे जरूर होने चाहिए जिसमें बच्चों ने अपने आस-पास के जानवरों के नाम लिखे हों उनके चित्र बनाकर उनके बारे में दो या तीन बातें लिख पाए हों। इसी प्रकार बच्चे की अवलोकन क्षमता का विकास को दर्शाने वाला एक कागज जिसमें बच्चों ने अपने यहाँ के किसी मेले, शादी-ब्याह, त्योहार आदि का अपने शब्दों में वर्णन किया हो, भी संकलित हो सकता है । अत: एक अच्छे पोर्टफोलियो से बच्चों की सतत शैक्षिक प्रगति की जानकारी प्राप्त हो सके इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा होना चाहिए। पोर्टफोलियो वास्तव में विषयों के एकीकरण को भी स्थान देता है। पोर्टफोलियो में संकलित उपर्युक्त वर्णन से भाषा के साथ पर्यावरण विषय में भी आकलन किया जा सकता है।

पोर्टफोलियो का उपयोग

जिस प्रकार दर्पण के सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको अपना चेहरा दिखाई देता है

ठीक उसी प्रकार पोर्टफोलियो भी देखने वाले को अपनी सूरत दिखा सकता है।

- **बच्चों के लिए उपयोग**

पोर्टफोलियो बच्चों को स्व-आकलन के पर्याप्त अवसर देता है। यह अपने अधिगम में अब तक की प्रगति को दिखाता है। बच्चे इसमें देख कर यह बता सकते है कि हमने अब तक क्या-क्या सीखा, मुझे क्या नहीं आता है, मेरे साथी को कितना आता है, किस विषय में मैने क्या-नया सीखा, मेरी कक्षा में सहभागिता अन्य साथियो की तुलना में कितनी रही आदि।

- **शिक्षकों के लिए उपयोग**

शिक्षकों को यह अपने प्रयासों का प्रतिफल बताता है जिससे उसे आगे की योजना के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान कर सकता है जैसे तीसरी कक्षा के अधिकांश बच्चे केवल बिना हासिल की जोड़ कर पा रहे हैं तो शिक्षक को आगे हासिल की जोड़ पर कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे **कि** व **की** में फर्क नहीं कर पा रहे है तो इसके लिए शिक्षक को विशेष योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है यह जानना चाहिए।

- **प्रशासकों के लिए उपयोग**

प्रशासकों को यह अपनी नीतियों की समीक्षा का मार्गदर्शन भी देता है। एक नियमित संधारित पोर्टफोलियो देख कर शिक्षा प्रशासक आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि कक्षा में अब तक किस प्रकार का कार्य बच्चों के साथ हुआ है। इसमें बच्चों को किस प्रकार के अनुभव दिए गए है, शिक्षक इन अनुभवों को देने में कहाँ तक सफल हो पा रहे है। शिक्षकों को और किस क्षैत्र में अधिक संबलन की आवश्यकता है। कक्षा की गतिविधियाँ किस हद तक पाठ्यक्रम के साथ न्याय कर पा रही है।

- **संस्थाप्रधानों के लिए उपयोग :-**

संस्थाप्रधान विषयाध्यापकों को पोर्ट-फोलियों के आधार पर आवश्यक मार्गदर्शन दे सकते है। विषयाध्यापक द्वारा बच्चों के साथ किए गए प्रयासों की समीक्षा कर सकते है। साथ हीं मासिक बैठक में विषयवार बच्चों के अधिगम प्रगति की समीक्षा भी पोर्ट फोलियों के आधार पर की जा सकती है।

- **अभिभावकों के लिए उपयोग**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षकों से अपेक्षा करता है कि बच्चो की शैक्षिक प्रगति को नियमित दर्ज किया जाए व इसे बच्चो के अभिभावकों के साथ समय-समय पर साझा किया जाए। इस दिशा में पोर्टफोलियो एक सशक्त साधन का काम करता है इसे दिखा कर अभिभावकों को उनके बच्चों के साथ विद्यालय में किए जा रहे प्रयासों को साझा किया जा सकता है। इससे अभिभावको का विद्यालय के प्रति विश्वास बना रहता है।

पोर्टफोलियो की आवश्यकता व उसकी व्यापक समझ भावी शिक्षकों में भी हो, इसके लिए डाईट डूँगरपुर में इस सत्र से डी.एल.एड के प्रशिक्षणार्थियों का भी पोर्टफोलियो बनाकर संधारित किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पाठ योजना तैयार की जाकर उसका रिकार्ड रखा जा रहा है। इसी प्रकार हिन्दी दिवस के दिन प्रशिक्षणार्थियों की मुहावरा लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर परस्पर आकलन एवं टिप्पणी दर्ज करवा कर पोर्टफोलियो फाईल में रखा गया है। इससे ये भावी शिक्षक विद्यालय में जाकर इसका प्रभावी संधारण कर अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके।

व्याख्याता (रसायन)
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

एक सेवा मुक्ति ऐसी भी

मैंने मेरे लेख का शीर्षक 'सेवानिवृत्ति' के स्थान पर सेवामुक्ति रखा है जो शायद पढ़ने वाले को कुछ अटपटा लगे। मेरा मानना है कि निवृत्ति के बाद जीवन में कुछ करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। पिंजरे के तोते को जब मुक्ति मिल जाती है तब उसकी उड़ान में कितनी स्फूर्ति आ जाती है। इसका अंदाजा उसके चेहरे व परों से लग जाता है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की राजकीय सेवामुक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले पैसों से दस लाख रुपए जिला कैंसर रिलिफ फंड को भेंटकर एक मिशाल कायम की है। जिसे हम बेमिशाल ही कहेंगे। इसके साथ विद्यालय में बाल वाटिका के लिए अस्सी हजार रुपए के करीब दान देने की घोषणा अपने सेवामुक्ति के दिन की है। सत्र 2016-17 का बारहवीं बोर्ड के अंग्रेजी विषय परीक्षा परिणामः 112 विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत देने पर विद्यालय परिवार तहेदिल से आभारी हैं। मैं इस विद्यालय के सुभाषचन्द्र कस्वां प्राध्यापक (अंग्रेजी) की बात कर रहा हूँ जिनकी सेवामुक्ति 30 सितम्बर 2017 को विद्यालय से हुई। संवेदना के स्वर से बंधे हुए कस्वां जी ने अपने जीवन में काफी उतार-चढ़ाव देखे। सत्रह वर्ष के इकलौते पुत्र को जब कैंसर से जूझते हुए देखा व लाख कोशिश के बावजूद उसे नहीं बचा पाए तब मस्तिष्क में विचार कौंधा। उन्होंने तय किया ''भले ही मैं अपने पुत्र को तो नहीं बचा पाया यदि मेरे प्रयास से किसी घर का दीपक इस बीमारी से संघर्ष कर बच पाता है तो मैं यह मानूँगा कि मैंने मेरे ही पुत्र व अन्य किसी रोगी को परिवार के साथ रहने का अवसर प्रदान किया है।'' यह बीमारी रोगी को तन,मन व धन तीनों ओर से वार कर मारती है। बच्चों के प्रति बेपनाह प्यार की वजह से बाल वाटिका बनाने का जिम्मा सारा का सारा अपने ऊपर ले लिया है। स्कूल शिक्षा में श्री कस्वां ने एम.ए. (अंग्रेजी) बी.एड. की उपाधि अर्जित कर प्रथम नियुक्ति अध्यापक पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भादवा (सांभरलेक) जयपुर से शुरू की। सन् 1990 में सीधी भर्ती द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) पद पर चयनित होकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय मण्डा भीमसिंह (सांभरलेक) जयपुर में नियुक्त हुए। सन् 1995 में अपने गृह जिले झुंझुनूं में स्थानान्तरित होकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय घनूरी में प्रवेश किया। सन् 2007 में अपने पैतृक गाँव हेतमसर में स्थानान्तरण से अपनी सेवाएँ दी। सन् 2015 में अपने पूर्व अध्ययन स्थल राजकीय फूलचंद जालान आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूँआ (झुंझुनूं) में प्राध्यापक (अंग्रेजी) पद पर सेवा प्रदान करने का अवसर विभाग ने बिना किसी माँग के उनकी झोली में डाला जिसका शुक्रिया वे हर वक्त करते रहे। शिक्षा विभाग में प्रवेश करने के पश्चात् उन्होंने अपने जीवन को शिक्षक कम अपितु विद्यार्थी ही माना। इसी का ही परिणाम था इन्होंने सन् 1990 में एम.एड. परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर (चुरु) से उत्तीर्ण की। सन् 2004 में बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर से स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में एम.ए. (दर्शनशास्त्र) से परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने सेवामुक्ति के अंतिम वर्ष सन् 2017 में स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में एम.ए. (समाजशास्त्र) से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से उत्तीर्ण की। राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में छपे इनके लेख राजस्थान शिक्षा विभाग का गौरव साबित हुए है। ऐसा मैं सोचता हूँ। सेवामुक्ति के दिन इनकी पुस्तक 'शब्द दौड़' का विमोचन हुआ जो भारतीय प्रशासनिक सेवा व राज्य सेवा के अभ्यर्थियों के लिए निबंध लेखन क्षेत्र में काफी सामग्री को समेटे हुए है।

नईम अहमद, प्रधानाचार्य राज. फूलचंद जालान आदर्श उ.मा.वि. नूँआ (झुंझुनूं)-333041 **मो: 9602700967**

आदेश-परिपत्र : दिसम्बर, 2017

1. हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि 15-12-2017
2. वार्षिक अंशदान की नई संशोधित दरें, सहायता राशि में बढ़ोतरी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ऋण राशि में बढ़ोतरी बाबत।
3. राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) वेतनमान रूल्स-2017 के अनुसार वेतन स्थिरीकरण बाबत।
4. राज्य की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्था में आने व जाने हेतु परिवहन के निजी साधनों के अतिरिक्त बहु संख्या में शिक्षण संस्था के स्वयं के वाहनों तथा सार्वजनिक सेवा वाहनों के उपयोग के संबंध में निर्देश।
5. 2017-18 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।
6. हितकारी निधि नियम 13(क) निधन पर सहायता राशि बाबत्।
7. हितकारी निधि से बालिका शिक्षा पर ऋण सुविधा
8. 45वीं राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता सत्र 2017-18 का आयोजन।

1. हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि 15-12-2017

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/हिनि/28129/2016-17 दिनांक : 1.11.2017 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) ● विषयः हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि 15-12-2017

हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर शिक्षा विभाग में राजकीय सेवा में कार्यरत समस्त वर्ग के शिक्षा अधिकारियों/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा/अध्यापकों/मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारियों) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनार्थ वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप-पत्र में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किए जावें:-

1. यह योजना राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा के कार्यरत समस्त वर्ग के कार्मिकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।
2. **व्यावसायिक शिक्षाः** इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेंन्ट, बी.एड., सी.ए., एस.टी.सी., नर्सिंग, फार्मेसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-
   (अ) इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम (चार वर्ष)-(आठ सेमेस्टर) : डिसिपलिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली-कम्यूनीकेशन, कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, आर्केटैक्चर, टैक्सटाईल, माईनिंग, रबर टैक्नोलोजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्स्ट्रूमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल, प्रिन्टिंग, केमिकल टेक्नोलाजी, मेटेलर्जीकल इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, प्रोडेक्शन टेक्नोलाजी, शिप बिल्डिंग एण्ड फेब्रिकेशन टैक्नालोजी, नेवल आर्किटेक्चर, पैट्रोलियम इंजीनियरिंग।
   (आ) मेडिकल (एलोपेथी), होम्योपेथी, आयुर्वेदिक फार्मस् ऑफ मेडिसन्स एवं पशु आयुर्विज्ञान।
   (इ) उपर्युक्त पैरा (अ, आ) में उल्लेखित डिग्री (4 वर्ष), डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
   (ई) डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी-फार्मा की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
   (उ) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
   (ऊ) बी.एड. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष तथा एस.टी.सी. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की मान्य है।
3. प्रार्थना-पत्र की सभी प्रविष्टियाँ स्वयं कर्मचारी/संस्थाप्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए।
4. भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना-पत्र के कॉलम संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। **प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटोस्टेट प्रतियाँ स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पूर्ण भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना-पत्र विचारणीय होगा।**
5. सत्र 2017-18 में छात्र-छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप से संलग्न करें।
6. सहायता राशि मात्र ट्यूशन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त में दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी।
7. सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। राज्य कर्मचारी के बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अध्ययनरत के लिए ही स्वीकार्य होंगे।
8. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए

प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य होगा।

9. यह सहायता राशि वर्ष 2017-18 के लिए ही मान्य होगी। जिन्होंने इस सत्र में प्रवेश लिया हो उन्हें ही सहायता दी जावेगी।
10. प्रार्थना-पत्र के आधार पर पात्रता की जाँचोपरान्त एवं हितकारी निधि कोष में राशि उपलब्ध होने पर सहायता देय होगी। प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर दिए जाने से यह तात्पर्य नहीं है कि आपको सहायता मिल जाएगी। अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जाए।
11. राज्य कर्मचारी, हितकारी निधि का नियमित अंशदाता होना चाहिए। यदि अंश दान जमा करवाया हुआ है तो भेजे जाने वाले अंशदान का डी.डी. नम्बर, दिनांक व राशि का उल्लेख सहित विवरण प्रस्तुत किया जावे।
21. यदि आप हितकारी निधि के सदस्य नहीं हैं तो आज ही नियुक्ति तिथि से अंशदान एक मुश्त जमा करवाकर सदस्य बनकर अंशदान राशि का बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष, हितकारी निधि, शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवाएँ। नियमित अंशदान के अभाव में सहायता राशि प्रदान नहीं की जा सकेगी।
13. सहायता राशि-एक वर्ष से दो वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु रुपय 5000/- एवं दो वर्ष से अधिक पाठ्यक्रम की अवधि के लिए रुपये 10,000/- निर्धारित है। यह सहायता राशि पाठ्क्रम की अवधि हेतु केवल एक बार ही देय होगी।
14. अपूर्ण प्रार्थना-पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं देरी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में एवं निरस्त हुए प्रार्थना-पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी। प्रार्थना-पत्र 100 से अधिक स्वीकार्य नहीं होने के कारण किसी भी प्रार्थना-पत्र को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

कृपया उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों/कार्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सकें। अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्थाप्रधानों को पाबन्द करावें कि प्रार्थना पत्र सीधे नहीं भेजे, प्रार्थना पत्रों को आप अपनी अनुशंसा सहित दिनांक 15-12-2017 तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पद नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

● संलग्नः निर्धारित प्रार्थना-पत्र

● उप निदेशक (प्रशासन) एवं सचिव हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

हितकारी निधि

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

● हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)/शिक्षक/मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारी एवं समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र।

1. कर्मचारी का नाम.....जन्मतिथि.....आयु.....
2. पद एवं पदस्थापन स्थान.....
3. कर्मचारी की नियुक्ति तिथि.....
4. कर्मचारी का स्थायी पता.....
   टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर.....
5. कार्मिक का बैंक खाता विवरणः
   1. बैंक का नाम एवं शाखा का नाम.....
   2. आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर.....
   3. कार्मिक का बैंक खाता संख्या (पास बुक की प्रति).....
6. अध्ययनरत छात्र/छात्रा का नाम.....जन्मतिथि.....आयु...
7. छात्र/छात्रा के सम्बन्ध.....
8. छात्र/छात्रा के व्यावसायिक शिक्षा का नाम (✓ करें) (मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बी.एड./एस.टी.सी./नर्सिंग/सी.ए.).....
9. पाठ्यक्रम की अवधि.....
10. महाविद्यालय में प्रवेश तिथि (प्रथम वर्ष).....
11. महाविद्यालय/विद्यालय का नाम एवं पता जहाँ छात्र/छात्रा अध्ययनरत है.....
    (✓ करें) (संस्था राजकीय/अराजकीय/निजी/मान्यता प्राप्त)
12. **व्यावसायिक विषय के लिए भुगतान की गई राशि की मूल रसीदें संलग्न करें :-**
    संलग्न कुल रसीद संख्या.....राशि.....
13. संस्था से कोई छात्रवृत्ति ली जा रही है अथवा नहीं यदि हाँ तो कितनी.....
14. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से यदि कोई सहायता राशि मिली है अथवा नहीं, यदि हाँ तो कितनी.....
15. छात्र/छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है : (हाँ/नहीं)
16. हितकारी निधि पंजीयन संख्या (वर्षवार कटौती विवरण) संलग्न पृष्ठ.....
17. बकाया अंशदान भिजवाने का ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है! इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा, वह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर (पद एवं कार्यरत स्थान)

● संस्थाप्रधान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र जहाँ कर्मचारी कार्यरत है (संस्थाप्रधान अराजपत्रित होने पर आहरण वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पद एवं पदस्थापन स्थान.....
जो मेरे अधीन कार्यरत है। इनके पुत्र/पुत्री.....
जो (महाविद्यालय/विद्यालय) का नाम.....
में अध्ययनरत है एवं मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बी.एड./एस.टी.सी./सी.ए./नर्सिंग सत्र..... में प्रवेश लिया

है को सहायता हेतु इनका प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर मय सील (मोहर)

.....

महाविद्यालय/विद्यालय का नाम.....

अध्ययनरत महाविद्यालय/विद्यालय का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.....जो (महाविद्यालय का नाम)..... में अध्ययनरत है। इनके पुत्र/पुत्री इस महाविद्यालय का नियमित छात्र/छात्रा है।

महाविद्यालय/विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा विषयक विवरण निम्नानुसार है :-

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (सेमेस्टर सहित)	प्रवेश तिथि	वर्तमान में किस वर्ष में अध्ययनरत है	उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण	विशेष विवरण

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

2. वार्षिक अंशदान की नई संशोधित दरें, सहायता राशि में बढ़ोतरी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ऋण राशि में बढ़ोतरी बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● कार्यालय आदेश ● राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.21(7)शिक्षा-2/हितकारीनिधि/2017 जयपुर दिनांक 13.10.2017 के द्वारा हितकारी नियम 1975 के अन्तर्गत वार्षिक अंशदान की नई संशोधित दरें, सहायता राशि में बढ़ोतरी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ऋण राशि में बढ़ोतरी बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए जाते हैं।

वार्षिक अंशदान की नई दरों के अनुसार वसूली

1. नियम 4(क) कर्मचारियों से वर्ष 2017-18 का अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से जिसका भुगतान जनवरी, 2018 में दिया जाना है, नई दरों के अनुसार अंशदन की निम्नानुसार वसूली की जाए :-
   (1) समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित): रुपये 500/- प्रतिवर्ष
   (2) समस्त अराजपत्रित कार्मिक/अध्यापक एवं सहा. कर्मचारी सहित : रुपये 250/- प्रतिवर्ष

निधन पर सहायता राशि

2. नियम 13(क) सहायता राशि में संशोधन निम्नानुसार किया गया है:-
   (1) शिक्षा विभाग के कार्मिक के सामान्य निधन पर उसके आश्रित को आर्थिक सहायता : रुपये 50,000/-
   (2) शिक्षा विभाग के कार्मिक का दुर्घटना में निधन पर उसके आश्रित को आर्थिक सहायता : रुपये 1,50,000/-

शिक्षा पर ऋण राशि में बढ़ोतरी

3. नियम 13 (घ) इस नियम के अन्तर्गत पुत्री/पुत्र की शादी पर ऋण के स्थान पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये रुपये, 20,000/- का ऋण एक बार देय होगा।

व्यावसायिक शिक्षा पर सहायता राशि

4. नियम 13(ग) इस नियम के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा पर सहायता राशि में संशोधन निम्नानुसार किया गया है:-
   (1) एक वर्ष से दो वर्षीय पाठ्यक्रम अवधि के लिए:- रुपये 5000/- (एकबार)
   (2) दो वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम हेतु : रुपये 10,000/- (एकबार)

उपर्युक्त सहायता/ऋण राशि नियमित अंशदाता को ही स्वीकृत की जावेगी। बिन्दु संख्या 2 से 4 के लिये विस्तृत नियम एवं शर्ते अलग से जारी किए जा रहे हैं।

हितकारी निधि योजना की सफलता के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में इसका प्रचार-प्रसार किया जावे। कल्याणकारी योजनाओं में बढोतरी हेतु वर्ष 2017-18 की अंशदान राशि सभी अधिकारी/कार्मिकों से परिवर्तित दर के अनुसार प्राप्त कर भिजवाई जाए। अतः वर्ष 2017-18 का अंशदान 'अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर' के नाम का बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक बनवाकर भिजवावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

● (नथमल डिडेल), आई.ए.एस. निदेशक एवं अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/हिनि/28519/15-16 दिनांक : 27.10.17, 30.10.17

3. राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) वेतनमान रूल्स-2017 के अनुसार वेतन स्थिरीकरण बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● कार्यालय आदेश ● वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) वेतनमान रूल्स/2017 दिनांक 01.10.2017 से प्रभावशील किए हैं। आदेशों के अन्तर्गत विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन हेतु विभाग के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-1 को अधिकृत किया है।

वित्त विभाग के आदेशों की पालना में वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण हेतु विभाग के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-1 एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-1 को निम्नानुसार वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन हेतु अधिकृत किय जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पद व कार्यरत स्थान	विवरण
1.	श्री मनोज तंवर, लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर के राजपत्रित/ अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन

2. समस्त लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी-I एवं आन्तरिक जाँच दल के लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी-I कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)	मण्डल मुख्यालय पर राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण एवं अपने अधीनस्थ जिलों में जहाँ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-I का पद रिक्त हो, उन जिलों के वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन
3. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं आन्तरिक जाँच दल के लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी-I	अपने कार्यालय एवं जिले के अधीनस्थ विद्यालयों, विशिष्ट विद्यालय, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थिरीकरण अनुमोदन

वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन से पूर्व निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन से पूर्व कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र की भलीभाँति जाँच कर लें कि विकल्प समयावधि में प्रस्तुत किया गया है एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्ति पर हस्ताक्षर मय दिनांक अंकित है तथा विकल्प प्राप्ति इन्द्राज सेवा पुस्तिका में करें तथा मूल विकल्प सेवा पुस्तिका पर आवश्यक रूप से चस्पा किया जावे।
2. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 स्थिरीकरण अनुमोदन से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के पुनरीक्षित वेतनमान 2008 (छठा संशोधन) प्रभावी 01.09.06 एवं पुनः संशोधित 2013 (प्रभावी 01.01.06) तथा स्वीकृत एसीपी. वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धियों/सेवा सत्यापन की भलीभाँति जाँच कर लें।
3. वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण प्रपत्र 03 प्रतियों में तैयार कर सम्बन्धित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-I को प्रस्तुत करेंगे। लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-I उनकी जाँच पश्चात् अनुमोदन कर सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि कर व्यक्तिगत वेतन **(personal pay)** को पृथक से दर्शावें। मूल सेवा पुस्तिका में स्थिरीकरण की प्रविष्टि मोहर लगाकर मय हस्ताक्षर के अंकित करें। एक प्रति रिकार्ड हेतु रखेंगे तथा 2 प्रतियाँ कार्यालयाध्यक्ष को लौटा देंगे।
4. वित्त विभाग के आदेश एफ.14(1)एफ.डी.रूल्स दिनांक 30.10.2017 अनुसार पु.वे.मा. (संशोधन) 2008 आदेश एफ.14(1) एफडी/रूल्स/2013-II दिनांक 28.06.13 के शिड्यूल-5 परिशिष्ट 'ए' से 'ई' दिनांक 01.01.06 से दिनांक 30.06.13 एवं दिनांक 01.07.13 से 30.06.17 तक प्रथम निर्धारित वेतन को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्देशानुसार संशोधित वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी एवं उक्त संशोधन के पश्चात् ही पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वेतन स्थिरीकरण प्रस्तावित कर अनुमोदन की कार्यवाही की जावे तथा व्यक्तिगत वेतनमान की राशि का समायोजन भविष्य में सातवें वेतनमान/पदोन्नति/एसीपी/वेतनवृद्धि से की जाएगी।
5. वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 के बिन्दु संख्या 4 अनुसार पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान 2017 में वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन से पूर्व प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी से एक अण्डरटेकिंग लेना होगा जिसमें त्रुटिवश वेतन स्थिरीकरण के कारण कोई अधिक भुगतान यदि होगा तो उसकी वसूली उसके वेतन से कर ली जावे।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक अपने जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों के बकाया स्थिरीकरण प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मण्डल कार्यालय में एवं दिनांक 10 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। मण्डल अधिकारी कार्यालय जिलेवार संकलित सूचना इस कार्यालय को माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत करेंगे।

प्रपत्र का प्रारूप (1)

मण्डल कार्यालय द्वारा निदेशालय को भेजी जाने वाले मासिक संकलित प्रगति सूचना

क्र. सं.	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या			माह से प्राप्त स्थिरीकरण प्रकरणों की संख्या			माह में निस्तारित प्रकरणों की संख्या			शेष प्रकरणों की संख्या		
		राज	अराज	योग	राज	अराज	योग	राज	अराज	योग	राज	अराज	योग

प्रपत्र का प्रारूप (2)

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशालय को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति सूचना

1. जिले में कुल स्थिरीकरण प्रकरणों की संख्या - राजपत्रित-अराजपत्रित कुल योग
2. गत माह तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या - राजपत्रित-अराजपत्रित कुल योग
3. गत माह तक निपटाए गए प्रकरणों की संख्या - राजपत्रित-अराजपत्रित कुल योग
4. चालू माह में प्राप्त प्रकरणों की संख्या - राजपत्रित-अराजपत्रित कुल योग
5. चालू माह में निपटाए गए प्रकरणों की संख्या - राजपत्रित-अराजपत्रित कुल योग
6. शेष प्रकरणों की संख्या - राजपत्रित-अराजपत्रित कुल योग

● **वित्तीय सलाहकार,** माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34851/2017 दिनांक: 03/11/2017

4. राज्य की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्था में आने व जाने हेतु परिवहन के निजी साधनों के अतिरिक्त बहु संख्या में शिक्षण संस्था के स्वयं के वाहनों तथा सार्वजनिक सेवा वाहनों के उपयोग के संबंध में निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● परिपत्र ● राज्य की शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्था में आने व जाने हेतु परिवहन के निजी साधनों के अतिरिक्त बहु संख्या में शिक्षण संस्था के स्वयं के वाहनों तथा सार्वजनिक सेवा वाहनों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में संविदा अनुज्ञा-पत्र धारी तथा सिटी स्टेज कैरिज अनुज्ञा-पत्र धारी वाहन छात्र-छात्राओं को लाने व ले जाने हेतु **'बाल वाहिनी योजना'** शासनादेश दिनांकः 21.07.1998 द्वारा पूर्व से लागू है। उक्त योजना के स्वरूप को और अधिक विस्तृत कर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांकः 28.11.2007 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए थे। विद्यालयों में आवागमन के दौरान दिन-प्रतिदिन स्कूली छात्र-छात्राओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पूर्ववर्ती आदेशों-निर्देशों के अनुवर्तन में विभिन्न स्तरों पर बरती जाने वाली सावधानियों तथा सुरक्षात्मक उपायों को पुख्ता किए जाने हेतु एतद् द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैंः-

(अ) उपयोग में लिए जाने वाले वाहन के सम्बन्ध मेंः-

जो भी वाहन (बस, मिनी बस, वैन, ऑटो एवं रिक्शा) बाल-वाहिनी के रूप में उपयोग में लाया जाए, वह वाहन पीले रंग से रंगा हो, ताकि दूर से ही देखकर यह पहचाना जा सके कि वह वाहन बाल-वाहिनी के रूप में उपयोग में आ रहा है। बाल-वाहिनी के ऊपर स्पष्ट रूप से यह अंकित हो कि वह वाहन बाल-वाहिनी के रूप में परिवहन कर रहा है, यथा बाल-वाहिनी पर **'On School Duty'** अंकित किया जा सकता है। बाल-वाहिनी के पीछे वाले हिस्से पर सम्बन्धित विद्यालय का नाम, दूरभाष नम्बर, पता एवं वाहन चालक तथा परिचालक का नाम अंकित होना चाहिए। बाल-वाहिनी पर क्षैतिज रूप से लोहे का पाईप लगा होना चाहिए तथा ऑटो/वैन/मैजिक में दरवाजों पर लॉक होना चाहिए तथा ऑटो के ड्राईवर वाली साईड व पीछे ऐसी ग्रिल होनी चाहिए, जिससे कोई बालक गिर न सके। इसी प्रकार बाल-वाहिनी के सम्बन्ध में अग्रांकित बिन्दुओं की पालना भी विद्यालय प्रशासन द्वारा समुचित रूप से करवाई जानी चाहिएः-

1. **रखरखाव-** बाल वाहिनी की समय-समय पर मरम्मत व रखरखाव आवश्यक है। वाहन में इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ब्रेक, पैडल, टायर, स्टेयरिंग, वाहिनी के शीशों आदि की देखभाल समय-समय पर करनी चाहिए।
2. **पंजीकरण-** बाल वाहिनी का पंजीयन परिवहन कार्यालय में करवाया जाना आवश्यक है। पंजीयन के पश्चात् ही वाहन को उपयोग में लावें। किसी भी बाल-वाहिनी का सड़क पर परिचालन तभी होगा, जब उस वाहन को बाल-वाहिनी के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत करवा लिया गया हो।
3. **प्रदूषण मुक्ति प्रमाण-पत्र (PUC)-** वाहिनी की उचित जाँच करवाकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC) का टेग लगवाना चाहिए व समय-समय पर इसकी पुनः जाँच करवानी चाहिए।
4. **नीची सीढ़ियाँ/फर्श (Low Floor)-** बाल वाहिनी की सीढ़ियाँ, जिनका उपयोग बालकों द्वारा किया जाता है, उनकी जमीन से ऊँचाई कम हो, जिससे छोटे-छोटे बालकों को चढ़ने उतरने में असुविधा न हो।
5. **प्राथमिक उपचार पेटी-** बाल वाहिनी में प्राथमिक उपचार पेटी **(First Aid Box)** हो तथा उसमें आवश्यक सामग्री की समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए।
6. **पीने का पानी (स्वच्छ जल प्रबन्ध)-** बालक-बालिकाओं के पेयजल हेतु वाहिनी में स्वच्छ जल का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।
7. **रोशनी व हवा-** बाल वाहिनी में रोशनी व हवा का उचित प्रबन्ध होना चाहिए, जिससे बालक सहज महसूस करे तथा यात्रा आरामदायक हो। खिड़कियों के शीशों पर किसी प्रकार की कोई फिल्म चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप सड़क से ही बाल-वाहिनी के अन्दर की स्थिति दिख सके।
8. **आपातकालीन दरवाजा-** वाहिनी में आपातकालीन दरवाजा होना आवश्यक है, जिससे आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। यह अत्यावश्यक है कि समय-समय पर उसकी उचित जाँच की जाती रहे। ऐसा न हो कि आवश्यकता के समय वह खुले ही नहीं। सड़क पर संचालन के समय वाहिनी का मुख्य गेट आवश्यक रूप से बन्द रखा जाना चाहिए।
9. **उचित बैठक व्यवस्था-** बाल वाहिनी में बालकों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बालकों की आयु वर्ग व संख्या के अनुसार उसमें बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक संख्या में किसी भी स्थिति में बालकों को नहीं बैठाया जाए, किन्तु यदि 12 वर्ष से अधिक आयु का बालक है, तो उसकी गणना एक पूरी सीट के लिए की जाए।
10. **सहायक की व्यवस्था-** बाल वाहिनी में चालक के साथ ही सहायक (परिचालक) होना आवश्यक है, क्योंकि बालकों को व्यवस्थित रूप से चढ़ाने व उतारने का कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जरा सी भी असावधानी होने पर दुर्घटना की सम्भावना रहती है तथा अकेला चालक सभी कार्य सम्पादित नहीं कर पाता है, अतः एक जिम्मेदार सहायक आवश्यक है, साथ ही यह स्कूल प्रशासन का दायित्व है कि उस बाल-वाहिनी से बच्चों के उतरने एवं चढ़ने के लिए अपने विद्यालय परिसर में एक निश्चित स्थान प्रदान करें तथा किसी भी स्थिति में बच्चों को बाल-वाहिनी से उतरने व चढ़ने के लिए सड़क पर ही न छोड़ा जाए।
11. **अग्निशमन यंत्र-** आकस्मिक दुर्घटना अथवा किसी कारणवश वाहिनी में आग लगने पर अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर आग पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि यंत्र की समय-समय पर जाँच की जाए व अवधि पार होने पर नियमित रूप से रिफिल करवाया जाए तथा साथ ही साथ उसकी प्रणाली की जानकारी चालक, सहायक व विद्यार्थियों को भी हो।
12. वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा चालक/परिचालक के मोबाइल नम्बर प्रत्येक अभिभावक को उपलब्ध करवाया जाए।
13. वाहन द्वारा घर से बच्चों को ले जाने व वापिस पहुँचाने का समय निर्धारित हो तथा अभिभावकों को बताया जाए। विलम्ब की स्थिति

में अभिभावकों को सूचित करने की व्यवस्था हो।

14. वाहन चालक के पास वाहन से आने-जाने वाले विद्यार्थियों की सूची तथा उनके अभिभावकों के मोबाइल नम्बर हो, जिससे कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में आवश्यक कदम उठाए जा सके।
15. **दैनिक रिपोर्ट:-** संस्थाप्रधान प्रतिदिन चालक से विद्यार्थियों को घर तक सकुशल पहुँचाने की रिपोर्ट प्राप्त करें।
16. **चालक के आचरण तथा व्यवहार पर नजर:-** शाला प्रशासन निरन्तर जागरूक रहे तथा वाहन चालक के आचरण तथा विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार पर पैनी नजर रखे।
17. बाल-वाहिनी की स्पीड अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए, जिसके लिए चालक को सख्ती से पाबन्द किया जाना चाहिए।
18. बाल-वाहिनी में आवश्यक रूप से जी.पी.एस. (GPS) लगा हुआ हो तथा चालू स्थिति में हो।
19. शीतकालीन समय में ओस की समस्या से बचाव हेतु वाहिनी पर फोग लैम्प जैसी समुचित एवं वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।
20. बाल-वाहिनी का फिटनेस परीक्षण निर्धारित समयावधि में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. विशेष योग्यजन बालकों के चढ़ने-उतरने के लिए समुचित व्यवस्था हो तथा बाल-वाहिनी में उनके बैठने के लिए एक निश्चित स्थान आरक्षित किया जाए।

(ब) चालक के सम्बन्ध में:-

1. प्रशिक्षित एवं सुयोग्य वाहन चालक- सड़क पर बाल-वाहिनी के संचालन हेतु वाहन चालक की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि:-

- चालक के पास भारी वाहन चलाने का 05 वर्षीय अनुभव हो।
- यदि चालक के विरुद्ध लाल बत्ती को क्रोस करने के सम्बन्ध में/गलत जगह पर पार्किंग के सम्बन्ध में/स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने में/वाहन को चलाने की लेन का उल्लंघन करने में/वाहन को चलाते समय ओवरटेक करने के लिए या अप्राधिकृत व्यक्ति को चलाने के सम्बन्ध में दो से अधिक बार कोई चालान एक ही साल में पेश हो चुका है तो उसे चालक के रूप में बाल-वाहिनी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए।
- यदि किसी चालक के विरुद्ध तेज गति से वाहन चलाने/नशे में वाहन चलाने/उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने या अन्तर्गत धारा-279, 336, 337, 338 व 304 'ए', भारतीय दण्ड संहिता-1860 के तहत एक बार चालान पेश हो चुका है या आरोप लग चुका है, तो इस स्थिति में उसे चालक के रूप में बाल-वाहिनी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए।

विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बाल-वाहिनी के चालक के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार तहकीकात के पश्चात् ही वाहिनी संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

2. **स्वस्थ चालक-** चालक पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, आँखों की दृष्टि सही हो, कानों की श्रवण शक्ति पर्याप्त हो। शरीर से वाहन चलाने योग्य होना चाहिए। यद्यपि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर तथा नियमानुसार ऑनलाइन व प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही परिवहन कार्यालय द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है, परन्तु फिर भी विद्यालय प्रशासन द्वारा स्वयं के स्तर से चालक के स्वास्थ्य व वाहन चालन क्षमता की जाँच की जानी उचित रहेगी।
3. **यातायात नियमों की जानकारी-** चालक यातायात संबंधी नियमों का जानकार हो तथा साथ ही वाहन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी हो। चालक के लिए यह आवश्यक है कि बाल-वाहिनी को सड़क पर द्वितीय या तृतीय लेन में निर्धारित गति से एवं बिना मोबाइल बातचीत के, बिना म्यूजिक संचालन के एवं बिना धूम्रपान सेवन के चलाए।
4. **व्यावहारिक प्रवृत्ति-** चालक का मृदुभाषी, दयालु व मददगार प्रवृत्ति का होना वांछित है, ताकि बालकों से उसका व्यवहार शालीन हो व बालकों को लाने व ले जाने का कार्य जिम्मेदारी से करे तथा उन्हें उचित/नियत स्थान पर ही उतारे। बच्चों के साथ अनुशासन बनाए रखे।
5. **व्यसन मुक्त-** चालक बाल वाहिनी का चालक है, अतः उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने आप को सभी प्रकार के व्यसन से मुक्त रखे। बालकों के बीच एक आदर्श व सुसभ्य चालक बने, अभिभावक व विद्यालय प्रशासन, दोनों का विश्वास बनाए रखे।
6. **धैर्यवान-** आकस्मिक दुर्घटना होने पर या किसी विकट परिस्थिति में चालक को धैर्य से काम लेना चाहिए। सहायक व बच्चों का मनोबल बनाए रखना चाहिए।
7. **आवश्यक मोबाइल नम्बर-** चालक को आवश्यक मोबाइल नम्बर यथा निकटवर्ती पुलिस थाना, अस्पताल, स्थानीय निकाय, विद्यालय कार्यालय, बाल-वाहिनी से सम्बन्धित मोटर गैराज इत्यादि के अपने पास रखने चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सकें।

(स) सहायक के सम्बन्ध में:-

1. **पूर्णतः स्वस्थः** सहायक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जिससे वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर सके, आँखों की दृष्टि सही हो, कानों की श्रवण शक्ति उचित हो व शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो।
2. **व्यवहार कुशल-** सहायक मृदुभाषी हो, व्यवहार कुशल हो, बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार करे व संयम से काम ले। उसका व्यवहार शालीन हो।
3. **सहायक व चालक में तालमेल-** सहायक व चालक में आपसी तालमेल हो। चालक सहायक के संकेतों को समझ सके तथा सहायक चालक के संकेतों को समझ कर कार्य करे। वाहिनी को नियत स्थान पर रुकवाना, बालकों को व्यवस्थित रूप से बैठाना व उतारते समय सावधानीपूर्वक उतारना तथा इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना कि बालक वाहिनी से उतरने के पश्चात् वाहिनी के

आगे या पीछे खड़ा तो नहीं है। अमूमन बालक ऐसा कर सकते हैं, साथ ही छोटे बालक होने से चालक को बस के नजदीक व ठीक सामने या पीछे खड़े बालक दिखाई नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में सहायक को बस से उतर कर आगे-पीछे देखने के बाद ही चालक को चलने का संकेत करना चाहिए।

4. **व्यवस्थित बैठक व्यवस्था–** छोटे बालकों को उचित स्थान पर बैठाना, समझदार व बड़े बच्चों को खिड़कियों के पास बैठाना तथा छोटों को मध्य में रखना, दरवाजे के सामने या नजदीक छोटे बालकों को नहीं बैठाना आदि का विशेष ध्यान रखना।
5. **बालकों को चढ़ाना व उतारना–** बस रुकने पर सभी बालकों को जल्दी से वाहिनी में चढ़ने की ललक रहती है, उन्हें शांतिपूर्वक धीरे-धीरे चढ़ाना, छोटे बालकों को स्वयं ऊपर चढ़ाना या उनकी मदद करना, भारी भरकम बस्तों को व्यवस्थित रखना व उतरते समय उन्हें देना आदि बातों का ध्यान रखना।
6. **बालकों की निजी वस्तुओं का ध्यान रखना–** वाहिनी में बालकों की पाठ्यपुस्तकें अथवा सहायक सामग्री, टिफिन, पानी की बोतल आदि अक्सर वाहिनी में ही रह जाती है, उसे सम्भाल कर रखना और पुनः लौटाना।
7. **वाहन में स्वच्छता–** वाहिनी को प्रतिदिन साफ करना, वाहिनी के शीशों से धूल-मिट्टी साफ करना, चालक के सामने का शीशा साफ करना, साईड मिरर को साफ रखना, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
8. **धैर्यवान–** आकस्मिक दुर्घटना के समय धैर्य से काम ले, चालक की सहायता करे, चोटग्रस्त बालकों की प्राथमिक चिकित्सा तत्काल करे, उनका मनोबल बनाए रखे तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध करवावे।
9. **आवश्यक सम्पर्क नम्बर–** आवश्यक मोबाइल व सम्पर्क नम्बर अपने पास हमेशा रखे, जिससे आवश्यकतानुसार सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सकें।

(द) अभिभावकों के सम्बन्ध में:–

1. **समय पर नियत स्थान पर बालकों को ले जाना–** अभिभावक बालकों को समय पर नियत स्थान पर ले जाए, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय पहुँचाया जा सके। किसी एक बालक के भी समय पर नहीं पहुँचने से वाहिनी में सवार समस्त विद्यार्थी विलम्ब से पहुँचते हैं।
2. **नियत स्थान पर खड़े रहना–** वाहिनी के रुकने के नियत स्थान पर ही सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध खड़े रहें तथा वाहिनी के रुकने के स्थान पर उचित दूरी रखें। वाहिनी के पूर्णतः रुकने के पश्चात् ही बालकों से चढ़ने के लिए कहें।
3. **उचित दिशा-निर्देश:–** अभिभावकों को चाहिए कि बालकों को समझाए कि यात्रा के दौरान सीट पर शान्ति से बैठे रहें। उछल-कूद न करें, अनावश्यक गन्दगी न फैलावें, शोर न करें, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें, शान्तिपूर्वक वाहिनी में चढ़े-बैठे व उतरें। वाहिनी के आगे पीछे न रुके न खड़े रहें।
4. नियत समय पर बालकों को लाना व ले जाना।
5. आवश्यक सम्पर्क नम्बर रखना, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके।

(य) विद्यार्थियों के सम्बन्ध में:–

1. बाल वाहिनी के ठहरने के स्थान पर समय पर पहुँचना, जिससे अन्य विद्यार्थियों को विलम्ब न हो।
2. **वाहिनी में चढ़ना उतरना–** वाहिनी के नियत स्थान पर पूर्णतया रुकने के पश्चात् ही सावधानीपूर्वक चढ़ना व उतरना चाहिए। वाहिनी के आगे या पीछे खड़े नहीं रहना चाहिए, न ही कोई शरारत करनी चाहिए। वाहिनी से उतरने के पश्चात् एक बार पहले सीधे घर जाएँ, रास्तें में कहीं रुके नहीं, अन्यथा अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी होती है।
3. **यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें–** छोटे बालकों को व्यवस्थित सीट पर बैठा देवें। अनावश्यक इधर-उधर न निकलें। अनावश्यक रूप से शोर न करें।
4. **चालक व सहायक से व्यवहार–** चालक और सहायक से सभ्यता से व्यवहार करें। अपने सहपाठियों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करें। छोटे बालकों को चढ़ने-उतरने में मदद करें, पहले उन्हें बैठने देवें, फिर खाली रही सीटों पर बैठे।
5. **चालक व सहायक का ध्यान नहीं बँटावें–** अपनी शरारत या शोर से चालक या सहायक का ध्यान नहीं बँटावें, ऐसा करने से दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है, जिससे आप स्वयं तथा वाहिनी में सवार सभी बालकों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि आप किसी बालक को ऐसा करते हुए देखें, तो तुरन्त उसे रोकें व समझावें कि ऐसा न करें।
6. दुर्घटना या विकट स्थिति में अनावश्यक शोर न करें, न ही रोने लगे, बल्कि एक होनहार विद्यार्थी की तरह दूसरे विद्यार्थियों की मदद करें, प्राथमिक उपचार करें, चालक और सहायक की मदद करें तथा अपने सहपाठियों का मनोबल व हौंसला बढ़ावें।

(र) विद्यालय प्रशासन के सम्बन्ध में:–

1. **बाल वाहिनी का संचालन–** बाल वाहिनी का नियमानुसार व्यवस्थित संचालन करें, जिससे विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय पहुँचने में सहायता मिले।
2. **रूट–** वाहिनी का संचालन उचित रूट के अनुसार रखा जाए, जिससे विद्यार्थियों का समय कम से कम लगे।
3. **संख्या–** विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ही वाहिनियाँ रखी जाए, जिससे सभी विद्यार्थियों हेतु उचित बैठक व्यवस्था रहें, निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में न बैठाया जाए। निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को वाहन में बैठाया जाना अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनता है।
4. **मॉडल–** बाल-वाहिनी जहाँ तक हो सके, नवीन मॉडल और अच्छी कण्डीशन की हो।

5. **रखरखाव–** समय-समय पर वाहिनी की उचित देखभाल व रखरखाव करावें।
6. **प्रशिक्षित चालक–** वाहन चालक प्रशिक्षित व नियमों का जानकार हो तथा लाइसेन्स धारी हो।
7. **सहायक–** सहायक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व सक्षम होना चाहिए।
8. **फीड बैक–** चालक व सहायक के बारे में विद्यालय प्रशासन को समय-समय पर बालकों, अध्यापकों तथा अभिभावकों से जानकारी लेते रहना चाहिए। बालकों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, समय की पाबन्दी कैसी है, वाहन निर्धारित गति सीमा में सावधानीपूर्वक चलाता है इत्यादि मानदण्डों पर चालक व सहायक के बारे में निरन्तर पूछताछ करते रहने से अवांछित घटनाओं व दुर्घटनाओं से मानवीय सामर्थ्य की सीमा तक बचा जा सकता है।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े हुए उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित की जाए।

● **(नथमल डिडेल)** आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

5. 2017–18 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/मा/हिनि/28203/2017–18 दिनांक 13.11.17 समस्त उप-निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त विशिष्ट संस्थाएँ ● विषयः 2017–18 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.21(7)शिक्षा-2/हितकारीनिधि/2017 जयपुर दिनांक 13.10.2017 की अनुपालना में हितकारी निधि में वर्ष 2017–18 का वार्षिक अंशदान शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों का राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्धारित दर से एकत्रित कर भिजवाया जाना है। हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त कार्यरत कार्मिकों से अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष प्राप्त करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक अंशदान की दरें

(1) समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) रुपये 500/- प्रतिवर्ष
(2) समस्त अराजपत्रित कार्मिक/अध्यापक एवं सहकर्मचारी सहित रुपये 250/- प्रतिवर्ष

हितकारी निधि कल्याणकारी योजनाएँ

इस कल्याणकारी योजनान्तर्गत प्राप्त अंशदान राशि में से सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर सामान्य निधन पर 50,000/- रुपये एवं दुर्घटना में निधन होने पर 1,50,000/- रुपये सहायता राशि प्रदान की जावेगी।

शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 100 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर 5000/- रुपये से 10,000/- रुपये तक की सहायता देय है। शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उसके आश्रितों में से किसी सदस्य के असाध्य रोग से पीड़ित होने पर 5,000/- रुपये की सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

शिक्षा विभागीय कार्मिकों को बालिका शिक्षा हेतु 20,000/- रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकार के आदेशों की पालना में संस्था प्रधान आवश्यक रुप से समय पर अंशदान राशि एकत्रित कर भिजवावें ताकि प्राप्त अंशदान से अधिकाधिक लाभ दिया जा सके एवं नवीन योजनाएँ भी प्रारंभ की जा सके।

अतः वर्ष 2017–18 का हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान माह दिसम्बर 2017 के देय वेतन जनवरी, 2018 में उक्त निर्धारित दर से प्राप्त कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

हितकारी निधि योजना की सफलता के लिए आपके अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में इसका प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि योजना के सफल परिणाम प्राप्त हो सके। वर्ष 2017–18 की अंशदान राशि **'अध्यक्ष हितकारी निधि' माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक के द्वारा भिजवाया जाना है। अंशदान के साथ अंशदान दाताओं की सूची मय पद तथा उसके सम्मुख कार्मिक की आई.डी. का उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि समुचित लेखा रखा जा सके। उक्त आई.डी. ही कार्मिकों की खाता संख्या होगी।

● **(नथमल डिडेल)** आई.ए.एस., निदेशक एवं अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/हिनि/28203/2017–18 दिनांक : 13.11.17

6. हितकारी निधि नियम 13(क) निधन पर सहायता राशि बाबत्।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/मा/हिनि/2017–18 दिनांक : 8-11-2017 ● समस्त उप-निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त विशिष्ट संस्थाएँ, शिविरा पत्रिका ● विषय : हितकारी निधि नियम 13(क) निधन पर सहायता राशि बाबत।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि हितकारी निधि नियम 13(क) के सम्बन्ध में राज्य सरकार की संशोधित स्वीकृति क्रमांक प21(7)शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 13.10.2017 के अनुसार हितकारी निधि द्वारा सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर देय सहायता राशि के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैंः-

निधन पर सहायताः-

1. आश्रित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संस्थाप्रधान को प्रस्तुत करेंगे तथा संस्थाप्रधान जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ सेवा समाप्ति आदेश एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की एक मूल प्रति संलग्न करें।

3. अंशदान कटौती का विवरण जो कार्मिक द्वारा जमा करवाया गया।
4. कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति।
5. सहायता राशि नियमित अंशदान के आश्रित को देय होगी।
6. सेवारत कार्मिक नियमित अंशदाता होने के लिए नियुक्ति तिथि से सत्र 2016-17 तक का अंशदान एकमुश्त जमा करवाकर नियमित अंशदाता बन सकते है।
7. सेवा में रहते सामान्य निधन पर एकमुश्त 50,000/- रुपये की एवं दुर्घटना में निधन होने पर 1,50,000/- रुपये की सहायता आश्रितों के आवेदन करने पर देय होगी।

बीमारी पर सहायता

विभागीय कर्मचारी/अधिकारियों के परिवार के किसी सदस्य को गंभीर प्रकृति की लम्बी बीमारी/असाध्य रोग जैसे कैन्सर, लकवा, हृदयघात, क्षयरोग एवं दीर्घावधि तक चिकित्सालय में भर्ती रहकर इलाज करवाने पर 5,000/- रुपये तक की सहायता राशि दी जावेगी। इसके लिए व्यय की गई राशि का विपत्र जिसका पुनर्भरण किसी राजकीय नियमों में नहीं हुआ हो तो चिकित्सक से प्रमाणित एवं रोग के साक्ष्य सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर स्वीकृत किए जा सकेंगे। उक्त सहायता राशि नियमित अंशदाता होने पर ही देय होगी।

● **उप निदेशक (प्रशासन) एवं सचिव हितकारी निधि,** माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● हितकारी-निधि (राजस्थान शिक्षा विभाग, बीकानेर) से कर्मचारी के निधन पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी (कर्मचारी पर आश्रित/आश्रिता) का नाम एवं सम्बन्ध .....
2. स्थाई पता एवं मोबाइल नम्बर.....
3. मृतक कर्मचारी का नाम .....
4. मृतक कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान .....
5. कर्मचारी की नियुक्ति तिथि से अब तक कहाँ-कहाँ.....
6. कर्मचारी की मृत्यु तिथि (मूल मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
7. क्या मृतक कर्मचारी की मृत्यु राज्य सेवा में रहते हुए हुई?.....
8. दुर्घटना में निधन हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न करें.....
9. मृत कर्मचारी की हितकारी निधि पंजीयन संस्था (वर्षवार अंशदान कटौती विवरण संलग्न करे)
10. कर्मचारी/अध्यापक का नियुक्ति तिथि से कहाँ-कहाँ कार्यरत रहा उसका अंशदान कटौती का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें :-

क्र. सं.	नियुक्ति तिथि	पद	पदस्थापन स्थान नियुक्ति तिथि से आज तक तक कार्य किया है	प्रमोशन हुआ है तो विवरण देवें	हि.नि.का वार्षिक अंशदान कटौती विवरण

11. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ब्रांच की शाखा का नाम जिस पर बैंक ड्राफ्ट चाहिए (यदि कोई हो तो).....
12. परिवार के सदस्यों का विवरण (निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें)

क्र. सं.	नाम	आयु	मृतक से संबंध	विवाहित/ अविवाहित	राज्य सेवा में है तो पदनाम	विशेष विवरण

13. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता हो तो हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा, यह मुझे स्वीकार्य होगी।)

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान (मोहर) आश्रित (प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

.....

(अराजपत्रित होने पर)

टिप्पणी : संस्थाप्रधान के अराजपत्रित होने पर प्रार्थना पत्र-आहरण वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं आश्रितों एवं कर्मचारियों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सहायता की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष, हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर को सहायता हेतु अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान (मोहर)

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी (मोहर)

.....

अग्रिम रसीद (जी.ए. 103)

(पंजिका संख्या.....)

अध्यक्ष, हितकारी-निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा स्वीकृत सहायता की राशि रुपये.....प्राप्त किए।

प्रमाणितकर्त्ता राजपत्रित अधिकारी (रेवेन्यू स्टाम्प) हस्ताक्षर प्राप्तकर्त्ता

● हितकारी निधि ● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● हितकारी-निधि (राजस्थान शिक्षा विभाग, बीकानेर) से बीमारी पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

1. कर्मचारी का नाम.....
2. कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान.....
3. कर्मचारी की नियुक्ति तिथि .....
4. रोगी का नाम.....आयु.....
5. रोगी का कर्मचारी से सम्बन्ध.....
6. रोगी का रोग ग्रस्त होने का स्थान.....
7. रोगी का विवरण एवं प्रमाण-पत्र संलग्न करें.....
8. चिकित्सालय का नाम जहाँ रोगी का ईलाज कराया गया है/चल रहा है।.....
9. रोगी के अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाने की अवधि.....
10. चिकित्सक से प्रमाणित विपत्र जिसका नियमों में पुनर्भरण नहीं हुआ हो.....

11. रोगी की परिचर्या पर कुल व्यय.....
12. उक्त व्यय में से कितना व्यय चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हुआ। .....
13. पूर्व में कोई सहायता ली गई अथवा नहीं, ली गई तो कितनी राशि मिली?.....
14. हितकारी-निधि पंजीयन संख्या (वर्षवार अंशदान कटौती विवरण संलग्न करें).....
15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा का नाम व पूरा पता जिस पर बैंक ड्राफ्ट चाहते है। (यदि कोई हो तो).....
16. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता हो तो हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा, यह मुझे स्वीकार्य होगी।

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान (मोहर) (प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

.....

(अराजपत्रित होने पर)

टिप्पणी : संस्थाप्रधान के अराजपत्रित होने पर प्रार्थना पत्र-आहरण-वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं आश्रितों एवं कर्मचारियों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सहायता की आवयकता है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष, हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर को सहायता हेतु अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी (मोहर) हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान (मोहर)

.....

अग्रिम रसीद (जी.ए. 103)

(पंजिका संख्या.....)

अध्यक्ष, हितकारी-निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा स्वीकृत सहायता की राशि रुपये .....प्राप्त किए।

.....

प्रमाणितकर्त्ता राजपत्रित अधिकारी (रेवेन्यू स्टाम्प) हस्ताक्षर प्राप्तकर्त्ता

7. हितकारी निधि से बालिका शिक्षा पर ऋण सुविधा

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/मा/हिनि/28130/2017-18 दिनांकः 14.11.17 ● समस्त उप-निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा), समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त विशिष्ट संस्थाएँ, शिविरा पत्रिका ● विषय : हितकारी निधि से बालिका शिक्षा पर ऋण सुविधा।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि हितकारी निधि नियम 13(घ) एवं राज्य सरकार का अनुमोदन पत्रांक प21(7)शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 13.10.2017 के अनुसरण में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सत्र 2017-18 के लिए ऋण आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रही बालिका के अभिभावक के आवेदन करने पर एक बार ऋण राशि प्रदान की जावेगी।
2. ऋण प्राप्त करने के इच्छुक कार्मिक को अधिकतम 20,000/- रुपये का ऋण दिया जा सकेगा।
3. योजनान्तर्गत 100 आवेदकों को ही राशि वितरित की जावेगी। योजना प्रथम बार ही लागू की जा रही है इसकी सफलता के पश्चात् आगामी वर्षों में बढ़ोतरी संभव हो सकेगी।
4. योजना का लाभ नियमित अंशदाता को ही देय होगी।
5. आवेदन पत्र कार्यालयाध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी, निदेशालय को अग्रेषित करेंगे।
6. ऋण अदायगी 20 समान किश्तों में मय ब्याज 1,100/- रुपये प्रतिमाह जमा करवानी होगी।
7. उक्त राशि की प्रतिपूर्ती हेतु कार्मिकों को 20 हस्ताक्षरित चैक जिसमें मासिक राशि एवं माह की कोई एक निर्धारित दिनांक हो का उल्लेख कर भिजवाया जाना होगा।
8. आवेदन अनुसार ऋण राशि की स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही बिन्दु संख्या-7 अनुसार चैक भिजवाए जाने हैं।
9. चैक अनादरण की स्थिति में नियमानुसार विभाग स्तर/अन्य नियमों के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
10. ऋण आवेदन के लिए कम से कम 05 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण हो चुकी हो तथा सेवानिवृत्ति में कम से कम 05 वर्ष की अवधि शेष हो आवेदन के लिए पात्र होंगे।

● **उप निदेशक (प्रशासन) एवं सचिव हितकारी निधि,** माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● **हितकारी निधि ● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर** ● हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)/शिक्षक/मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारी एवं समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) के बालिका शिक्षा ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र

1. कर्मचारी का नाम.....जन्मतिथि.....आयु.....
2. पद एवं पदस्थापन स्थान मय आई.डी. संख्या.....
3. कर्मचारी की नियुक्ति तिथि.....
4. कर्मचारी का स्थायी पता.....
   टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर.....
5. कार्मिक का बैंक खाता विवरण :
   1. बैंक का नाम एवं शाखा का नाम.....
   2. आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर.....
   3. कार्मिक का बैंक खाता संख्या (पासबुक की प्रति).....
6. अध्ययनरत छात्रा का नाम.....जन्मतिथि.....आयु....
7. छात्रा से सम्बन्ध.....
8. छात्रा अध्ययनरत है-स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक शिक्षा

(✓करें).....

9. महाविद्यालय में प्रवेश तिथि (प्रथम वर्ष).....
10. महाविद्यालय/विद्यालय का नाम एवं पता जहाँ छात्रा अध्ययनरत है.....
(✓ करें)(संस्था राजकीय/अराजकीय/निजी/मान्यता प्राप्त)
11. छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है : (हाँ/नहीं)
12. हितकारी निधि पंजीयन संख्या (वर्षवार कटौती विवरण) संलग्न पृष्ठ.....
13. बकाया अंशदान भिजवाने का ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी निधि शिक्षा विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा, वह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर (पद एवं कार्यरत स्थान)

● संस्था प्रधान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र जहाँ कर्मचारी कार्यरत है। ● (संस्थाप्रधान अराजपत्रित होने पर आहरण वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है।)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पद एवं पदस्थापन स्थान.....
जो मेरे अधीन कार्यरत है। इनकी पुत्री.....
जो (महाविद्यालय/विद्यालय) का नाम.....
में अध्ययनरत है एवं स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक शिक्षा.....
में प्रवेश लिया है, को सहायता हेतु इनका प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अनुशंषा सहित अग्रेषित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर (मोहर)
.....

अध्ययनरत महाविद्यालय/विद्यालय का प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय/विद्यालय का नाम.....
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री.....
पुत्री श्री .....जो
(महाविद्यालय का नाम).....
में अध्ययनरत है। इनकी पुत्री इस महाविद्यालय की नियमित छात्रा है।

महाविद्यालय/विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा विषयक विवरण निम्नानुसार है :-

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (सेमेस्टर सहित)	प्रवेश तिथि	वर्तमान में किस वर्ष में अध्ययनरत है	उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण	विशेष विवरण

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

8. 45वीं राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता सत्र 2017-18 का आयोजन।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय ● कार्यालय आदेश

शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 45वीं राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता सत्र 2017-18 का आयोजन शिविरा पंचांग में दी गई तिथियों के अनुसार निम्न स्तरों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि में होगाः-

जिला स्तर पर चयन - दिनांक 07.12.2017 से 08.12.2017 तक
मण्डल स्तर पर चयन - दिनांक 14.12.2017 से 15.12.2017 तक
मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण-दिनांक 18.12.2017 से 21.12.2017 तक
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता- दिनांक 27.12.2017 से 20.12.2017 तक

निदेशालय इकाई का चयन दिनांकः 14.12.2017 से 15.12.2017 तक एवं प्रशिक्षण 18.12.2017 से 21.12.2017 तक होगा।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा का है जिसका आयोजन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बून्दी के तत्वावधान में दिनांक 27.12.2017 से 30.12.2017 तक होगा। इस प्रतियोगिता की समस्त कार्यवाही पूर्व में निदेशालय द्वारा प्रसारित शिक्षा विभागीय कर्मचारी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका तथा समय-समय पर संशोधनानुसार सम्पादित होगी। उक्त प्रतियोगिता में बैडमिन्टन एवं टेबल टेनिस हेतु चार-चार महिला खिलाड़ी सहित कुल 134 खिलाड़ियों से अधिक का चयन कर बून्दी नहीं ले जावें। जिला एवं मण्डल स्तर पर उक्तानुसार सम्भागी संख्या रहेगी। खेलानुसार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत सम्भागियों की संख्या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु निम्नानुसार होगीः-

खेल का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	एथलेटिक्स में सम्भागी कुल खिलाड़ी			सांस्कृतिक कार्यक्रम	कुल खिलाड़ी
			40 वर्ष से अधिक	40 वर्ष से कम		
बास्केटबाल	10	100 मीटर दौड़	02	02	सुगम संगीत	02
वॉलीबॉल	10	200 मीटर दौड़	02	02	एकाभिनय	02
टेबलटेनिस	04-04 (महिला)	400 मीटर दौड़	02	02	एकलनृत्य	02
कैरम	04	800 मीटर दौड़	02	02	विचित्र वेशभूषा	02
शतरंज	02	4 गुणा 100 मीटर दौड़	04	04	हारमोनियम वादन	01

बैडमिन्टन	04-04 (महिला)	4 गुणा 400 मीटर दौड़	04	04	तबला वादन	01
कबड्डी	10	ऊँची कूद	02	02	ढ़ोलक वादन	01
फुटबॉल	14	लम्बी कूद	02	02	झांझ वादन	01
		त्रिकूद	02	02		
		तश्तरी फेंक	02	02		
		भाला फेंक	02	02		
		गोला फेंक	02	02		

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ यथा खेल मैदान, उपकरणों, निर्णायकगण, आवास व्यवस्था, चिकित्सा एवं सुरक्षा व्यवस्था बिजली, पानी आदि की सुनिश्चितता प्रतियोगिता आयोजन के एक सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से की जावे। साथ ही प्रतियोगिता, बून्दी पहुँचने हेतु रेल/बस मार्गों की सूचना प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बून्दी द्वारा प्रसारित कर समस्त सम्भागी दलों हेतु मण्डल अधिकारियों एवं निदेशालय को प्रेषित की जावें।

● **(नथमल डिडेल)** आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/ माध्य/खेलकूद-1/35107/ 2017-18 ● दिनांक : 22-11-2017

माह : दिसम्बर, 2017	**विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम**	प्रसारण समय : दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ्यक्रमांक	पाठ का नाम
1.12.2017	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		विश्व एकता दिवस
4.12.2017	सोमवार	उदयपुर	5	हिन्दी	14	स्वर्ण नगरी की सैर
5.12.2017	मंगलवार	जयपुर	5	हिन्दी	16	दृढ़ निश्चयी सरदार
6.12.2017	बुधवार	उदयपुर	4	पर्यावरण अध्ययन	14	फसलों का सफर
7.12.2017	गुरुवार	जयपुर	10	हिन्दी (अनिवार्य)	16	महादेवी वर्मा
8.12.2017	शुक्रवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		मानव अधिकार
11.12.2017	सोमवार	उदयपुर	11.12.2017 से 23.12.2017 तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन			
25.12.2017	सोमवार		25 से 06 जनवरी, 2018 तक शीतकालीन अवकाश क्रिसमस डे, गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती (अवकाश)			

निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, अजमेर।

शिविरा पञ्चाङ्ग : दिसम्बर 2017

दिसम्बर 2017 ● कार्य दिवस-19, रविवार-5, अवकाश-07, उत्सव-03 ● 1 दिसम्बर-विश्व एकता दिवस (उत्सव)।, विश्व एड्स दिवस (SIERT) **2 दिसम्बर**-बारावफात (अवकाश-चन्द्र दर्शनानुसार) **3 दिसम्बर**-विश्व विकलांग दिवस (सर्व शिक्षा अभियान) **7-8 दिसम्बर**-राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन। **10 दिसम्बर**-मानव अधिकार दिवस (उत्सव) **11-23 दिसम्बर**-अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का आयोजन। **14 से 15 दिसम्बर**-राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर चयन व दल गठन। **18 दिसम्बर**-समुदाय जागृति दिवस (अमावस्या)(सर्व शिक्षा अभियान) **19-25 दिसम्बर**-राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। **25 दिसम्बर**-क्रिसमस डे एवं गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती (अवकाश-उत्सव) **25 दिसम्बर से 06 जनवरी**-शीतकालीन अवकाश (राज्य कर्मचारियों के हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान को दिसम्बर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौती की कार्यवाही करना) **26 से 28 दिसम्बर**-राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। **27 से 30 दिसम्बर**-राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। **29 से 31 दिसम्बर**-राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। **नोट-1.** जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालित है, उन विद्यालयों में सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन शीतकालीन अवकाश के दौरान ही किया जाए। **2.** विद्यार्थियों के व्यक्तित्व उन्नयन एवं कौशल शिविर का आयोजन (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर) **माह दिसम्बर : 2017 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रम-** ● केजीबीवी संस्थाप्रधान की कार्यशाला ● मासिक कार्यशाला ● सामान्य शिक्षकों,केजीबीवी शिक्षिकाओं एवं संदर्भ व्यक्तियों हेतु 10 दिवसीय आईसीटी प्रशिक्षण ● एचएम लीडरशिप प्रशिक्षण ● जीवन कौशल विकास पर अभिमुखीकरण।

दिसम्बर 2017

रवि	31	3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

अन्तिम उद्देश्य-सच्चा और अच्छा इन्सान

❒ प्रकाश वया

आज मानव जाति जिस मुकाम पर पहुँची है, उसमें शिक्षा और उसके द्वारा प्रदत्त संस्कारों की अहम भूमिका रही है, समय और परिस्थितियों के सापेक्ष विचार करें तो शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। भारतीय जीवन दर्शन ने मानव जीवन को अतिशय दुर्लभ और जन्म-जन्मान्तर के संचित पुण्य कर्मों का प्रतिफलन बताया हैं, असल में शिक्षा मानव जीवन को सार्थक करने का सशक्त और फलदायी माध्यम हैं, शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित प्रतिभा, क्षमता और सामर्थ्य को प्रकट कर उसको एक सच्चे और अच्छे इन्सान के रूप में खड़ा कर जीवन जीने का सलीका और तरीका देती हैं तथा मानवीय मूल्यों और सुसंस्कारों का मंगल पाथेय देकर उसकी जीवन यात्रा को निर्बाध और सुखद बनाने में सहायक बनती हैं।

ख्यातनाम जैनाचार्य जिनभद्रगणि ने शिक्षा को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए कहा है कि-

जेन सुहज्झप्प जणं, अज्झप्पायंम्, हियमयणं वा।
बोहस्स संजमस्सव मोक्खास्सवं जं तमज्झयणं।।

अर्थात्-जिससे शुभ चित्त का निर्माण हो, जिससे अध्यात्म की उपलब्धि हो, जिससे बोधि, संयम और बन्धन मुक्ति के तथ्यों की जानकारी हो वह अध्ययन शिक्षा है। शिक्षा वास्तव में जीवन का रूपान्तरण है, ज्ञान का जागरण और अनुभवों का अमृत है।

जैनाचार्य के इस विश्लेषण और निष्कर्ष के सापेक्ष विचार करें तो शिक्षा मूलतः व्यक्ति की मनीषा को शुद्ध-बुद्ध और प्रबुद्ध बनाकर उसके विवेक को जाग्रत करती है। सच्चाई तो यह है कि विवेकवान व्यक्ति ही सन्तुलित जीवन जीने में समर्थ हो सकता है, वही व्यक्ति सन्तुलित जीवन जी सकता है जो आत्मविश्वासी, स्वावलम्बी, धैर्यवान और सहिष्णु होगा, शिक्षा के माध्यम से ही संस्कारों का आरोपण सम्भव हैं।

आज चतुर्दिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है, हकीकत तो यह है कि आज ज्ञान का 'विस्फोट' हो रहा है! कल्पनातीत क्रांति आज स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है, मनुष्य ने आज साबित कर दिया है कि वह शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से इतना समृद्ध और सम्पन्न है कि चराचर जगत के हर रहस्य को उद्घाटित करने में समर्थ है। शिक्षा के उद्देश्यों की अपेक्षा से देखा जाय तो वह चतुर्आयामी है, बालक के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक विकास से ही उसका सर्वांगीण विकास संभव है और यही गुणवत्ता शिक्षा का आशय हैं।

शिक्षा को व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के फलदायी और शुभंकर बनाने के लिए विद्यमान शैक्षिक ढाँचे को ईमानदारीपूर्वक खंगालना होगा। आजादी से पहले चतुर और चालाक तथाकथित शिक्षा के पंडितों ने सोची-समझी साजिश के तहत भारतीय दार्शनिक, धार्मिक और आर्थिक ढ़ाँचे को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए शिक्षा और भाषा को मारक हथियार के रूप में अपनाया, जिसमें इनको किसी हद तक सफलता मिली, उसके दूरगामी परिणामों ने हम भारतीयों की सोच को कुंद कर दिया और उसका खामियाजा आज भी हम भोग रहे हैं। दूसरी ओर आजादी के बाद पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के पोषक नकलची मेकाले के मानस पुत्रों और तथाकथित विचारकों ने भारत की शिक्षा पद्धति को अपनी वैचारिक बपौति समझ कर उसे भारत की गौरवशाली साँस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा और परम्पराओं से दूर करने का प्रयास किया, जो कि इस महान राष्ट्र के साथ किया गया अक्षम्य अपराध और छल ही कहा जाएगा।

किंवदंति हैं कि इस महान राष्ट्र में घी-दूध की नदियाँ बहा करती थी, मतलब यह कि हम धन-धान्य से समृद्ध सम्पन्न थे, तो विश्वगुरु कहलाने वाली इस पुण्य धरा ने मानव जाति को इन्सान बन कर जीने का सलीका और तरीका देकर अपने लोककल्याणी चरित्र को प्रकट किया जो कि ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है।

'राष्ट्र कवि' मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी कालजयी रचना 'भारत-भारती' में माँ भारती की वन्दना करते हुए जो भाव सम्पदा हमें दी हैं निश्चित रूप से हमारी अनमोल थाती हैं-

ब्राह्मी स्वरूपा, जन्मदात्री, ज्ञान गौरव-शालिनी
प्रत्यक्ष लक्ष्मीरूपीणी, धन-धान्यपूर्णा, पालिनी,
दुर्द्धर्ष रूद्राणी स्वरूपा, शत्रु-सृष्टि-लयंकरी।
वह भूमि भारत वर्ष की है, भूरि भावों से भरी।।

विडंबना है कि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे शिक्षा के पंडित शिक्षा का सम्यक् मानक स्वरूप तय नहीं कर पाए हैं, इसी ऊहापोह के चलते शिक्षा को प्रयोगशाला बना दिया गया है, प्रयोग दर प्रयोग करना इसकी नियति बन गया है और साथ ही शिक्षा का राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण होना भी इस राष्ट्र के लिए अतिशय चिन्ता और चिन्तन का विषय है। असल में वही शिक्षा फलदायी और शुभंकर होती हैं जो उस राष्ट्र के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और आर्थिक ढाँचे से अनुप्राणित हो, परन्तु दुर्भाग्य से हम परमुखापेक्षी और नकलची हो गये, नकल करण अनुचित नहीं है, परन्तु हमारे जीवन मूल्यों को दर किनार कर ऐसा करना निश्चित रूप से आत्मघाती कदम है। समय और परिस्थिति के सापेक्ष वाँछित परिवर्तनों को आत्मसात करना आवश्यक होकर हमारी नियति है। शिक्षा में राजनीति का दखल और उसे उसकी अनुचरी बना देना भी नितान्त अनुचित और आत्मघाती है, इससे बचना चाहिए। दखल उनको ही देना चाहिए जिसको विद्यमान परिवेश और परिस्थितियों का सम्यक अभिज्ञान हो, इस सन्दर्भ में एक शायर द्वारा बहुत शानदार और सारगर्भित पंक्तियाँ कही गई है-

किसने इजाजत दी तुमको?
फूलों से बात करने की।
जिसको सलीका नहीं,
चमन में पाँव धरने का।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य यही होना चाहिए, जिसके द्वारा हम एक सच्चा

और अच्छा इन्सान बना सकें और यह तभी सम्भव है जब हम भारतीय शिक्षा में हमारे सांस्कृतिक, दार्शनिक और सामाजिक जीवन मूल्यों और स्वस्थ परम्पराओं का समावेश करेंगे। सच्चाई तो यह भी है कि सत्य, अहिंसा, करुणा, सहानुभूति, सेवा, सहयोग, परदुखकातरता, परोपकार जैसे तत्व भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, मूलाधार हैं, इन्हीं उदात्त तत्वों के कारण इस धरती ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' जैसी लोक कल्याणी भावनाओं की उद्घोषणा की, हम सबका कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं।

आज समय की माँग है कि हमारा बालक एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी सकल अन्तश्चेतना परिवार, समाज और राष्ट्र के हितार्थ समर्पित करने का अभ्यासी बने। यदि पढ़ लिखकर इस राष्ट्र की संतति स्वार्थपरक मनोवृत्ति से ग्रस्त होकर सुविधाओं का भोग करने के लिए अन्धी दौड़ और होड़ में लग कर प्राप्त शिक्षा का अनुचित दोहन करने में सारी ऊर्जा लगा दे तो, सही मायने में वह शिक्षा है ही नहीं।

अतिशय हृदय विदारक है, आज जिस तरह का पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश बन रहा है और जिस तरह की विसंगतियाँ, विकृतियाँ सामने आ रही है, उन पर भी शिक्षाविदों का ध्यान जाना चाहिए। हमारा बालक राष्ट्र की अनमोल धरोहर है, भविष्य का भारत उनके कन्धों पर खड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसे अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तराशना शिक्षा का प्राथमिक दायित्व है। इस अपेक्षा से हमें सावचेत होना पड़ेगा कि हमारा बालक कहीं सुविधा भोगी, पेटू और स्वार्थी न बन जाये। हमारी शिक्षा रोजगारोन्मुखी होना गलत नहीं है, परन्तु बालक में मानवीय जीवन मूल्यों का आरोपण नितान्त आवश्यक हैं ताकि वह आगे जाकर अपनी प्रतिभा और कौशल के अनुरूप सम्यक आजीविका का उपार्जन कर परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए शुभंकर और फलदायी बन सके।

शिक्षा समाज संरचना का मूलाधार है, नियामक और नियंता है, इसलिए विद्यमान विकृतियों के लिए शिक्षा को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनके निस्तारण और शमन के लिए मध्यस्थ होना पड़ेगा तभी हम हमारी संतति का भला कर सकेंगे। 'सबका साथ-सबका विकास' जैसी उदात्त संकल्पना तभी साकार हो सकती हैं जब शिक्षा लोककल्याणी हो क्योंकि परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति शिक्षा पर ही निर्भर करती हैं। रतन टाटा जैसे प्रखर उद्यमी और विचारक ने साफ तौर पर कहा है कि ''शिक्षा केवल बालक को इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि वह पद, पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए एक प्रतियोगी बनकर खड़ा हो जाए और इसे प्राप्त करने के बाद अहंकारी बन जाए इस अपेक्षा से उसकी शिक्षा अधूरी है। सच्चाई तो यह है कि शिक्षा की पूर्णता बालक के भावात्मक विकास (आत्मिक) से ही सम्भव है। हमारा बालक हार-जीत, अनुकूल-प्रतिकूल, मान-अपमान जैसी विरोधाभासी परिस्थितियों में समता भाव से जीने का अभ्यासी बन कर अपने लक्ष्य की संप्राप्ति के लिए एक साधक की तरह लगा रहे ऐसी भावदशा शिक्षा ही दे सकती हैं'', इन्हीं जीवन मूल्यों से बालक स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी बनकर अपने जीवन को उत्कर्ष दे सकता है।

शिक्षा व्यक्ति के लिए साधन भी है तो साध्य भी, जब शिक्षा का लक्ष्य जीविकोपार्जन होता हैं तो वह साधन हैं तथा जब वह जीवन निर्माण की ओर अभिमुख होती हैं वह साध्य बन जाती है, इस अपेक्षा से हमारे बालकों में शिक्षा जीविकोपार्जन के साथ-साथ हमारे शाश्वत जीवन मूल्यों का आरोपण करे तभी जाकर

सुन्दर, स्वस्थ और सुघड़ समाज की संरचना सम्भव हो सकेगी, इसके लिए उसको भारत की माटी से जोड़ना पड़ेगा।

शिक्षक शिक्षा का नियंता हैं, प्रदाता है इसलिए उसका जीवन पारदर्शी होना चाहिए क्योंकि वह बालक का आईकॉन (आदर्श) होता है, वह अपनी जीवन शैली और चर्या से बालक के अन्तस में मानवीय जीवन मूल्यों का आरोपण सहजता में कर सकने में समर्थ है। सच्चाई तो यह है कि शिक्षक केवल एक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं होकर 'गुरु' जैसे गुरुत्तर और महनीय दायित्व का धारक हैं।

हमारा बालक परिस्थिति जन्य चुनौतियों, समस्याओं और कठिनाइयों का मुकाबला करने में सक्षम और समर्थ बने ऐसी शिक्षा देकर ही उसे हम स्वयं के लिए परिवार समाज और राष्ट्र के लिए शुभंकर और फलदायी बना सकते हैं। विडम्बना आज यह भी है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण धड़ल्ले से हो रहा हैं, जो कि चिन्ता और चिन्तन का विषय हैं। शिक्षा के पावन मन्दिर आज व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन गये हैं, जो कि शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न लगा रहा हैं, जब पैसा सर पर चढ़ कर बोल रहा है तो फिर गुणवत्ता का मानक क्या होगा? विचारणीय है। सच्चाई तो यह है कि परिवार, समाज और राष्ट्र की अनमोल धरोहर बालक जो हमारा भविष्य है, में मानवीय मूल्यों का आरोपण शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए और वास्तव में यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, इस तथ्य और सत्य के सापेक्ष शिक्षा के समग्र ढाँचे को खंगोलने की आज आवश्यकता है। सबसे पहली अवश्यकता है कि हमारी शिक्षा इस देश की माटी से जुड़नी चाहिए ताकि हमारी संतति हमारे गौरवशाली अतीत और सनातन परम्पराएँ, जिन्होंने हमारा सांस्कृतिक पोषण किया है के बारे में जान सकें और वे यह भी समझ सके कि पाश्चात्य संस्कृति के झण्डाबरदारों ने किस तरह उसे छलने का काम कर हमारे अस्तित्व व पहचान को मिटाने का प्रयास किया और किसी हद तक उनके मानस पुत्र आज भी कर रहे हैं, उनसे सावधान हो सकें, अस्तु।

सेवानिवृत्त प्राध्यापक
रामपोल बस स्टेण्ड, नृसिंह वाटिका के सामने,
भीण्डर (राज.), जिला-उदयपुर-313603
मो. 9413208719

नवाचार

बाँसवाड़ा : शिक्षा की 'अलख'

❒ भारत दोसी

ख्यातनाम शिक्षाविद गिजु भाई ने अपनी पुस्तक दिवास्वप्न मे लिखा है-''हवा खड़ी करना, लहर पैदा करना, बस, यही मेरा काम है! इस काम के लिए मैं सबकी सहायता चाहूँगा। राष्ट्र को जगाकर खड़ा करना है। उसमें स्वाभिमान का संचार कर देना है। उसको आत्म विश्वास से भर देना है। असल सवाल है बिना, किसी घिसपिस के काम करने का। आखिर अनपढ़ कौन है? और हम जो पढ़े-लिखे है वे क्या कर रहे है?'' शायद ऐसी भावना से प्रेरित होकर बाँसवाड़ा के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने शैक्षिक स्तर उन्नयन, गुणात्मक सुधार, न्यूनतम शिक्षा के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान सत्र से 'अलख' नवाचार प्रारम्भ किया। साथ ही विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने, जिज्ञासु बनाने, प्रगति की जानकारी अभिभावको को देने, शैक्षिक वातावरण पैदा करने, प्रगति का मापन, विश्लेषण करने, ठहराव सुनिश्चित करने, गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए यह नवाचार किया गया है।

अलख अंग्रेजी के वर्ण आई से बने तीन शब्द इमेजिनेशन (imagination) इगनिटिंग (igniting) इनक्विसिटिनेस (inquisitivaness) से बना है जिसका हिन्दी में क्रमशः अर्थ कल्पना, प्रज्वलन, जिज्ञासु है। अगर भाव में ले तो इस नवाचार का उद्देश्य विद्यार्थियों में कल्पना, जिज्ञासा, कुतुहल जगाना है इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। अलख का अर्थ अगोचर, अप्रत्यक्ष, अदृष्टि है, इस अर्थ में शिक्षा की 'अलख' जगाकर इसे गोचर बनाना है और संत गोरखनाथ के शिष्य जैसे अलख बोलकर भिक्षाटन करते थे वैसे ही शिक्षकों को 'शिक्षाटन' करना है। योजना की शुरूआत मई माह से हुई है और क्रियान्विति के लिए जिले के प्रत्येक विद्यार्थी जो कक्षा 1 से 12 में पढ़ते हैं की प्रोफाईल बनाई है यह कार्य 15 अगस्त तक कर दिया गया। इसमें सत्र के प्रारम्भ में विद्यार्थी की विषयवार क्या स्थिति है, की जानकारी लेकर बिन्दु के अनुसार अंक देने है। जैसे पहली कक्षा में अध्ययनरत रमेश का हिन्दी में अधिगम घ,र,च,ल,ब,म,न,अ,क,ज,ख, आ वर्ण को पहचानने, लिखने व पढ़ने का है या नहीं? और है तो वह 0 से 5,6 से 10,11 से 15, 16 से 20 में से किस श्रेणी में आता है। ऐसे ही गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अर्थात् सभी अधिगम क्षेत्र की जानकारी लेने के पश्चात् बुधवार को वह जिस गाँव का है वहाँ विजिट की जाती है जो विद्यालय समय बाद होती है वहाँ उसे गाँव के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले व पढ़ाने वाले सभी विद्यार्थी-शिक्षक किसी एक विद्यार्थी के घर पर इकट्ठे होते है जिसकी सूचना पहले से ही ग्रामीणों, अभिभावकों को दे दी जाती है ढोल भी बजाया जाता है यहाँ सभी का प्रोफाईल फार्म ले जाते है और अभिभावकों को बताया जाता है कि उसका पुत्र-पुत्री का क्या शैक्षणिक स्तर है? एक माह बाद उसी गाँव में फिर से विजिट होता है और अभिभावकों को बताया जाता है कि उसकी संतान ने इस एक माह या विजिट अन्तराल मे कितना अधिगमन किस विषय मे किया है।

'अलख' मे ज्यादा जोर टीएलएम., सहायक सामग्री पर दिया गया है और कहा गया है कि इसके माध्यम से शिक्षण दिया जाए इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में विषय के अनुसार एक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया गया है साथ ही विद्यालयों के विज्ञान उपकरण, विज्ञान किट, गणित किट, एबीएल. किट (एक्टीविटी बेस्ट लर्निंग) दिए गए है। टीएलएम. निर्माण के उपयोगी प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का ग्रुप बनाया गया है, जो जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहते है। यह भी नवाचार किया गया है कि टीएलएम. बनाने में विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाए। टीएलएम. बनने के पश्चात 16 अगस्त से 23 अगस्त तक उपयोग करते हुए शिक्षण करवाया गया और इसे सतत रखा गया।

इस नवाचार में शून्य कालांश की कल्पना को मूर्त रूप दिया गया जिसमें कहानी, गीत, संदेश, विचार, कविता सिखाने के साथ ही पर्यावरण एवं गाँव के संस्थानों का अवलोकन भी रखा गया है साथ ही विद्यालय में चित्र, रेखाचित्र, कागज के मॉडल, लेख लिखवाना, अन्त्याक्षरी, पहाड़े बोलना, नए शब्द बनवाना आदि गतिविधियों का निर्धारण किया गया है। यह भी निर्देश दिए गए कि न्यूनतम अधिगम दक्षताओं की प्राप्ति में समय की कमी लगे तो अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था कर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए।

इस योजना की स्वयं जिला कलेक्टर लगातार मोनिटरिंग कर रहे हैं और प्रत्येक गतिविधि के फोटो आदि मेल से लिए जा रहे हैं।

प्रश्न ये उठाए जा रहे हैं कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मकता लाने हेतु SIQE चल रहा है वहीं गतिविधि आधारित अधिगम (ABT), बाल केन्द्रित शिक्षा (CCP) तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) चल रहा है तो फिर यह महत्त्वाकांक्षी योजना 'अलख' क्यों चलाई गई? जिला कलेक्टर का कहना है कि ''ये योजनाएँ सकारात्मक परिणाम दे रही है फिर भी जिले की भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विषमताओं के कारण जिले की शैक्षिक स्थिति में सुधार की अत्यधिक गुंजाईश है।'' इस योजना की सफलता का दारोमदार बीईईओ. पर भी है, इसकी गतिविधियों को अपने क्षेत्र में सतत चलाए रखने के लिए प्रेरित करते रहे। इस नवाचार में सम्बन्धित गाँव में स्थित विद्यालयों के संस्था प्रधानों, एएनएम., आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, प्रचेता, साथिन को भी जोड़ा गया है बुधवार की बैठक में ये सभी उपस्थित होते हैं।

अन्त में विभिन्न अवसरों पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए शोध, अध्ययन से यह जानकारी आती है कि पाँचवी व आठवीं के विद्यार्थी दूसरी की पुस्तक नहीं पढ़ सकते। ऐसे में सोचना सही है कि बाँसवाड़ा के आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा का स्तर क्या होगा? यह भी हम जानतें हैं कि दसवीं व बारहवीं बोर्ड की परीक्षाओं में बाँसवाड़ा राज्य में किस पायदान पर वर्षों से रहता आया है। फिर से गिजुभाई के दिवास्वप्न को उद्धृत करते हुए स्वप्न को हकीकत में बदला जा सकता है वे अंत में कहते है 'परीक्षा होशियार विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए नहीं, बल्कि कच्चे व कमजोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए उनकी कमजोरी का ठीक पता लगाने के लिए की जाएँ। दृष्टि-बिन्दु का यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है।

58/5, मोहन कॉलोनी,
बाँसवाड़ा (राज.)
मो: 9799467007

चिन्तन

असफलता भी वरदान है।

❒ डॉ. जमनालाल बायती

संघर्ष! संघर्ष!! संघर्ष!!! जिसने संघर्ष का स्वाद नहीं चखा- ऐसा मनुष्य निर्जीव प्राणी है। संघर्षपूर्ण स्थिति की स्वीकृति ही शान्ति-चिरशान्ति है।

''ईश्वर प्राप्ति के लिए संघर्ष करो तथा मनुष्य जीवन को आनन्ददायक बनाओ।''

असफलताओं पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि वे सामान्य जीवन का अंग है, उन्हें जीवन के सौंदर्य के रूप में स्वीकार कीजिए, असफलताओं के बिना जीवन अर्थहीन है, सारहीन है मधुरगीत रहित है।.... इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान न दीजिए। ये असफलताएँ ही है जो आपको पतित बनाती है पर परिश्रम के साथ उन्नति के मार्ग पर आगे (भी) बढ़ाती है। क्या आप सोचते हैं कि आप आज जो है, जिस स्थान पर जिस स्थिति में है-बिना असफलताएँ पाए हो सकते थे? क्या बिना गलतियाँ किए आज की इस स्थिति में डरा सकते थे? निश्चय ही ऐसा नहीं है तो फिर गलतियों को, असफलताओं को, महत्त्वपूर्ण स्थान दीजिए, इन्हें ईश्वर का आशीर्वाद-वरदान मानिए। जीवनक्रम में ये गलतियाँ अनजान में सेवा करने के लिए प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए आई हैं। गलती को-कष्ट को धन्यवाद दीजिए, आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर प्रसन्न रहिए।

स्वामी विवेकानन्द ने जीवन सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों सम्बन्धी तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया है। जीवन के प्रति एक समाज-स्वीकार्य महत्त्वपूर्ण दृष्टि ही सफलता की ओर आगे बढ़ाती है, इसी पर प्रसन्नता निर्भर करती है, इससे विपरीत स्थिति जीवन को आलोचना का शिकार बना देती है, दूसरों की दृष्टि में नीचे गिरा देती है। जीवन के प्रति सामान्य जनता के इस सर्वमान्य विचार के विपरीत भी सर्वत्र क्रांतिकारी विचार सदैव ही विकसित होते रहते हैं। जीवन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण के विपरीत आश्चर्य है कि विचार विकसित हो रहा है और यही स्थिति समाज दर्शन के साथ है, परम्पराओं से जमे सामाजिक विश्वास हिल रहे हैं। मुख्यतया शिक्षा दर्शन में क्रांतिकारी बदलाव परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है और एक विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन आया है इसने उथल-पुथल मचा दी है। इससे विद्यार्थी में असंतोष भी विकसित हुआ है। फलस्वरूप वह उथल-पुथल अनुभव भी कर रहा है। इस प्रकार बौद्धिक वितण्डावाद कक्षा कक्ष में भी दिखने लगा है जो सदियों से जमे विश्वास को हिला रहा है।

कक्षा शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में अध्यापन विधि का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इस क्षेत्र में खोज विधि (इन्क्वायरी मेथड) महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। अध्यापन के समय इस विधि से छात्र पाठ्यसामग्री को तन्मय होकर हृदयंगम कर सकता है। इस विधि से छात्र खोजपूर्ण प्रश्न पूछते है, कक्षा शिक्षण के समय आलोचनात्मक स्थिति प्रस्तुत होती है, जिससे छात्र असमंजस की स्थिति से बाहर आते हैं, अपने विचारों में स्पष्टता लाते हैं और समस्या हल करने के लिए विकल्प प्रस्तुत करते हैं, विचार-विमर्श से दत्तकार्य या गृहकार्य हल करने के लिए आधार तैयार करते हैं। ऐसी स्थिति में उनका बौद्धिक प्रस्तुतीकरण आश्चर्यजनक एवं आनन्ददायक बन जाता है। इन्हीं प्रयत्नों के बीच में वे अपनी समस्याओं तथा दत्तकार्य का आश्चर्यजनक हल निकाल लेते है, हल निकालने का कौशल विकसित कर लेते हैं। इन छोटे-छोटे प्रयत्नों, चातुर्यों एवं तर्कों से अवश्य वे जीवन में सफल होने का, चुनौतियां हल करने का कौशल सीख लेते हैं। इस प्रकार खोजपूर्ण अध्यापन विधि से कक्षाध्ययन के दौरान विद्यार्थी एक महत्त्वपूर्ण पाठ यह सीख लेते हैं कि वे अपनी बुद्धिज्ञान लेते है तथा अनैतिक कार्य कर बैठते हैं तथा अपराधी शेष कुछ लोग मनो-शारीरिक व्याधियों के शिकार हो जाते हैं तथा और भी शेष कुछ लोग चरम सीमा के मनःशारीरिक रोगी बन कर जीवन ही समाप्त कर लेते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवर्ष 8 लाख मनुष्य आत्महत्या करते हैं अर्थात् प्रत्येक 40 सैकिण्ड में एक व्यक्ति इसका शिकार होता है और हाँ प्रयत्न तो अधिक आदमी करते हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है- यहाँ 365 व्यक्ति प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं।

असफलता ही सफलता की कुंजी है, सफलता को दिशा बताती है पर हमें ठण्डे मस्तिष्क से इस समस्या के मूल कारणों की खोज करना चाहिए तथा हमारे प्रयत्न क्यों सफल नहीं हो रहे हैं-इस पर भी उपचारात्मक दृष्टि से सोच-विचार करना चाहिए तथा सकारात्मक प्रयत्नों पर अधिक आग्रह करना चाहिए। सकारात्मक आग्रहों को दोहराया जाना चाहिए। इससे हमारे असफल रहे प्रयत्नों की आवृत्तियाँ घटेगी। न्यूटन के इलेक्ट्रिक घण्टी बनाने के प्रयत्न से हमें पाठ सीखना चाहिए। वे घण्टी बनाने में मान लीजिए, 100 बार फेल हुए, पर वे अपने प्रयत्नों में शिथिलता नहीं लाए, प्रयत्न बंद नहीं किए, प्रयत्न रुके नहीं, वे निरन्तर प्रयत्न सफलता मिलने तक करते ही रहे। उनका सोचना देखिए। जब उनसे पूछा गया कि आप बार-बार, कहिए 100 बार विद्युत घण्टी नहीं बना पा रहे, प्रयत्नों में फैल हो रहे हैं तो इस कार्य को छोड़ क्यों नहीं देते? इस प्रश्न का न्यूटन साहब का उत्तर देखिए। उन्होंने बताया कि जिन 100 तरीकों से मैं विद्युत घण्टी बनाना नहीं सीख सका-इससे मुझे यह तो ज्ञात हो गया कि मुझे इन 100 तरीकों से भिन्न नया तरीका खोजना होगा और तभी मैं अपने कार्य में इन तरीकों से भिन्न नया तरीका होने पर ही विद्युत घण्टी बना सकूँगा, अपने प्रयत्नों में सफल हो सकूँगा। उन्होंने असफल प्रयत्नों को निरर्थक नहीं माना और सफल होने के लिए पूर्व के प्रयत्नों से भिन्न प्रयत्नों की खोज की।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने सोच-विचार में सोच विचार के प्रयत्न में सकारात्मक प्रयत्न लाना चाहिए। यही दृष्टिकोण या सोच-विचार आध्यात्मिक रूप से स्वीकार करना सीख लेते है और वह भी शिक्षण-अधिगम की सामान्य प्रक्रिया में बिना किसी प्रकार के पृथक प्रयत्न के। असफल होने पर वे यह भी सीखते हैं कि बार-बार प्रयत्न करना है, त्रुटि होना दुर्भाग्य नहीं है, शर्मिंदा होना नहीं है, त्रुटि होना सम्भव है, यह मानवीय स्वभाव ही है, इससे वे असन्तोष का

सामना करना सीखते है, वे असंतोषों के मध्य आगे बढ़ना, की गई त्रुटियों को दूर करना सीखते हैं, वे असफलताओं का डर दूर करना सीखते हैं। वे यह भी सीखते हैं कि असफलता से न डरो- वे समझने लगते हैं कि सीखने की राह में यह भी अर्थात् असफलता भी महत्त्वपूर्ण कदम है, प्रगति के लिए आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है। इसलिए वे गलती होने पर भी राह छोड़ते नहीं हैं। अपने शिक्षक की मदद से वे आगे के लिए सोच-विचार करते हैं, कह सकते हैं, कारण ढूँढ़ते है, त्रुटियाँ ज्ञात करते हैं तथा शुद्धीकरण की आधारभूमि तैयार करते हैं, सही दिशा में प्रयत्न करते हैं, सफलता मिलने तक बिना शिथिलता लाए प्रयत्न जारी रखते हैं।

आज की कक्षा-अध्यापन की व्यवस्था में असफल होने पर उसका सामना करने, उसका हल ढूँढ़ने का रास्ता न होना ही सबसे बड़ी समस्या है। इसे शिक्षणाभ्यास का अंग न मानना बहुत बड़ी समस्या है। आज की शिक्षण व्यवस्था में असफलता की त्रुटि को गले लगाना नहीं सिखाया जाता- यही बहुत बड़ी समस्या है और दुर्भाग्य से केवल प्रगति-सफलता पर ही वास्तविकता से अधिक अर्थात् अपेक्षा से अधिक ध्यान दिया जाता है।

आज कोई भी जीवन में बिना असफल हुए, बिना कहीं कोई गलती किए आगे नहीं बढ़ सकता, सफल होने के लिए गलती का सामना करना ही होगा, असफलता से गुजरना ही होगा। छात्र अपने अध्ययन काल के मध्य यह स्थिति देखते है, मनुष्य अपने जीवन में, व्यापार में या जीविकोपार्जन के मध्य पाते हैं। जीवन में मनुष्य अपने व्यापार या अन्य स्थिति में पले हैं। जीवन के उद्देश्यों के साथ अपने व्यवहार या सम्बन्धों में इस प्रकार की असफलताएँ मिलती रहती हैं। इन असफलताओं को स्वीकार करने वाले अपने उद्देश्यों में पिछड़ जाते हैं, कुछ निश्चय ही असफल भी होते हैं, वे अपने उद्देश्य भूल जाते हैं, स्वप्नों में खोये रहते हैं तथा कई दृष्टि से भी अति महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रयत्न अति महत्त्वपूर्ण ही नहीं वरन् अति कठिन भी है। ऐसे प्रयत्न को पत्थर को माटी, चट्टान को बालू बनाने के समान मानना चाहिए। ऐसे प्रयत्नों के लिए असीम धैर्य चाहिए तथा चाहिए पूरी तन्मयता के साथ निरन्तर कार्य पर लगे रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति। आध्यात्मिक सोच-विचार के व्यक्ति, साधु महात्मा जी अति विश्वासी हो या छोटी-छोटी सफलताओं पर साहस खो देते हो, प्रयत्नों को छोड़ देते हो, वे ऐसे कार्यों को महत्त्वहीन मानकर अधूरे ही छोड़ देते हैं। फिर भी यदि वे अपने प्रयत्नों को आधे-अधूरे मन से जारी भी रखते हैं तो कोई बहुत उच्च स्तरीय सफलता या उपलब्धि वे नहीं पाते हैं। अधूरे विश्वास के ऐसे आदमी उच्च महात्माओं के विश्वास, उनके सिद्धांतों को सही रूप में नहीं लेते हैं या समझते हैं। छोटी-छोटी त्रुटियों को भूलिए, ऐसे असफल रहे प्रयत्नों पर ध्यान मत दीजिए। इस जीवन संग्राम में त्रुटियों पर धूल तो उड़ेगी ही, साथी लोग आलोचना तो करेंगे ही उस पर ध्यान मत दीजिए, उसे अपने विचार क्षेत्र से बाहर कर दीजिए।

जब बार-बार असफलता मिलती है या त्रुटियाँ दोहराई जाती हैं तो नकारात्मक स्वभाव बन जाता है तथा सही व्यक्ति भी सोच-विचार या उलझन अनिश्चय की स्थिति में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में सही व्यक्ति भी कष्टों से बाहर आने को छटपटाता है, किसी भी भाँति वह इन दुखदायी स्थितियों से उबरना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। ऐसी स्थितियों में मार्गदर्शक लोग कहते है तथा आशा बँधाते है कि संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है, इस संघर्ष से ही तप कर आपको बाहर निकलना है। यदि स्वर्ग ही पाना है तो उसका रास्ता भी तो नरक से होकर ही निकलेगा। जब आत्मा स्थितियों से संघर्ष कर रही है, मृत्यु से संघर्ष कर रही हो, सामना कर रही हो-अब चाहे मृत्यु हजार बार आ जाए तो उसे कोई नहीं टाल सकता या रोक सकता। ऐसे कठिन तप के बाद तो आत्मा ही चमकती हुई प्रसन्नता के साथ सामने खड़ी होगी।

अमृत तुल्य वेदान्त का यह संदेश कितना कल्याणकारी है कि यदि कभी त्रुटि नहीं होगी तथा असफलता नहीं मिलेगी या पापपूर्ण कार्य नहीं होगा, फिर भले ही वह छोटा या महत्त्वहीन ही क्यों न हो- वह कर्त्ता को पतित ही करेगा, नीचे गिरायेगा परन्तु कर्त्ता ने तो सफलता प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय ही कर रखा है। स्वामी विवेकानन्द बताते है कि ''इस धरती पर पैदा हुआ प्रत्येक प्राणी, जो अनेक सम्भावनाओं का भण्डार है, भले ही वह न्यूनातिन्यून स्वरूप में चींटी ही क्यों न हो, वह अपने में कई सम्भावनाएँ छिपाए हुए है, वह एक दिन प्रभु के चरणों में स्थान पा सकता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कोई भी जीव असफल नहीं होता, इस धरती पर असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। कोई भी मनुष्य जीव सौ बार भी असफल होता है तो वह हजार बार उठने का, सफल होने का प्रयत्न करता ही रहता है और अन्त में वह पाता है कि वह ही उसी परमात्मा का अंश है। सफलता या प्रगति आसानी से या सरलता से नहीं मिलती है। सौ बार असफल होने वाला प्राणी सफलता के लिए हजार बार प्रयत्न करेगा तथा अनुभव करेगा कि वह श्रेष्ठ है, उत्तम सफलता का अधिकारी है, सही पात्र हैं। सफलता का रास्ताशाही रास्ता नहीं है, आरामदायक नकली या सुविधा भोगी रास्ता नहीं है। सफलता का रास्ता तो निस्संदेह कांटो भरा रास्ता है। प्रत्येक प्राणी प्रयत्न करता है, रास्ता निश्चित कर आगे बढ़ता है प्रगति नहीं कर सकता और अन्ततः एक बार आप ऐसा भी निश्चित रूप से पाते ही और वह प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। बिना धैर्य खोए वह आगे बढ़ता है। हममें से प्रत्येक प्राणी उसी सर्वोच्च सत्ता ईश्वर से प्रेरणा पाते है आगे बढ़ने का संदेश पाते है, मार्गदर्शन पाते है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा पाते है-आगे बढ़ने का संदेश प्राप्त करते है। ईश्वर से प्राप्त यह प्रेरणा, उत्साह, संदेश, हम सब प्राणी, जीव जन्तु, कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी, देह धारी प्राणी समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करते हैं। पितृरूप से वही सबका पालन पोषण करता है।

सभी अवांछनीय या बुरे काम करते हुए भी या दूसरों के लिए बुरी या अशुभ भावनाएँ रखते हुए भी भगवान की दृष्टि में उसके कृपा पात्र है, हम निर्दोष या पवित्र है। इसलिए साधु-महात्माओं के इस संदेश के साथ हम आगे बढ़ें, सत्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करें कि मित्रों! आगे बढ़ो! आप कभी नष्ट न होने वाले समुद्र के पानी की बूँद है और वह पानी निश्चय ही पवित्र है, भगवान की कृपा के रूप में है, उच्च, शुद्ध एवं पवित्र बनो और दुनिया में इसी रूप में आपकी पहचान बनाओ, महात्मा का भगवान् का यही मंगल संदेश है।

'प्रज्ञा' बी-186, आर. के. कॉलोनी,
भीलवाड़ा, राज.-311001

दृढ़ संकल्प का महत्त्व

❐ राम चरन लाल

भारतीय प्राचीन देव संस्कृति में शाश्वत जीवन मूल्यों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। शाश्वत जीवन मूल्यों का अर्थ है, वह आदर्श सिद्धांत जिन पर आधारित जीवन संस्कारयुक्त एवं मानवीय सम होता है। जिनमें बड़ों के प्रति सम्मान एवं छोटों के प्रति प्रेम, दया तथा सहयोग एवं सहानुभूति जैसे महान गुण समाहित होते हैं। उक्त समस्त गुणों की सारगर्भिता स्थान, समय व परिस्थिति अनुसार दृढ़ संकल्प शक्ति पर निर्भर करती है।

दृढ़ संकल्प का हिन्दी शब्दकोषानुसार अर्थ है- मन में उत्पन्न कार्य करने की इच्छा, विचार, इरादा तथा कार्य के प्रति उत्पन्न मन में दृढ़ निश्चय। इसीलिए तो कहते हैं कि-

बिन अन्तः संकल्प के, धारित लक्ष्य न पाय।
ज्यों बिन कर टेड़ा किए, ग्रास मुँह न जाय।।

उक्त दोहे का भावार्थ यही है कि जब तक हृदय की आंतरिक विचार शक्ति के आधार पर किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य तय नहीं किया जाता तब तक उचित व अनुकूल परिणाम की इच्छा रखना निरर्थक है। जिस प्रकार हाथ टेढ़ा किए बिना ग्रास मुख तक नहीं पहुँचता है उसी प्रकार से सरल, शुद्ध एवं अनुकूल परिणाम प्राप्त करने हेतु क्षमतानुसार दृढ़ संकल्पित होकर लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है।

किसी भी कार्य के प्रति नकारात्मकता का भाव विचारों को बिगाड़ता है एवं सकारात्मकता का भाव विचारशक्ति ऊर्ध्वगामी बनाता है। विद्यार्थी को वर्तमान परिप्रेक्ष्यानुसार स्वावलंबी एवं व्यावहारिक बनने हेतु लक्ष्यार्थ होना परम आवश्यक है। शिक्षा जगत में वर्तमान युग को प्रतियोगी युग के नाम से जाना जाने लगा है। ऐसे समय में विद्यार्थी को चाहिए कि सद्संगति में अनुशासित रहकर लक्ष्य निर्धारण करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहे। गलत संगति में रहकर छात्र अध्ययन के प्रति उदासीन हो जाता है। अभिभावकों की बात नहीं मानता है। अभिभावक भी छात्र की आदतों से अनभिज्ञ रहता है। जब तक अभिभावकों को छात्र की गतिविधियों की जानकारी होती है तब तक छात्र गलत आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। उसे अच्छी बातें काँटे की तरह चुभती हैं।

आज का विद्यार्थी आराम का जीवन जीना चाहता है। वह इस बात को भूल जाता है कि मेरा भला किस बात में है। इसलिए यह माना जाता है कि ''आराम देह वस्तुएँ या आदतें मानवीय जीवन को शिथिलता प्रदान करती हैं, शिथिलता आलस्य को एवं आलस्य अकर्मण्यता को जन्म देता है। अकर्मण्यता ही जीवन को अधोगति प्रदान करती है जिसे प्रगति के मार्ग में जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा (अवरोध) माना जाता है, अतः शरीर को क्रियाशील बनाए रखना आवश्यक है।

छात्र का जीवन प्रकृति समरूप होना चाहिए प्रकृति के तीन प्रमुख रहस्य है जिनके आधार पर वह अपना कार्य करती हैं वो है- (1) शान्त क्रियाशीलता (2) सतत क्रियाशीलता (3) समयानुरूप बदलाव। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने हेतु उक्त तीनों गुणों का होना, परम आवश्यक है। प्रकृति का कोई भी कार्य बिना किसी अवरोध के शान्त, सतत व समयानुरूप बदलाव के साथ चलता रहता है। उसी प्रकार छात्र को शान्त चित्त से सतत (नियमित) व समयानुसार व लक्ष्यानुसार अध्ययन कार्य करते रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन मानो तो स्वर्णिम व काँटों का सफर दोनों ही है। इसलिए तो कहते है कि ''पढ़ाई लोहे के चने चबाना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना ही पुरुषार्थ की निशानी है।''

संसार में जितने भी महापुरुष हुए है वे सभी घोर कठिनाइयों का सामना करके ही विश्व विख्यात हुए हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो कि विद्यार्थी जीवन में दोस्तों से पुस्तकें माँग कर लाते व रात को रोड लाइटों के नीचे अपनी पढ़ाई करते थे। दिन में लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। दूसरा उदाहरण हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ले सकते है, जिन्होंने अनेकों मुसीबतों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनके द्वारा भारत जैसे देश का विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखकर अपना नाम अमर कर लिया। तीसरा उदाहरण हम परम सम्माननीय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अबुल कलाम का ले सकते हैं, जो एक गरीब परिवार से पढ़-लिखकर देश के राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने में कामयाब रहे। मुसीबतें कभी किसी का मार्ग अवरुद्ध नहीं करती हैं। कहते हैं कि-

आदमी चाहे तो दुनियाँ की तकदीर बदल सकता है।
मगर वह सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है।।

हम उक्त सभी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। किसी भी कार्य की पूर्णता उद्देश्यानुरूप फल प्राप्ति पर निर्भर करती है। इसके लिए कार्य योजना व विचारपूर्ण शक्ति का होना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जैसा कि कह सकते हैं-

दिल चाहता है कि आसमाँ से तारे तोड़ लाऊँ
मगर योजना नहीं है ऊपर जाने की।
दिल करता है कि कुछ अनोखा करूँ सबसे हटकर।
मगर विचार नहीं कुछ नया करने को
हाँ यदि दृढ़ संकल्पित है
मन आसमाँ से तारे तोड़ लाने को
तो प्यारे साथियों तारे खुद ही आएँगे,
तुम्हें गले लगाने को।।

छात्र जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी को लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करना चाहिए। लक्ष्यहीन व्यक्ति घड़ी के पेण्डुलम की तरह होता है जो इधर-उधर डोलता है मगर पहुँचता कहीं नहीं है। लक्ष्य जितना मजबूत और रुचिकर होगा, उसकी पूर्ति हेतु मानसिक विचार व क्रियाशीलता उतनी ही एकाग्र होगी। लक्ष्यहीन व्यक्ति बीच में ही कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन असफल होता है।

शिक्षा का महत्त्व बताते हुए स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि ''शिक्षा वो है जिसके बल से लोगों को जीवन, संघर्ष के लिए समर्थ किया जा सके। शिक्षा वह है जिसकी सहायता से इच्छा शक्ति का वेग और स्फूर्ति

अपने वश में हो जाए और जिससे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए एवं व्यक्ति व्यावहारिक बन सके।''

सारांश में हम यही कह सकते हैं कि अनुशासित जीवन व दृढ़ संकल्पित मन की शक्ति से बढ़कर संसार में आशानुरूप सुखी जीवन जीने का कोई विकल्प नहीं है। अतः छात्र जीवन का मूल मंत्र इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ-

कर्मवीर हो, धैर्यवान बन
नित आगे बढ़ना सीखो।
काँटों बीच गुलाब फूल सम।
नित खिल मुस्काना सीखो।।
निष्कंटक राहों पर चलना
कर्मवीर का काम नहीं।
शूल भरी राहों को जग में।
निष्कंटक कर चलना सीखो।
स्व की करनी स्व विचार कर
नित भले काम, करना सीखो।
कथनी-करनी भेद जो करके
सही राह पर चलना सीखो।।

अतः संघर्षपूर्ण व दृढ़ संकल्प का जीवन ही श्रेयकर है। जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति सफल एवं महानता पूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित कर लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। अस्तु।

व्याख्याता
राज.आ.उ.मा.वि., भौंट
पं. स. रूपवास, जिला-भरतपुर (राजस्थान)
मोः 9413750285

अक्षय-पेटिका

❒ उषारानी स्वामी

भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। अर्थ का अर्जन धर्म के अनुसार ही किया जाए। धर्म का अर्थ है-धारण करने योग्य। मानवता के सभी पहलुओं को व्यवहार में लाकर, निष्ठा से पालन करना ही धर्म है। अग्नि का स्वभाव है जलाना। जल का स्वभाव है शीतलता। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव है मानवता।

चार वेद छः शास्त्र में, बात मिली है दोय।
सुख दीने सुख होत है, दुःख दीने दुःख होय।।

दूसरों को सुख देकर ही हम सुखी हो सकते हैं। प्राणिमात्र को प्रसन्न रखना हमारा पुनीत कर्त्तव्य भी है। दूसरों की सेवा करके ही उसे सुख पहुँचाया जा सकता है। सेवा के तीन प्रकार बताए गए हैं- तन-मन और धन से। हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में बताया गया है कि मनुष्य को अपने कमाए हुए धन का दश प्रतिशत दान देना चाहिए। भारतीय संस्कृति हमें देना सिखाती है। पुराणों में दान देने के अनेक प्रसंग है। ऋषि दधीचि ने देवता व दानवों के युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाने के लिए अपनी हड्डियाँ तक दान में दे दी।

मृत्यूपरान्त यदि कुछ साथ जाता है तो वह है दान। बाकी सब यहीं छूट जाता है। पंचतत्वों से निर्मित शरीर, अग्नि में भस्म हो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है।

विश्व विजेता सिकन्दर का जब अन्त समय आया तो उसने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया। ''जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ खुले रखे जाए। एक हाथ को सफेद और एक हाथ को काले रंग से पोत दिया जाए ताकि जनता में यह संदेश जा सके कि अकूत धन-सम्पदा का मालिक विश्व विजेता सिकन्दर आज खाली हाथ जा रहा है। यदि कुछ साथ जा रहा है, तो वह है अच्छाई और बुराई।''

हमें अच्छा बनने के लिए अच्छी आदतें

सीखनी है। देना सीखना है। दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता अपितु उसका सौ गुना होकर हमें पुनः प्राप्त होता है। मक्की का एक बीज जब अपना बलिदान देता है तो एक ही पौधे पर सैकड़ों दानें फल के रूप में लहलहाते हैं।

हम हमारी प्राचीन संस्कृति और संस्कारों को जीवन्त बनाए रखें। मानवता की रक्षा के लिए एक कदम बढ़ाएँ। हमारे सम्माननीय शिक्षा मंत्री देवनानी जी के सुविचारों को कार्यरूप में परिणित करें। राजस्थान में 26 जुलाई 2017 से सभी विद्यालयों में 'अक्षय-पेटिका' की स्थापना के आदेश की पूर्ण निष्ठा से पालना करें। हो सकता है-दान के लिए प्रेरित करती 'अक्षय-पेटिका' किसी को जीवनदान दे जाए। किसी का भविष्य संवार दे और किसी की मूलभूत आवश्यकता का सम्बल बने।

क्योंकि

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा
परोपकाराय वहन्ति नद्यः।
परोपकाराय दुहन्ति गावः
परोपकाराय सदा विभूतयः।।

व. पुस्तकालयाध्यक्ष
रा. बा.उ.मा.वि. निवाई
टोंक (राज.)-304021

***खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़।
मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।।***

अवसर, अभिप्रेरण एवं नियोजन

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

❒ जयपाल सिंह राठी

राजस्थान की सर्वोच्च राज्य सेवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में जाने का प्रत्येक युवा/विद्यार्थी का सपना होता है और यह सपना तभी साकार होता है, जब विद्यार्थी/युवा को उचित मार्गदर्शन व दिशा-निर्देशन मिले और वे सुनियोजित, समयबद्ध तरीके और निरन्तरता के साथ स्वयं को अध्ययनशील व ग्रहणशील बनाए रखें।

स्नातक स्तर के बाद जब युवा प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के बारे में सोचना शुरु करता है, तो वह अपने आपको एक नई दुनिया में पाता है और उसके लिए सब कुछ नए सिरे से शुरु करने जैसा होता है।

ऐसे में आवश्यकता है या कहें कि हमारा दायित्व है कि विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कर महाविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में चयन प्रक्रिया, पात्रता, परीक्षा पद्धति, योग्यता, पाठ्यक्रम आदि से अनभिज्ञ न हो। जो विद्यार्थी कक्षा-10 के बाद से ही यह लक्ष्य बना लेता है कि मुझे तो प्रशासनिक सेवा में जाना है और इसे ध्यान में रखकर आगे की पढ़ाई (स्नातक स्तर) करता है, ऐसा विद्यार्थी स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के साथ ही प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी पूर्ण कर चुका होता है व परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम से साक्षात्कार कर लेता है।

विद्यार्थी को उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा के साथ समय-समय पर विद्यालय में अपने क्षेत्र यानि जिले या ब्लॉक से संबंधित प्रशासनिक सेवाओं या अन्य राज्य सेवाओं में चयनित युवाओं के अनुप्रेरक विचारों से लाभान्वित करवाया जाए, विद्यालय के पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान-विज्ञान तथा अन्य पत्र-पत्रिकाएँ मंगवानी चाहिए, जिन्हें पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए।

इसके अलावा विद्यालय में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानन्द जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित केरियर-डे के अवसर पर भी प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में चयनित अनुप्रेरक युवा प्रतिभाओं की विचार गोष्ठियाँ की जानी चाहिए जिनसे विद्यार्थी अभिप्रेरित हो सके। साथ ही प्रार्थना-सभा में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम से भी अवगत करवाते रहना चाहिए। प्रार्थना-सभा में समाचार-वाचन, दोहा, सूक्ति, अनमोल वचन, प्रेरक-प्रसंग, सामान्य-ज्ञान के प्रश्न पूछना आदि गतिविधियाँ भी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल व आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके।

विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सव व विशेष दिवस आयोजन पर वाद-विवाद, अन्त्याक्षरी, निबन्ध लेखन, चित्र बनाना, पेंटिंग बनाना, भाषण प्रतियोगिता भी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक व तार्किक योग्यता में अभिवृद्धि हो।

सार रूप में कहें तो विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कर महाविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी राज्य प्रशासनिक सेवा की चयन प्रक्रिया, पात्रता, योग्यता, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा-पद्धति से यदि पूर्व में ही परिचय कर चुका होता है तो वह अपने लक्ष्यानुरूप आगे अध्ययन कर सकेगा।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) का परिचयात्मक विवरण:-

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) अजमेर द्वारा ली जाती है, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, इसे संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं हेतु शासन से प्राप्त सेवावार रिक्त पदों हेतु RPSC द्वारा विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक को विज्ञापित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिए एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। शासन से रिक्त पदों का सेवावार, वर्गवार विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर RPSC द्वारा सेवावार, श्रेणीवार, वर्गवार, विस्तृत वर्गीकरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाता है-

राजस्थान राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

1. राज्य सेवाएँ

क्र. सं	सेवा का नाम
1.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा
2.	राजस्थान पुलिस सेवा
3.	राजस्थान लेखा सेवा
4.	राजस्थान सहकारी सेवा
5.	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा
6.	राजस्थान कारागार सेवा
7.	राजस्थान उद्योग सेवा
8.	राजस्थान राज्य बीमा सेवा
9.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा
10.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद् सेवा
11.	राजस्थान पर्यटन सेवा
12.	राजस्थान परिवहन सेवा
13.	राजस्थान महिला एवं बालविकास सेवा
14.	राजस्थान देवस्थान सेवा
15.	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा
16.	राजस्थान महिला विकास सेवा
17.	राजस्थान श्रम कल्याण सेवा

2. अधीनस्थ सेवाएँ

क्र. सं.	सेवा का नाम
18.	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा
19.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा
20.	राजस्थान तहसीलदार सेवा
21.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा
22.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (नियोजन)
23.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा
24.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा
25.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा
26.	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा
27.	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी)
28.	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी)
29.	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी)
30.	राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं हेतु पात्रता मानदण्ड

शैक्षणिक योग्यता- स्नातक। परन्तु उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला या सम्मिलित हुआ हो, अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र होता है

किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होता है, अन्यथा वह अपात्र हो जाता है। उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकते हैं, जो आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होते हैं।

आयु सीमा- न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया- अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा अर्थात् प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

परीक्षा योजना- संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की जाती हैः-
(i) प्रारंभिक परीक्षा (ii) मुख्य परीक्षा

(i) प्रारंभिक परीक्षा- प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम 200 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न-पत्र होता है। यह परीक्षा स्क्रीनिंग या छंटनी परीक्षा होती है। प्रश्न-पत्र का स्तरमान स्नातक स्तर का होता है। इस प्रश्न-पत्र के अंकों को अंतिम चयन करने के लिए शामिल नहीं किया जाता है, इस पेपर के अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों के 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु चुने जाते हैं। इस प्रश्न-पत्र के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाता है जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाते है।

मुख्य परीक्षा- मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, विभिन्न सेवाओं और पदों की उस वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों (प्रवर्गवार) की कुल अनुमानित संख्या का 15 गुना होती है, किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अंकों का वही प्रतिशत प्राप्त किया जाता है, जैसा आयोग द्वारा किसी निम्नतर रेंज के लिए नियत किया गया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है।

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित चार प्रश्न-पत्र होते हैं (1) सामान्य अध्ययन-I (2)सामान्य अध्ययन-II (3) सामान्य अध्ययन-III (4) सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी, जो वर्णनात्मक/विश्लेषणात्मक होते है। अभ्यर्थी को सूचीबद्ध समस्त प्रश्न-पत्र देने होते हैं जिनमें संक्षिप्त, मध्यम, दीर्घ और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं।

सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी का स्तरमान सीनियर सैकण्डरी स्तर का होता है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अनुज्ञात समय 3 घण्टे होता है।

प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंकों का होता है तथा मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम चयन योग्यता क्रम निर्धारण में संगणित किए जाते हैं।

साक्षात्कार- इसे व्यक्तित्व और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल परीक्षण भी कहा जाता है। जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक अर्जित कर लिए होते हैं उन अभ्यर्थियों का 100 अंकों का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार व मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही अंतिम चयन होता है।

प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम मुख्य-मुख्य बिन्दुवार-

- राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत।
- भारत का इतिहास-प्राचीनकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल।
- विश्व एवं भारत का भूगोल।
- भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली।
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था।
- अर्थशास्त्रीय अवधारणाएँ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था।
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
- तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता।
- समसामयिक घटनाएँ।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्रानुसार मुख्य-मुख्य बिन्दुवार)

प्रश्न-पत्र- I सामान्य अध्ययन

इकाई I- इतिहास

(अ) राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य परम्परा और धरोहर।
(ब) भारतीय इतिहास एवं संस्कृति।
(स) आधुनिक विश्व का इतिहास।

इकाई II- अर्थव्यवस्था

(अ) भारतीय अर्थशास्त्र।
(ब) वैश्विक अर्थव्यवस्था।
(स) राजस्थान की अर्थव्यवस्था।

इकाई III- समाजशास्त्र, प्रबंधन एवं व्यावसायिक प्रशासन (अ) समाजशास्त्र (ब) प्रबंधन (स) व्यावसायिक प्रशासन

प्रश्न-पत्र-II सामान्य अध्ययन

- इकाई I-तार्किक दक्षता, मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यनन।
- इकाई II- सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी।
- इकाई III- पृथ्वी विज्ञान (भूगोल एवं भू-विज्ञान) (अ) विश्व (ब) भारत (स) राजस्थान।

प्रश्न-पत्र III- सामान्य अध्ययन

- इकाई I-भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले।
- इकाई II-लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएँ, मुद्दे एवं गत्यात्मकता।
- इकाई III-प्रशासकीय नीतिशास्त्र, व्यवहार एवं विधि

प्रश्न-पत्र-IV सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी

सामान्य हिन्दी

इकाई I-सामान्य हिन्दी : कुल अंक 120

भाग-अ

- संधि एवं संधि विच्छेद।
- उपसर्ग।
- प्रत्यय।
- शब्द युग्मों का अर्थ भेद।
- एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द।
- वाक्य एवं शब्द शुद्धि।
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
- पारिभाषिक शब्दावली।
- पर्यायवाची शब्द।
- विलोम शब्द।

भाग- ब

- संक्षिप्तीकरण-गद्यावतरण का उचित शीर्षक एवं एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण।
- वृद्धीकरण-किसी सूक्ति, काव्य की पंक्ति, प्रसिद्ध कथन आदि का भाव विस्तार।
- पत्र लेखन एवं प्रारूप-कार्यालयी पत्र, निविदा, परिपत्र, अधिसूचना और अर्द्धशासकीय पत्र आदि।

भाग- स

- निबंध लेखन-किसी समसामयिक एवं अन्य विषय पर दो निबंध लेखन

General English (Total marks 80)

Part A- Grammer & Usage

- Correction of Sentences: 10 Sentences for correction with errors related to: Articles & Determiners
- Prepositions
- Tenses & Sequence of Tenses
- Models
- Voice-Active & Passive
- Narration - Direct & Indirect
- Synonyms & Antonyms
- Phrasal Verbs & Idioms
- One Word Substitute
- Words often Confused of Misused

Part-B Comprehension, Translation & Precis Writing

- Comprehension of an Unseen Passage

- Translation of five sentences from hindi to English.
- Precis writing

Part C- Composition & Letter Writing

- Paragraph Writing Any 01 Paragraph out of 03 given topics
- Elaboration of a given theme
- Letter Writing or Report writng

उपर्युक्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) का परिचयात्मक विवरण तो सूचना मात्र है हमे तो हमारी कक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं में जाने हेतु प्रेरित करना है, क्योंकि इस परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होता युवा मन कई सारी उलझनों में होता है यथा- सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और अन्य कई परिस्थितिजन्य समस्याएँ होती हैं, जिस कारण वह इस स्तर पर सोचता ही नहीं है ऐसे में शिक्षक समुदाय या विद्यालय युवा मन को दिशा दें जिससे युवा प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर देश-प्रदेश के विकास में भागीदार बन सकें।

हम अपने विद्यार्थियों को अनेक प्रेरक उदाहरण देकर सही दिशा दे सकते हैं, उनमें लक्ष्य चयन व लक्ष्यानुरूप मेहनत करने का जोश भर सकते हैं कि-थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है।

उनमें यह भावना या विचार जगाना है कि सदा खुश रहें, सकारात्मक रहें और सदा यह सोचें कि सफल होने वाले भी हमारी तरह ही होते हैं, अतः जो लक्ष्यानुरूप अध्ययन करता है वही सफल होता है। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में यह भावना भरनी है कि जिसने लम्बे समय तक लक्ष्यानुरूप मेहनत की है और पाठ्यक्रमानुसार विषय को आत्मसात् किया है, ऐसे प्रतियोगी ही सफल होते हैं अतः विद्यार्थी व्यर्थ की निराशाजनक बातों को न सुनें और केवल सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें।

वरिष्ठ संपादक (शिविरा)
मा. शि. राजस्थान, बीकानेर
मो: 9460392523

प्रस्तुत आलेख सूचनात्मक एवं संकलन मात्र है इसमें दिए गए तथ्यों अर्थात्- पद वर्गीकरण, पात्रता मानदण्ड, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम तथा चयन प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में शासन और RPSC द्वारा अधिसूचित विज्ञप्ति ही प्रामाणिक है। - व.सं.

चिन्तन

प्राचीन भारत में गणित विज्ञान की उपलब्धियाँ

❒ डॉ. श्याम मनोहर व्यास

प्राचीन भारत में अध्यात्म व दर्शन के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की थी। गणित, भौतिक, रसायन, औषधि, शल्य, वास्तु एवं ज्योतिष आदि क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों एवं मनीषी ऋषियों ने अथक परिश्रम कर महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की।

यह सर्वविदित है कि विज्ञान की उन्नति मुख्यतः गणित पर ही निर्भर है। पूर्व वैदिक काल में ही भारतीय विद्वानों ने अंक विज्ञान में काफी खोज कर ली थी। यज्ञ की वेदियाँ रेखा गणित के माप द्वारा ही बनाई जाती थी। वेदों में अंक विद्या का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद संहिता, अध्याय 17, मंत्र 2 में 1000, 000,000, 000 तक की संख्या का उल्लेख है। अंक विद्या का प्रतीक एक श्लोक इस प्रकार है-

'इमामेऽअग्नऽइष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च, दश च शतं च, शतं च सहस्त्रं चं, सहस्त्रं चायुतं, चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यूर्वदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तरम् परार्दश्यैता सेऽअग्नऽइष्टका धेनवः सन्त्वमुवामुष्मिं लोके।

तैतरीय संहिता, मैत्रायणी तथा काठ संहिता आदि में भी शतोत्तर गणना का उल्लेख है।

ईसा से एक शती पूर्व लिखित ग्रन्थ 'ललित विस्तारं' में गणितज्ञ कुमार और अर्जुन का संवाद वर्णित है, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या तल्लाक्षण का उल्लेख है। एक तल्लाक्षण 10^{54} (दस के आगे तिरेपन शून्य) के बराबर होता है। जैन ग्रन्थ 'अनुयोग द्वार सूत्र' में बड़ी से बड़ी संख्याओं का उल्लेख है। एक संख्या 10^{140} मानी गई है। एक अन्य बौद्ध ग्रंथ में एक संख्या का उल्लेख है जो $74,00,000^{28}$ के बराबर है।

यूनान व मिश्र में भी गणित विज्ञान पर काफी प्रगति हुई थी किन्तु यूनान के गणितज्ञों के अनुसार बड़ी से बड़ी संख्या मिरियड थी जो 10,000 थी और रोम के लोगों की बड़ी से बड़ी संख्या 1000 थी। यूरोप के गणितज्ञ बड़ी से बड़ी संख्या मिलियन मानते थे जो दस लाख के बराबर थीं।

भारतीय गणितज्ञों ने इससे कई गुना बड़ी संख्या का आविष्कार कर लिया था। महाभारत में सेना की गणना अक्षौहिणी से की जाती थी।

विष्णु पुराण में अंकों को इस प्रकार दर्शाया है- एक, दश, शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटि (करोड़), अर्बुद (अरबा), पद्म, खर्व, महापद्म, शंख, महाशंख, जलधि, अन्त्य, मध्य और परार्ध। सम्राट अशोक व कनिष्क के शिलालेखों में भी संख्याओं का उल्लेख मिलता है।

शून्य का आविष्कार

शून्य का आविष्कार करने वाला भारत ही था। इसे '0' से दर्शाया गया। गोल आकार की वस्तुओं को देख कर शून्य की धारणा प्रतिपादित हुई। गोल बिन्दिया शून्य की धारणा की पुष्टि करती है। वेदों में भी गणित की अति सूक्ष्म और व्यापक पद्धतियों का विवेचन हुआ है।

विदेशी विद्वान् 'मैकडानल' ने कहा है- 'यह बहुत बड़ी बात है कि भारतीयों ने गणित के अंकों का आविष्कार किया जिसका प्रयोग आज संसार में हो रहा है। यह खेद का विषय है कि हम उन पद्धतियों और परीक्षणों के बारे में कुछ भी नहीं जाने जिनके द्वारा गणित एवं ज्योतिष का इतना विस्तृत अध्ययन हो सका।'

यह भी सही है कि शून्य का अस्तित्व शून्य ही नहीं होता। यह अंक के दायीं ओर बैठ कर उसकी शक्ति को दस गुना बढ़ा देता है और बायीं ओर बैठकर स्वयं अस्तित्व हीन हो जाता है।

छात्रों को हिन्दी अंकों का ज्ञान

विद्यालय में बालकों को हिन्दी के अंकों (१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०) आदि का ज्ञान भी प्रारंभिक कक्षाओं में दिया जाना चाहिए ताकि प्राचीन ग्रन्थों व अन्य उपलब्धियों यथा शिलालेखों का पठन व ज्ञानार्जन में कठिनाई का सामना न करना पड़ें।

अन्य गणितीय उपलब्धियाँ

दशमलव पद्धति के आविष्कार का सारा श्रेय भी भारतीय गणितज्ञों को ही जाता है। शून्य की कल्पना भारतीय दर्शन में अपना अलग ही महत्त्व रखती है।

भारतीय संस्कृति में अंक आठ का बड़ा महत्त्व है। चार दिशाओं के अलावा चार और दिशाएँ मानी गई है। ये हैं- पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, और दक्षिण-पश्चिम। आठ दिशाओं के रक्षक आठ दिक्पात्र माने गए हैं। भारतीय पद्धति के अनुसार निर्मित भवन, छतरियाँ, गुम्बज, स्तंभ और दुर्ग अष्ट कोणात्मक होते थे। एक दिन को भी अष्ट प्रहरों में बाँटा गया था। प्रत्येक पहर में 3 घंटे होते हैं। 108 की संख्या शुभ मानी गई है। माला में भी 108 मनके होते हैं।

यज्ञ की वेदियाँ भी 108 बनाई जाती हैं। आसन व सिद्धियाँ भी 8 मानी गई हैं। जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, दुर्गा की 8 भुजाएँ, भगवान कृष्ण हिन्दुओं के 8वें अवतार गीता के 18 अध्याय, 18 महापुराण, दीपावली पर बनाए जाने वाले अष्टभुजी कन्दील, स्वास्तिक की आठ भुजाएँ आदि अंक 8 के महत्त्व को दर्शाते हैं। भारतीय महिलाएँ घरों और मन्दिरों के द्वार पर आटे व चावल से जो रंगोली बनाती हैं, वह प्रायः अष्टभुजी होती है। प्राचीन हथ पंखे भी अष्टभुजी ही होते थे।

इस प्रकार प्राचीन वास्तुकला में भी आठ अंक का बड़ा महत्त्व रहा है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई (π) का मान निकाला था। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पाई (π) कहलाता है। आर्यभट्ट ने इसका मान $3\frac{117}{1250}$ बताया था। जबकि आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार इसका मान $3\frac{1}{7}$ $\frac{(22)}{7}$ अथवा 3.14 है।

भास्कराचार्य रचित ग्रन्थ 'लीलावती' प्राचीन गणित विद्या का प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ है। उसमें लिखा है कि जब किसी अंक को शून्य से विभाजित किया जाए तो उसका फल अनंत होता है। $\frac{\text{संख्या}}{0} = \text{अनंत}$ (Infinity)

उपनिषदों में एक श्लोक है-''ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुद्च्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते।।''

इसके अनुसार अनंत (पूर्ण) में से अनंत घटाने पर भी अनंत बचता है।

भास्कराचार्य का जन्म सन् 1105 में कर्नाटक के एक गाँव में हुआ था। 36 वर्ष की आयु में उन्होंने गणित सम्बन्धित 'सिद्धांत शिरोमणि' ग्रन्थ लिखा था।

सिद्धांत शिरोमणि के चार भाग हैं।

(1) लीलावती (2) बीज गणित (3) गणिताध्याय और (4) गोलाध्याय। लीलावती पाटी गणित है।

कुछ इतिहासकारों का कथन है कि ग्रन्थकार ने अपनी पत्नी या पुत्री के नाम पर ग्रन्थ का यह नाम रखा। 'सिद्धांत शिरोमणि' का अनुवाद सन् 1587 में बादशाह अकबर की आज्ञा से फैजी ने फारसी में किया। सन् 1816 में हेनरी टाम्स कोलबुक ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया।

'सिद्धांत शिरोमणि' ग्रन्थ के श्लोक सरस व रोचकतापूर्ण ढंग से उल्लिखित है। गणित की कई पहेलियों का भी इसमें समावेश है। सम्पूर्ण ग्रन्थ संस्कृत भाषा में है।

इस ग्रन्थ में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी उल्लेख है। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है-

'पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह अपनी शक्ति से जिसे खींचती है वह वस्तु भूमि पर गिरती हुई सी प्रतीत होती है।'

इस प्रकार सर आइजक न्यूटन (1642-1727 ई.) से लगभग 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में में खोज कर ली थी। अन्य भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट (476 ई.), बोधायन (ईसा से 800 वर्ष पूर्व), वराहमिहिर (550 ई.) ब्रह्मगुप्त (628 ई.), श्री धर (750 ई.), महावीर (850 ई.), नारायण दास (1356 ई.) सिद्धसेन (910 ई.), रामानुजम् (1924 ई.) आदि है। नार्वीकर और श्रीपत आदि ने भी गणित विज्ञान में अमूल्य योगदान दिया था। आर्यभट्ट पहला खगोल विज्ञानवेत्ता था जिसने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है। बीजगणित, अंकगणित व ज्यामिति तीनों ही गणित की विधाओं में भारतीय गणितज्ञों ने अमूल्य रत्न समर्पित किए। आर्यभट्ट रचित 'सूर्य सिद्धांत' में पृथ्वी के वृत्ताकार होने का वर्णन है। इनमें पृथ्वी का व्यास 7905 मील बताया है जबकि आज के भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पृथ्वी का व्यास 7918 मील है। वर्ग समीकरण में अज्ञात राशि का मान निकालने की विधि को आज भी गणितज्ञ 'हिन्दू विधि' के नाम से जानते हैं। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य दोनों किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं से निकाल लेते थे। गणितज्ञ बोधायन ने किसी वर्ग के कर्ण (तिरछी रेखा) की लम्बाई नापने का सूत्र खोज निकाला था। कर्ण की लम्बाई है = (वर्ग की भुजा)^2।
त्रिकोणमिति में ज्या (Sine), कोटिज्या (Cosine) को परिभाषित किया गया।

'लीलावती' ग्रन्थ में किसी वृत्त में बने समभुज की परिमाप व क्षेत्रफल निकालने की विधि का वर्णन है। यज्ञ में वेदियों का निर्माण ज्यामिति-आकृतियों के अनुसार किया जाता था।

तांत्रिक परम्परा में तो त्रिकोण का ज्ञान काफी पुराना है। यंत्र का निर्माण गणित की माप के अनुसार ही किया जाता था। 'आपस्तंब' ग्रन्थ में विभिन्न प्रकार के त्रिकोणों का वर्णन मिलता है। शतरंज के खेल का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। इसे 'चतुरंग' भी कहा जाता था। क्रमचय संचय, गुणोत्तर श्रेणी (G.P.) की जानकारी भी भारतीय गणितज्ञों को थी।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में वर्णित वैदिक गणित का गंभीरतम अध्ययन किया जाना चाहिए। गणित विद्या सम्बन्धी कई अमूल्य रत्न प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में छिपे पड़े हैं।

हम अपने को ही पहचाने,
आत्मशक्ति का निश्चय ठाने।
पड़ी हुई जूठी शिकार
को सिंह नहीं जाते है खाने।।

शिक्षा उपनिदेशक (से.नि.)
पंचवटी, उदयपुर (राज.)-313004
मो: 9414615397

पुस्तक समीक्षा

परवाना

लेखक : वेदप्रकाश शर्मा 'वेद' **विधा** : गीति मुक्तक काव्य **प्रकाशक** : अंजना प्रकाशन, नगर (भरतपुर) **पृष्ठ** : 88 **संस्करण** : 2007 **मूल्य** : ₹ 60

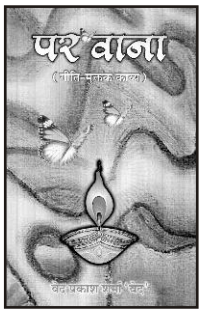

शिक्षक का सृजन से सदियों पुराना नाता रहा है। जब-जब शिक्षक की चेतना सार्वजनिक चिन्तन की ओर अग्रसर होती है, उसमें शुचिता, पवित्रता और आनन्द की अनुभूतियाँ समग्र रूप से पैदा होती है। बस यहीं से होती है सृजन की शुरूआत। आम लेखक और शिक्षक की कृति में मूलभूत अन्तर होता है। यह अन्तर 'परवाना' में स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है।

दरअसल 'परवाना' के लेखक वेदप्रकाश शर्मा 'वेद' ने शिक्षा के सन्दर्भ में सामाजिक परिवेश में गिरते हुए मूल्यों के प्रति वेदना के चलते राष्ट्रीय सरोकारों को ध्येय बनाकर एक गेय रचना प्रस्तुत की है। लेखक 'वेद' ने यह साबित किया है कि युग परिवर्तन के अग्रदूत हमेशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिक्षक ही हुए हैं। ऐसे में यदि कोई सच्चा शिक्षक राष्ट्रीय सरोकारों को लेकर गीति रचना प्रस्तुत करता है तो वह न केवल अपने आप को साबित करता है बल्कि वह गुप्त, दिनकर और बच्चन की याद भी साथ-साथ दिलाता है।

'परवाना' की भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी है। पुस्तक में 275 मुक्तक हैं जिन्हें गेय मुक्तक कहा जाना चाहिए। वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत श्री वेदप्रकाश शर्मा 'वेद' पुस्तक की भूमिका 'अपनी बात' बात लिखते हैं। लगता है कि लेखन द्वारा प्रस्तुत सृजन में आस्था, राष्ट्रभक्ति और लेखनीय शुचिता की संतुष्टि पाठक को आद्योपान्त अध्ययन उपरान्त निश्चय ही प्राप्त होती है। आप इस कृति को ईश्वर को समर्पित करते हैं तथा मानव समुदाय को स्वार्थ एवं हिंसा से मुक्त करना अपना धर्म समझते हैं।

'काँटों को भी फूल समझता' और 'जो साधक निष्काम चला हो, उसका पथ निष्कंटक है' जैसी पंक्तियाँ कवि के आशावाद और सकारात्मक चिन्तन की छाप छोड़ती हैं। एक तरफ जहाँ 'मंज़िल दूर दिखाई देती' और 'मुझको कब विश्राम मिलेगा' जैसे भाव कवि के दिलो-दिमाग पर पलभर को हावी होते हैं तो दूसरे ही पल 'हार जीत की मुझे न चिंता' तथा 'ऐसा नेह जगा जाना' जैसे भाव आशावादी चिन्तन के प्रवाह में बहाते ले चलते हैं।

सम्पूर्ण दृष्टि से इस छोटे से गीति-मुक्तक काव्य को भाव प्रवाह, शब्द चयन तथा ध्येय की पवित्रता ऊँचाइयाँ प्रदान करते हैं। मखमल पर फिसलती तितली की मानिंद अनुभूति का रस अहसास की चादर को बार-बार भिगोए देता है। दरअसल काव्य वही है जो दर्द पैदा करे साथ-साथ उसकी दवा भी। काव्य रचना की पारम्परिक लकीर को छोड़कर 'वेद' ने जहाँ एक तरफ अभिनव गीति मुक्तक पाठकों के लिए प्रस्तुत किए हैं, वहीं दूसरी ओर वेदों की वाणी 'विश्व एक नीड़म् भवः' का उद्घोष भी किया है। 'परवाना' की रचनाधर्मिता उस वक्त परवान पर पहुँची प्रतीत होती है जब कवि खुलेदिल से स्वीकार करता है कि :-

मेरा सीना खुला हुआ है,
दुःख-सुख सब कुछ सह लूँगा।
तेरे द्वारे शरणागत हूँ,
जीवन अर्पण कर दूँगा।

लेखक की इस काव्य विधा में कई संदेश निहित हैं। उदात्त आशावाद से परिपूर्ण इस रचना में जगह-जगह आडम्बर पर प्रहार और जिजीविषा के साथ-साथ समाजवादी चिन्तन भी दिखाई देता है। एक सुन्दर उदाहरण यहाँ प्रासंगिक है :-

महलों के नीचे देखा है,
झोंपड़ियों का दब जाना।
तपते जीवन को ठंडक दो,
मैं हूँ मेरा परवाना।

एक और उदाहरण इस चिन्तन की पुष्टि करता है :-

महलों के तोरण द्वारों पर,
खुशियों की गहमागहमी।
झोंपड़ियों में आह दबी है,
लगती वे सहमी-सहमी।।

'परवाना' के कवर पृष्ठ पर एक तरफ तितलियों के पर हैं तो दूसरी तरफ परवाने की शमा (जलता दीपक)। कुल मिलाकर पुस्तक का मुद्रण, कलेवर, विधा और शब्द संयोजन-सब कुछ अनूठा है।

समीक्षक : **सुभाष चन्द्र महलावत**
प्रधानाचार्य, डाइट, झुंझुनूं
मो. 9414071130

सुमन सतसई

लेखक : श्री उदयकरण 'सुमन' **विधा** : काव्य (दोहा) **प्रकाशक** : बोधि प्रकाशन, जयपुर **प्रथम संस्करण** : 2017 **पृष्ठ** : 112 **मूल्य** : ₹ 120

वयोवृद्ध मूर्धन्य साहित्यकार श्री उदयकरण 'सुमन' द्वारा रचित 'सुमन-सतसई' उनकी प्रथम दोहा कृति है, इससे पूर्व उनके गीत-संग्रह, छंद मुक्त कविता संग्रह और गजल संग्रह आदि कुल दस काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और साहित्य-संसार में काफी चर्चित और प्रशंसित भी हो चुकी है। प्रस्तुत कृति में उनके एक से बेहतर एक कुल सात-सौ दोहे संगृहीत हैं जो उनकी समग्र काव्य चेतना और जीवन-बोध का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इन दोहों में आजादी के पश्चात् आए जन-जीवन और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, बिखराव, विसंगतियों और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मूल्यों के क्षरण को कवि ने सफलतापूर्वक रेखांकित किया है तथा धर्म, दर्शन, प्रकृति, काल, इतिहास, परिवार, रिश्ते-नाते आदि के विभिन्न परिदृश्यों को मनोविज्ञान के धरातल पर घनीभूत संवेदना के साथ रूपायित किया है।

सुमन जी ने कृति के प्रारंभिक दोहों में ही सीधे अपने जीवन निष्कर्ष की अनुभूतियों और विकृतियों पर प्रखरता से कटाक्ष किया है, दृष्टांत स्वरूप कतिपय दोहे प्रस्तुत हैं :-

बेढंगी हर चाल है, जीना हुआ हराम

नेता भोग विलास में, जनता में कोहराम।
(दोहा सं. 1)

संन्यासी करने लगे, हर दिन भोग विलास
सद्गुण को फाँसी मिली, धर्म गया वनवास।
(दोहा सं. 2)

तार-तार रिश्ते हुए, टूटे सभी उसूल
मानव जीवन ज्यों लगा, जैसे काठ बबूल।
(दोहा सं. 12)

कृति के दोहों में जनसंख्या वृद्धि, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कालाधन, बलात्कार जैसी ज्वलंत समस्याओं का पर्दाफाश हुआ है तथा प्रकृति, नीति और श्रृंगार रस के दोहों में कृति की प्रभावकारिता में चार चाँद लगा दिए हैं। सामयिक जीवन सत्य की समीचीन अभिव्यक्ति एवं उन पर तीक्ष्ण कटाक्ष देखते ही बनते हैं जो कृति का वैशिष्ट्य है।

सच्चे साहित्यकार का कर्त्तव्य न केवल जीवन सत्य को उजागर करना और समस्याओं तथा हालातों पर टिप्पणियाँ करना होता है अपितु उनके सम्भावित हल प्रस्तुत करना और समाज का समयोचित सम्यक् मार्गदर्शन करना भी होता है, सुमन जी ने उक्त भूमिका का निर्वहन भी बड़ी कुशलता से किया है, कथन की पुष्टि हेतु एक दोहा प्रस्तुत है :-

'प्यार मुहब्बत से जिओ, करो न खोटे कार
मानव देह न फिर मिले, लाख करो उपचार।'
(दोहा सं. 372)

कृति का अभिप्रेत लोक-मंगल की उदात्त भावना पर अधिष्ठित है, जो जातिगत भेदभाव से रहित शोषण मुक्त समरसतापूर्ण प्रगतिशील समाज की अवधारणा में विश्वास रखता है, जिसमें सुमन जी सफल रहे हैं।

समग्रतः कहा जा सकता है कि 'सुमन सतसई' में भाव सौन्दर्य और शिल्प सौष्ठव दोनों का उचित सामंजस्य विद्यमान है। शिल्प सौष्ठव भाव सत्ता पर हावी न होकर, उसके उत्कर्ष में सहायक है। भाषा भावों की अनुगामिनी है, उसमें सम्प्रेषणीयता का गुण विद्यमान है, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का मिश्रित प्रयोग सहजता से हुआ है।

यह कृति सुधी-समाज में समादृत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में वयोवृद्ध दोहाकार श्री उदयकरण सुमन की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की मंगलकामना में।

समीक्षक : **डॉ. ज्ञान प्रकाश 'पीयूष'**
1/258, मस्जिद वाली गली,
तेलियां वाला मौहल्ला,
सिरसा-125055 (हरियाणा)
मो. 9414537902

बर्निंग ट्रूथ

लेखक : अबीरचन्द व्यास **विधा** : वैचारिक लघु-निबन्ध **प्रकाशक** : ऋचा (इण्डिया) पब्लिशर्स, बीकानेर **संस्करण** : 2017 **पृष्ठ** : 78 **मूल्य** : ₹ 200

अध्यापक रहे अबीरचंद व्यास की बर्निंग-ट्रूथ को पढ़ने की पहली शर्त यह है कि हम लेखक को समझते हुए पढ़ने की प्रक्रिया को शुरू करें। हमें यह जानना होगा कि लेखक का धरातल क्या है। उन्हें क्या-क्या पसंद आता है और इस प्रक्रिया में चलते हुए जब हम यह सवाल करेंगे कि उन्हें यह क्यों पसंद आता है तो इस किताब को समझने की सीढ़ी पर कदम रख पाएँगे, पहला कदम। सही-सही बात तो यह है कि इसमें न तो साहित्यिक-सरोकार है और न बहुत बड़ा और कोई राष्ट्रीय रहस्योद्घाटन का आग्रह, जैसा कि शीर्षक से समझाने का प्रयास किया गया है। फिर यह बर्निंग ट्रूथ-जलता हुआ या ज्वलंत सत्य क्या हुआ, समझना बहुत जरूरी है। कम शब्दों में कहूँ तो यह लेखक की समकालीन परिस्थितियों से उपजा एक उद्वेग है, आक्रोश है और प्रतिक्रिया है।

मैं उस समय का साक्षी रहा हूँ, जब अबीरचंद व्यास शिक्षक के रूप में सुबह की प्रार्थना सभा में 'निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिये की और तूफान की...' सुनाया करते थे और छात्रों से भी सस्वर साथ देने के लिए कहते। मेरा दोस्त राजेश (जो अब इस दुनिया में नहीं है) उसने एक दिन मुझसे यह गीत सुना तो चौंक उठा और पूछा कि तुम तो कभी दफ्तरिया स्कूल गए ही नहीं, यह गीत कहाँ से सीखा?

मुझे बड़ा अटपटा लगा कि इस गीत का दफ्तरिया स्कूल से क्या लेना-देना? फिल्म का गीत है और काफी प्रचलित है, मुझे भी अच्छा लगता है। राजेश की एक बार फिर से चौंकने की बारी थी। उन दिनों फिल्मों को बीकानेर में बाइस्कोप के अर्थों में बाईस-कोप यानी ऐसा कार्य जिसमें 22 तरह के पाप लगते हैं, समझा जाता था। राजेश के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उसके सबसे दबंग और सख्त मास्टरजी-अबीरचंदजी किसी फिल्म का गीत भी प्रार्थना सभा में सुना सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये अबीरचंद जी उसी दिन से अध्ययन का विषय हो गए थे और अब जब मेरे पास 'बर्निंग-ट्रूथ' है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले ही समय और समाज ने इस अध्यापक का साथ नहीं दिया लेकिन यह वही व्यक्ति है जिसने बीकानेर को सबसे पहले शैक्षणिक नवाचार देते हुए बच्चों में स्वाभिमान और हौसला भरने की सोची थी बल्कि अपनी स्कूल में शुरूआत भी की थी।

इन सबमें जो एक महत्त्वपूर्ण बात है, वह यह कि तब भी यह व्यक्ति अपना कोई सिद्धांत या मॉडल शिक्षा के जगत में लागू करने की जल्दबाजी में नहीं बल्कि वह उपलब्ध संसाधनों से ही छात्रों को ऊर्जावान बनाने के पक्ष में था। अबीरचंद व्यास उस समय के ऐसे लोगों में शामिल थे जो यह जान चुके थे कि जितना कहना था कह दिया गया है, अब तो लागू किया जाना चाहिए। प्रकारांतर से कहें तो उनका सोच था कि अब शिक्षा में प्रयोग बंद करें और जिन लोगों के विचारों को माना गया है, उनके आधार पर पीढ़ी का निर्माण करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए।

लेकिन एक शिक्षक की आवाज को कौन सुनता, ऐसे बहुत सारे शिक्षकों की आवाज नक्कारखाने में तूती साबित हुई लेकिन अबीरचंद व्यास के अंदर बैठा शिक्षक हठी था, उसे अपनी बात कहनी थी और इसके लिए आखिरकार इस किताब का प्रणयन किया गया। इस किताब में नया कुछ भी नहीं है। देश-विदेश के जाने-माने विद्वानों के कथन और उनकी जीवनचर्या को उद्धृत करते हुए लेखक ने अपनी बात कहने की कोशिश की है। कुछ आदर्शवादी बातों को नए सिरे से नए संदर्भों से समझाया गया है और भारत

की सनातन सभ्यता के साथ जुड़े संस्कार और विचारों की आज के समय में जरूरत की व्याख्या की है। अनुभूतियों की गहराई तक उतरते हुए लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ये विचार किस वजह से उन्हें प्रभावित करते हैं और जैसा कि पहले वे बोलकर अभिव्यक्त करते थे, अब उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए एक पुस्तक सामने रखी है।

लेखक की यह किताब एक तरह से घोषणा है कि बहुत हो चुका विचार, बहुत हो चुके प्रयोग। अब एक बार इस बात पर सहमत हुआ जाए कि अब तक जो भी कहा गया है, पहले तो उसे लागू किया जाए। चंद्रप्रभ सागर, डॉ. अब्दुल कलाम, महात्मा गाँधी, डॉ. राधाकृष्णन, आइन्सटीन, महादेवी वर्मा, ललितप्रभ सागर, जयप्रकाश चौकसे, रूजवेल्ट, जॉन एफ. कैनेडी, जयप्रकाश नारायण, मृणाल पांडे, महाप्रज्ञ, चाणक्य, विवेकानंद, रवीन्द्र नाथ टैगोर, रामसुखदास महाराज, इंदिरा गाँधी, किरण बेदी जैसे अपने समय के विचारकों के कथनों के साथ बात को शुरू करते हुए लेखक बहुत सारे विषयों को छूते हुए आगे बढ़ते हैं।

उन्हें देश में भ्रष्टाचार, आपाधापी, अनैतिकता और लॉबिंग से चिढ़ है। वे समानता और सह-अस्तित्व के हिमायती हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब न्यायालय की तरफ से फटकार लगती है। (19) फिर जब वे कहते हैं कि अपराध करे और अभियोजन भी न चले लोकसेवकों को सहूलियत दी जा रही है। (30) तो ऐसा लगता है कि जैसे वे व्यवस्थागत दोषों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं।

एक जगह वे लिखते हैं कि हमारे देश में हर राजनैतिक संस्था के नेता गलतफहमी में जी रहे हैं। (21) इस बात को पूरा करते हुए वे सामाजिक सरोकारों के नए क्षितिज पर खड़े होते हैं और कहते हैं-गलतफहमी जीवन में संबंधों को खराब कर देती है। एक साथ आई इन दोनों पंक्तियों का भले ही कोई तुक नहीं बैठता हो, राजनीति की बात करते-करते सीधे सामाजिक जीवन और संबंधों की बात शुरू कर देना अटपटा लग सकता है लेकिन यह लेखक की अपनी एक शैली है। वे एक विषय से दूसरे विषय को जोड़ने की कला में माहिर है। इसे 'कला' इसलिए कहता हूँ कि एक जगह लेखक यह कहते हैं कि लेखक का विषय से भटक जाना और पात्रों का नाटककार के हाथों से निकल जाना अच्छा नहीं माना गया है। (राष्ट्र एवं भटकाव/30)

सच तो यह है कि कई बार लेखक इतने खारे हो जाते हैं कि तूंबा (एक खारा फल) भी उनके आगे अस्तित्वहीन है। लेखक का नेताओं पर से भरोसा उठ गया है और वे यहाँ उस सामान्यवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं, जो नेताओं को आदर्श मानने से इंकार करता है।

लेखक गंदगी से परेशान है (36) और सिविक-सेंस की बात करते हैं। भूख पर बात करते हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज की अवधारणा पर बल देते हुए नजर आते हैं। इन विषयों से आगे बढ़ते हुए वे अध्यात्म की ओर चलते हैं। ऐसा लगता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान लेखक को अध्यात्म में लगता है। कर्म, स्वभाव, संगत, ध्यान, रुचि, इंद्रिय नियंत्रण, व्यसन, विवेक, सतगुरु और शब्द की महिमा, आत्मा-परमात्मा, जिज्ञासा व जागरूकता से होते हुए साहित्य और साहित्यकार पर भी अपनी बात कहते हैं। उन्हें अफसोस है कि साहित्यकार भी लॉबिंग करते हैं।

यह किताब वस्तुतः उन विचारों का एक संग्रह है जो जलते हुए समाज को पानी के छींटे देने में समर्थ है। सारी बातें, जो लेखकों को जला रही है। एक आम आदमी को जला रही है और इस जलते हुए समाज में जिनके विचारों से शीतलता का अनुभव हो सकता है, उन व्यक्तियों को पहिचानने की कोशिश लेखक ने की है। इसके अलावा लेखक की अपनी अनुभूतियाँ है। इन अनुभूतियों को अभी अधिक कपड़-छान की जरूरत है। ऐसा लगता है कि इन्हें सघन होने की प्रक्रिया में डालने से पहले ही उठा लाया गया है। अच्छा होता, इन्हें समय दिया जाता। कहीं न कहीं एक हड़बड़ी-सी दिखाई देती है और मुझे लगता है कि यह हड़बड़ी प्रतिक्रिया रूप में है। इस किताब के अंतिम अध्याय में लेखक कहते हैं कि आजकल देखा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में लॉबियाँ बनी हुई हैं। न कुछ जानने वाले धड़ाधड़ (धड़ल्ले) से छपते जा रहे हैं। जानकारों को जगह नहीं... (77)।

उनका यह कथन लंबे समय से विचार कर रहे ऐसे लोगों के प्रति एक सहानुभूति का माहौल बनाता है, जिन्हें किसी न किसी कारण से आगे नहीं आने दिया जा रहा है। यह एक सामान्य-सी प्रक्रिया है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसा हो रहा है, उससे बेहतर तो हम कर सकते थे। यह बात राजनीति, सरकार, प्रशासन, समाज, साहित्य सभी स्थानों पर एक जैसी लागू होती है। 'बर्निंग ट्रूथ' के बहाने लेखक का चिंतन, युगीन-युगीन बने, यह कामना है।

समीक्षक : **हरीश बी. शर्मा**
बेणीसर बारी के बाहर,
सूर्य कॉलोनी, बीकानेर-4
मो. 9672912603

आवश्यक सूचना

● 'शिविरा' मासिक पत्रिका में रचना भेजने वाले अपनी रचना के साथ व्यक्तिगत परिचय यथा- नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। ● कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अतः अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है। ● कतिपय रचनाकार अपने एकाधिक बैंक खाता लिखकर भिजवा देते हैं और उक्त खाते का उपयोग समय-समय पर नहीं करने के कारण वह बंद भी हो चुका होता है। परिणामस्वरूप उक्त मानदेय खाते में जमा नहीं हो पाता। जिसकी शिकायत प्राप्त होती है। किसी रचनाकार के एकाधिक खाते हैं तो रचनाकार अपने SBI बैंक खाते को प्राथमिकता देकर अद्यतन व्यक्तिगत जानकारी उपर्युक्तानुसार प्रत्येक रचना के साथ अलग-अलग संलग्न करें।

-वरिष्ठ संपादक

शाला प्रांगण से

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर **shalaprangan.shivira@gmail.com** पर भिजवाकर सहयोग करें। -**वरिष्ठ संपादक**

स्वच्छता पखवाड़ा व शब्दकोश वितरण

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आडसर, लूणकरणसर (बीकानेर) में 01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2017 तक शाला प्रांगण में विभागीय निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। उद्घाटन दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य रामजी लाल घोड़ेला ने विद्यालय परिवार को स्वच्छता से संबंधित शपथ दिलवाई। इस अवसर पर एस.डी.एम.सी. के सदस्य एवं अभिभावकगण उपस्थित रहे। पखवाड़े के दौरान निबन्ध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिन्दी दिवस (14 सितम्बर) को हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 'कौन बनेगा विजेता' प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका संचालन अजय कुमार पारीक ने किया। समापन दिवस के अन्तर्गत 'रैली' का आयोजन किया गया तथा सभी ने जल संरक्षण की शपथ सामूहिक रूप से ली। शाला प्रांगण में हुए समापन अवसर पर प्रतियोगिताओं में रहे श्रेष्ठ विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। शाला स्टाफ, विद्यार्थियों व अभिभावकों की सहभागिता से आयोजन भव्य व सार्थक बन पाया।

इसी विद्यालय में सेवा भारती संस्था, लूणकरनसर के भामाशाह श्री शुभकरण दफ्तरी द्वारा शाला की कक्षा 9 से 12 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश का वितरण एस.डी.एम.सी. सदस्यों व अभिभावकों की उपस्थिति में किया गया।

पं. दीनदयाल जिला स्तरीय त्रि-दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सम्पन्न

रा.उ.मा.वि. असाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर में 19 सितम्बर 2017 से 21 सितम्बर 2017 तक त्रि-दिवसीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर के दिशा निर्देशानुरूप धूमधाम से किया। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बाड़मेर श्रीमती प्रियंका मेघवाल, अध्यक्षता जिशिअ. (माध्य.) बाड़मेर श्री ओमप्रकाश शर्मा, विशिष्ट अतिथि पं.स. बालोतरा के विकास अधिकारी श्री सांवलाराम चौधरी, रमसा के ए.डी.पी.सी. श्री धर्माराम चौधरी, असाड़ा के सरपंच श्री कमलेश चौधरी के आतिथ्य में आयोजित हुआ। भामाशाहों के सहयोग से अतिथियों को स्मृति चिह्न देकर साफा, शॉल, माला पहनाकर सम्मान किया गया। माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने कार्यक्रम का विधिवत् उद्घाटन कर शुभारम्भ किया।

संस्थाप्रधान व मेला संयोजक श्री भूराराम चौधरी ने बताया कि इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी के अवलोकन, मूल्यांकन हेतु जिले की विभिन्न विद्यालयों के विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं व वरिष्ठ अध्यापकों को प्रति नियुक्त किया गया तथा बाड़मेर के विज्ञान विशेषज्ञों को विशेष रूप से आमंत्रित भी किया गया जिसमें डॉ. भरत सारण, डॉ. प्रभु आर चौधरी, डॉ. संजय माथुर, डॉ. अर्जुन पूनिया, डॉ. ओमप्रकाश पटेल, डॉ. अविनाश पटेल, डॉ. रमेश, प्रधानाचार्य श्री माणकचन्द कच्छावा एवं व्याख्याता किशन लाल प्रजापत, प्रधानाचार्य अशोक रांकावत, डॉ. रामेश्वर चौधरी, व्याख्याता मुरली मनोहर जोशी, राजेश नामा तथा मुकेश सोनगरा एवं विकास जाखड़ रहे।

19 सितम्बर को प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य श्रेणी के छः विषय (स्वास्थ्य एवं कल्याण, संसाधन प्रबन्धन एवं खाद्य सुरक्षा, अपशिष्ट एवं जल स्रोत प्रबंधन, परिवहन एवं संचार, डिजिटल एवं तकनीकी हल व गणितीय नमूने का निर्माण) तथा दिव्यांग श्रेणी के दो विषय (संसाधन प्रबंधन एवं खाद्य सुरक्षा, डिजिटल एवं तकनीकी हल) में प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें कुल 58 छात्रों एवं 14 छात्राओं ने भाग लिया।

20 सितम्बर को विभिन्न क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें 13 छात्र व 3 छात्राओं ने भाग लिया। डिजिटल आदान-प्रदान समस्या एवं चुनौतियाँ विषय पर छात्र/छात्रा सेमीनार में 7 छात्र व 1छात्रा ने भाग लिया। इस प्रकार कुल 78 छात्र व 18 छात्राओं सहित 96 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

त्रि-दिवसीय आयोजन में असाड़ा, बालोतरा, पचपदरा, बुड़ीवाड़ा, आसोतरा, बायतू, बाड़मेर, स्टेशन रोड बाड़मेर, गंगावास, वरेचा, थूम्बली, कालूड़ी के रा.उ.मा.वि. एवं पचपदरा व सिवाना के विवेकानन्द मॉडल स्कूलों सहित 16 विद्यालयों ने सकारात्मक सहभागिता निभाई। उक्त सभी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी को देखने व भाग लेने वाले 3000 लाभान्वित छात्र/छात्राएँ, 100 शिक्षक तथा 450 अभिभावक एवं अन्य की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रही।

21 सितम्बर, 2017 को इस जिला स्तरीय विज्ञान मेले का समापन मुख्यअतिथि मा. अमराराम चौधरी (राजस्व राज्य मंत्री, राज. सरकार, जयपुर), अध्यक्षता श्रीमान् बंशीधर गुर्जर (उप निदेशक मा.शि., जोधपुर) विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिलामंत्री श्री भवानी सिंह टापरा, बालोतरा के उपखण्ड अधिकारी श्री भागीरथ राम चौधरी, पं.सं. सदस्य असाड़ा श्री देवाराम चौधरी, अति. जि.शि.अ. (मा.) बाड़मेर श्री मल्लाराम चौधरी, से.नि. उपनिदेशक प्रा.शि. जोधपुर श्री पृथ्वीराज दवे, सरपंच श्री कमलेश चौधरी के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। अतिथियों को सम्मानित किया गया। अतिथियों द्वारा स्थानीय शिक्षकों को स्मृति-चिह्न व पुष्पाहार से सम्मानित किया गया।

रमसा द्वारा प्रतियोगिता एवं प्रदर्शन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर विजेता प्रतिभागियों को क्रमशः 1000, 800 व 500 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा एस.टी.आर.टी. के निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र भी दिए गए। भामाशाहों द्वारा प्रतीक चिह्न भेंट किए गए।

विजेता विद्यार्थियों में सीनियर वर्ग में

बुडीवाड़ा के छात्र-दशरथ कुमार (कक्षा 11), बालोतरा के विक्रम (कक्षा 11), निम्बाड़ियों की ढाणी के पारसमल (कक्षा 12), बालोतरा (बालक) में पोकरमल (कक्षा 12), पचपदरा के उत्तम (कक्षा 12), बालोतरा (बालक) के भगतसिंह (कक्षा 12) तथा दिव्यांग श्रेणी में भी बालोतरा (बालक) के छात्र सुरेश (कक्षा 9) के छात्र विजेता रहे। इसी प्रकार जूनियर वर्ग में आसोतरा के सौरभ (कक्षा 8), असाड़ा के शान्तिलाल (कक्षा 7), बुड़ीवाड़ा के चेलाराम (कक्षा 8), वरेचा के जितेन्द्र कुमार (कक्षा 8), अमाड़ा के शेरसिंह (कक्षा 8), असाड़ा के ही रविन्द्र सिंह (कक्षा 8) तथा दिव्यांग श्रेणी में पचपदरा के नाखा राम (कक्षा 8) विजेता रहे।

संस्थाप्रधान व मेला संयोजक श्री भूराराम चौधरी ने अतिथियों, अभिभावकों, प्रतियोगी, छात्र-छात्राओं व शाला स्टाफ, आमंत्रित विशिष्ट विषय विशेषज्ञों, शिक्षकों व विजेता छात्र-छात्राओं का आभार जताते हुए सफल आयोजन की बधाई दी तथा इस आयोजन के विज्ञान, गणित व पर्यावरण विषय पर सार्थक एवं सकारात्मक आयोजन में सभी का सहयोग रहा।

नशे पर विचार गोष्ठी आयोजित

कुम्भलगढ़। महाराणा कुम्भा रा.उ.मा.वि. केलवाड़ा, जिला-राजसमन्द में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर 'धीमा जहर है-तम्बाकू' विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपने उद्‌बोधन में संस्था प्रधान मोहन लाल बलाई ने तम्बाकू को कैंसर का कारण बताया और इसके बुरे प्रभाव, जो मस्तिष्क एवं स्वास्थ्य पर पड़ते हैं, की ओर ध्यान दिलाया। गोष्ठी प्रभारी सत्यनारायण नागौरी ने तम्बाकू के दुष्परिणाम के संदर्भ में एक चेतना गीत 'म्हें खाय गुटखा तम्बाकू जमारो विरथा खोयो रै।' की शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बालकों को वरिष्ठ अध्यापक इस्पाक अली ने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। छात्राध्यापिका रेखा प्रजापत ने भी विचार व्यक्त किए तथा भंवर लाल रैगर ने आभार जताया।

62 वीं राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जोधपुर का बोलबाला

रा.उ.मा.वि. बाकरा, जिला जालौर में आयोजित राज्य स्तरीय 62वीं विद्यालयी जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जोधपुर टीम ने 19 वर्ष छात्र वर्ग में टीम चैम्पियन सहित स्वर्ण पदक जीता। टीम के महेन्द्र सिंह ने ऑल राउण्ड द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा नरेन्द्र कट्टा ने तृतीय स्थान। इन दोनों ने उपकरण स्पर्धा में भी दो-दो रजत व कांस्य पदक जीते। स्वरूपाराम ने भी दो पदक (एक रजत व एक कास्य) जीते।

शाला क्रीड़ा संगम की वरिष्ठ शा. शिक्षिका निर्मला बंग ने बताया कि छात्र 17 वर्ष वर्ग में टीम में उगम सिंह ने उपकरण स्पर्धा में 6 स्वर्ण, 2 रजत जीते तथा बेस्ट जिम्नास्टिक का स्वर्ण भी जीता। अंकुर गण्डेर ने रजत जीता।

छात्रा वर्ग (19 वर्ष) में आयुषी तापड़िया ने उपकरण स्पर्धा में 2 रजत, (17 वर्ष) वर्ग में मेधावी ने एक स्वर्ण व दो रजत जीते। विशाल व गौरव परिहार टीम कोच रहे।

जोधपुर टीम के शानदार प्रदर्शन पर उप जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर, शा.शि. मदनलाल रावल ने टीम प्रभारियों, कोच का आभार व्यक्त किया। खिलाड़ियों को भविष्य में इसी प्रकार श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खेल जगत में राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने हेतु आह्वान किया। अन्त में खिलाडियों का अभिनन्दन व उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की।

पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया

रा.आ.उ.मा. विद्यालय, मोलीसर बड़ा में सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम अध्यक्ष हवासिंह सारण ने कहा कि पटेल जी राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार थे। नेमीचंद सुड़िया ने पटेल जी का जीवन परिचय दिया। इसी विद्यालय के छात्र अभयसिंह (कक्षा-9) आयु-17 वर्ष में नेशनल कबड्डी टीम में चयन होने पर संस्था प्रधान प्रतापसिंह सारण व शाला स्टाफ ने अभिनन्दन किया। आगामी नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु छात्र हिमाचल प्रदेश जाएगा। उसे शुभकामनाएँ दी।

'बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना' के तहत साइकिल वितरण समारोह

डग (झालावाड़) के रा.मा.वि. रतनपुरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया। इस अवसर पर राज्य सरकार की 'बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना' अन्तर्गत कक्षा-9 की 16 छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि युवा मोर्चा अध्यक्ष (भाजपा) व सरपंच ग्राम पंचायत डग श्री राजेन्द्र सिंह परिहार एवं अध्यक्षता मदनसिंह परिहार ने की। वरिष्ठ अध्यापक अब्दुल सलीम, रामनिवास, किशोर शर्मा ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एस.एम.सी. अध्यक्ष विक्रम सिंह व सदस्य, अन्य अभिभावकगण विद्यार्थियों सहित उपस्थित रहे। संस्थाप्रधान श्री गणेश लाल मेहर ने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए बालिका शिक्षा पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक कृष्ण गेदर ने किया।

संस्कृत विद्यालय की विजेता छात्राओं का सम्मान

बीकानेर (नोखा) जसरासर की रा.उ.प्रा.वि. संस्कृत की छात्राओं ने संस्कृत विभाग की ओर से जसवंतगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता में एक स्वर्ण व एक रजत पदक जीता है। प्रशिक्षक रामावतार ने बताया कि छात्रा अनिता पारीक, पिंकी मेघवाल ने हिन्दी 'अंत्याक्षरी' में स्वर्ण पदक तथा कविता जाट व पूजा मेघवाल ने संस्कृत अंत्याक्षरी में रजत पदक जीतकर विद्यालय का मान बढ़ाया है। विद्यालय पहुँचने पर सरपंच प्रतिनिधि हंसराज तर्ड, संस्थाप्रधान शोभाराम मंडीवाल, जयप्रकाश स्वामी, बजरंग गर्ग व स्वयंसेविका सुशीला सहित बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने छात्राओं का सम्मान किया।

संकलन-**प्रकाशन सहायक**

भूल सुधार

नवम्बर, 2017 के अंक की पृष्ठ संख्या-48 पर 'भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह का आयोजन' में रा.उ.मा.वि., नोखा, बीकानेर के स्थान पर 'रा.उ.मा.वि., बिरमसर (नोखा) बीकानेर' कृपया सुधार कर पढ़ें।

-व. संपादक

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

स्मार्टफोन को ज्यादा पास रखने से दिमाग पर असर

वॉशिंगटन– स्मार्टफोन को अपने ज्यादा करीब रखने से मस्तिष्क की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया है कि अपने करीब स्मार्टफोन रखने से मस्तिष्क की शक्ति कम हो सकती है। स्विच ऑफ रहने के बावजूद भी इसका असर पड़ता है।

ज्यादा निर्भरता, ज्यादा प्रभाव: अमेरिका के ऑस्टिन स्थित टेक्सास यूनिवर्सिटी के मेकॉम्ब स्कूल ऑफ बिजनेस के शोधकर्ता एड्रिऑन वार्ड ने कहा, हमने पाया कि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन पर जितना अधिक ध्यान देता है उसकी सोचने-समझने और निर्णय करने की उपलब्ध क्षमता अर्थात् संज्ञानात्मक क्षमता में उतनी अधिक कमी आती हैं।

अध्ययन से साफ हुआ कि स्मार्टफोन का आसान पहुँच के दायरे में होना आपकी ध्यान केन्द्रित करने की योग्यता और नियत कार्य को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क का एक हिस्सा फोन का इस्तेमाल करने या उसे नहीं उठाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। वार्ड ने कहा, आपका सचेतन मस्तिष्क स्मार्टफोन के बारे में नहीं सोचता। लेकिन किसी चीज के बारे में नहीं सोचने की यह प्रक्रिया मस्तिष्क की सीमित संज्ञानात्मक संसाधनों का इस्तेमाल करती है। यह एक तरह से बुद्धि का पलायन है।

आठ सौ लोगों पर अध्ययन: शोधकर्त्ताओं ने 800 लोगों पर अध्ययन कर यह नतीजा निकाला है। सभी प्रतिभागी स्मार्टफोन के उपयोगकर्ता थे। शोधकर्त्ताओं ने पहली बार इसकी जाँच की कि प्रतिभागी जिस वक्त अपने करीब स्मार्टफोन रखते हैं तब वे किस तरह नियत कार्य पूरा करते हैं। भले ही वे उस समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते।

दूसरे परीक्षण से भी पुष्टि: एक अन्य प्रयोग में भी शोधकर्त्ताओं ने देखा कि स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा निर्भर रहने वाले प्रतिभागियों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। सबसे कम निर्भर रहने वाले प्रतिभागियों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। शोधकर्त्ताओं का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। शोधकर्त्ताओं ने कहा, स्पष्ट है कि स्मार्टफोन से ज्यादा करीबी बुद्धि को प्रभावित करती है। इसमें इससे असर नहीं पड़ता कि फोन स्विच ऑफ है या नहीं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर रिसर्च में छपा है।

साभार: हिन्दुस्तान 25 जून 2017

गंध की शक्ति खत्म होना खतरनाक

स्टॉकहोम। एक शोध में गंध की समझ क्षीण होने को गंभीर जानलेवा खतरे के तौर पर दिखाया गया है। शोधकर्त्ताओं के मुताबिक इसे गिरते स्वास्थ्य की निशानी के तौर पर देखा जा सकता है। स्वीडन में हुए इस शोध के लिए विशेषज्ञों ने 40 से 90 साल के 1174 लोगों पर 10 साल तक अध्ययन किया। विशेषज्ञों ने कहा, जिनमें गंध की समझ खत्म हो जाती है उनकी 10 साल के भीतर मृत्यु भी हो सकती है। **साभार : हिन्दुस्तान 23 मार्च, 17**

गंगा के औषधीय गुणों पर अध्ययन पूरा

पौराणिक काल से ब्रह्म द्रव्य के रूप में प्रचलित गंगा नदी के औषधीय गुणों एवं प्रवाह मार्ग पर जल के स्वरूप एवं इससे जुड़े विभिन्न कारकों एवं विशेषताओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा शुरू कराया गया अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। यह अध्ययन 'राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान' (नीरी) ने किया है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा, गंगा नदी में औषधीय गुण हैं जिसके कारण इसे ब्रह्म द्रव्य कहा जाता है और जो इसे दूसरी नदियों से अलग करता है। यह कोई पौराणिक मान्यता का विषय नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार है। इस बारे में नीरी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा,'अब हम इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा नदी के औषधीय गुणों एवं प्रवाह मार्ग से जुड़े कारणों के अध्ययन का दायित्व 'राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान' (नीरी) को दिया गया था। इसके लिए तीन मौसमों के अध्ययन की जरूरत थी और इसके उपरांत संस्थान ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

यह अध्ययन केंद्र को तीन चरणों में पूरा करना था, जिसमें शीतकालीन, पूर्व मानसून और उत्तर मानसून मौसम में गंगा नदी के 50 से अधिक स्थलों पर नमूनों का परीक्षण किया गया है। इस अध्ययन एवं अनुसंधान परियोजना को पंद्रह महीनों में पूरा किया जाना था। इस अध्ययन में गंगा जल के विशेष गुणधर्मों के स्रोतों को पहचानने की प्रक्रिया थी। इसी तरह नदी के पानी में मिलने वाले प्रदूषित जल के अनुपात से होने वाले दुष्परिणामों का पता लगाना भी एक हिस्सा था। उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी के औषधीय गुणों के बारे में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. भार्गव का सिद्धांत भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके पीछे यह कारण बताया गया है कि हिमालयी क्षेत्र औषधि पादपों से भरा हुआ है जो शीत ऋतु में बर्फ से दब जाते हैं। बाद में बर्फ पिघलने के बाद ये औषधियाँ पानी के साथ गंगा नदी में मिल जाती हैं। इस अध्ययन में इस बात का भी पता लगाने का प्रयास किया गया कि गंगा नदी के जल में औषधीय गुण मौजूद हैं या धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा गंदगी एवं जलमल के प्रवाह से जुड़े विषयों का भी अध्ययन किया गया। इसमें गोमुख से गंगा सागर तक जल प्रवाह से जुड़े तत्वों का भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके तहत टिहरी से पहले और टिहरी के बाद नरौरा से पहले और नरौरा के बाद कानपुर से पहले और कानपुर के बाद, पटना से पहले और पटना के बाद पानी के स्वरूप में बदलाव पर विचार किया गया।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय का कहना है कि इस पवित्र नदी में प्रत्येक वर्ष अनेक धार्मिक अवसरों पर करोड़ों लोगों द्वारा डुबकी लगाने के बावजूद इस नदी से कोई बीमारी या महामारी नहीं फैलती है। इसका कारण इस नदी के जल में अपने आप सफाई करने की कोई अद्भुत शक्ति है जो इसके पानी में सड़न को रोकती है। इस अध्ययन से गंगा जल का उसके विशिष्ट गुणों के कारण मानव जाति के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए उपयोग करने में मदद मिलेगी। इस विषय पर ब्रिटिश जीवाणु विशेषज्ञ अर्नेस्ट हेनबरी हेन्किन के संदर्भों का हवाला दिया जाता है जिनके अनुसार इस नदी के जल में जीवाणुभोजी गतिविधियों की उपस्थिति का बहुत पहले ही पता चल चुका है।

साभार : राष्ट्रीय सहारा 22 जून 2017

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

पाली

रा.मा.वि., हिंगावास तह. सोजत को श्री नारायण लाल सोलंकी से एक वाटर कूलर प्राप्त जिसकी लागत 27,000 रुपये, श्री भानु प्रताप द्वारा 10,000 रुपये की लागत से रंग-रोगन करवाया गया, श्री घेवरराम जी से एक इन्वर्टर प्राप्त हुआ जिसकी लागत 10,000 रुपये, श्री केवलराम से एक U.P.S. प्राप्त हुआ जिसकी लागत 50,000 रुपये, श्री गोरधन से बच्चों के जूते-मौजे हेतु 10,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री राजेश उपाध्याय से जूते-मौजे हेतु 6,000 रुपये प्राप्त हुए। श्री गंगाराम से एक प्रिंटर प्राप्त हुआ जिसकी लागत 10,000 रुपये, श्री देवाराम से बच्चों के लिए टाई-बेल्ट हेतु 5,000 रुपये प्राप्त हुए। श्री सुदर्शन भाटी से 2,100 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्रीमती वीणा वैष्णव (आबकारी) से बच्चों के पौशाक व स्वेटर हेतु 5,100 रुपये प्राप्त हुए, श्री बीजाराम (अ.) से एक पंखा प्राप्त हुआ जिसकी लागत 1,100 रुपये, श्री किशोर सिंह (शा.शि.) से बच्चों के इनाम हेतु 8,000 रुपये प्राप्त हुए। श्री मदन लाल (अ.) से स्वेटर हेतु 2,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री मौहम्मद रफीक (प्र.अ.) से स्वेटर हेतु 3,000 रुपये प्राप्त हुए, आँगनबाड़ी के समस्त स्टाफ से 15,000 रुपये विद्यालय रिपेयर हेतु प्राप्त हुए। **रा.मा.वि., इन्द्रोका की ढाणी** में श्री गुलाब राम बगावत द्वारा प्र.अ. कक्ष, रंगमंच स्थल, सरस्वती मंदिर मय मूर्ति व बरामदा का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत तीन लाख रुपये, श्री सद्दीक मौहम्मद द्वारा दो लाख पचास हजार रुपये की लागत से विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण करवाया, श्री ओमप्रकाश आगलेचा द्वारा विद्यार्थियों हेतु भोजनशाला का निर्माण करवाया जिसकी लागत 55,000 रुपये, श्री मौहम्मद सलीम कुरैशी द्वारा विद्यार्थियों हेतु फिसलपट्टी का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 15,000 रुपये।

बाराँ

रा.आ.उ.मा.वि. काचरी में श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा 1,50,000 रुपये की लागत से कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया गया साथ ही पूर्व में भी 18 कुर्सियाँ स्टाफ हेतु व एक अलमारी तथा प्रधानाचार्य की कुर्सी भी भेंट स्वरूप दान की गई। **रा.बा.उ.मा.वि. बाराँ** में श्री विष्णु साबू द्वारा 1,00,000 रुपये की लागत से बरामदे में टीन शैड का निर्माण करवाया गया। श्री सेन कुमार अदलक्खा से 15 ट्री गार्ड लागत 15,000 रुपये, श्री प्रदीप शर्मा से 06 ग्रीन बोर्ड लागत 12,000 रुपये, गर्ग समाज से 25 स्वेटर

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। -**वरिष्ठ संपादक**

वितरित लागत 6,000 रुपये, सार्वजनिक संस्था धर्मादा बाराँ द्वारा गाईड यूनिफार्म, गार्गी पुरस्कार हेतु 16,000 रुपये नकद, श्रीमती किरण सिंह से स्टील की कुर्सी, 03 टेबिलें, कारपेट, पर्दे, मटकों के लिए स्टैण्ड और गार्गी पुरस्कार हेतु 5,000 रुपये नकद, भारतीय जीवन बीमा निगम बाराँ द्वारा शारदे छात्रावास हेतु संयंत्र, श्रीमती प्रतिभा गुप्ता द्वारा 1,300 रुपये की लागत का एक पंखा सप्रेम भेंट। इसके अतिरिक्त रा.बा.उ.मा.वि. की प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ द्वारा 20,000 रुपये लागत की 2 लोहे की अलमारी एवं 12 कुर्सियाँ, शारदा छात्रावास हेतु एक गीजर एवं एक्वागार्ड सप्रेम भेंट तथा इसके

हमारे भामाशाह

साथ ही समस्त स्टाफ द्वारा नकद 17,000 रुपये प्राप्त हुए।

बाड़मेर

रा.आ.उ.मा.वि., बेरीवाला तला में श्रीमती शिखा मीणा (प्रधानाचार्य) द्वारा 60,000 रुपये की लागत से प्रधानाचार्य कक्ष-कार्यालय की छत मरम्मत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मरम्मत एवं विद्यालय में सीढ़ी का भी निर्माण करवाया गया, साथ ही 15,000 रुपये की लागत से पुस्तकालय की सुविधा के लिए पुस्तकें, अलमारी एवं रैंक विद्यालय को भेंट, श्री धर्माराम सारण द्वारा विद्यार्थियों को पारितोषिक एवं मिष्टान्न वितरण हेतु 25,000 रुपये नकद विद्यालय को सप्रेम भेंट, इस विद्यालय में कार्यरत श्रीमती पिंकी शर्मा के सहयोग से श्री कुलदीप तिवारी द्वारा 1,30,000 रुपये की लागत से नौ दरियाँ एवं प्रायोगिक परीक्षा सामग्री विद्यालय को सप्रेम भेंट, इस विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका श्रीमती कविता चौधरी के प्रयासों से उनके पति श्री प्रहलाद चौधरी (B.D.O.) द्वारा विद्यार्थियों हेतु 34,000 रुपये की लागत से विद्यालय को 32 इंच Sony Led T.V. भेंट। श्री लक्ष्मण गोदारा प्रो. जगदम्बा क्लब द्वारा 7,000 रुपये की लागत से कुर्सी टेबल के तीन सेट व 05 ट्यूब लाइट सैट विद्यालय को भेंट, श्री पोकाराम गोदारा से प्रायोगिक कार्य व्यवस्थार्थ हेतु 5,100 रुपये नकद, श्री मूलाराम श्री देराजराम द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को पेन भेंट, श्री नरेश कुमार (व्याख्याता) से विद्यार्थियों के बैठने हेतु मेट भेंट लागत 7,000 रुपये, श्री सताराम श्री रामाराम बाना से 11 ट्यूबलाइट प्राप्त, ग्रामवासियों से विद्यालय को 12 पंखें प्राप्त हुए। विद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ द्वारा 20,000 रुपये की लागत से एक इन्वर्टर विद्यालय को भेंट। **रा.आ.उ.मा.वि., गड़ालियों का तला (चाडी) पंचायत समिति रामसर** में श्री लाधूराम सियाग द्वारा 51,000 रुपये की लागत से मंच का निर्माण (25×25 फीट) करवाया गया तथा 10,000 रुपये नकद राशि विद्यालय को भेंट, श्री बोकाराम सारण (व्याख्याता) द्वारा 71,000 रुपये की लागत से प्याऊ का निर्माण करवाया गया, ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय को 20 पंखें सप्रेम भेंट जिसकी लागत 29,000 रुपये, सरपंच श्री अर्जनराम सियाग (चाडी) से 25,000 रुपये नकद, श्री लक्ष्मण राम चौधरी से 21,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री रमेश सेंवर से 21,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री सूराराम सेंवर से 15,000 रुपये नकद, श्री सोनाराम गोदारा से 12,500 रुपये प्राप्त, श्री सांवलाराम फगोड़िया से 11,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री पूनमाराम सियाग (से.नि.अ.) से 10,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री रामलाल जाखड़ से 10,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री आसूराम सियाग से 10,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री मोहन लाल सारण से 9,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री बाबूलाल फगोड़िया से 6,800 रुपये नकद प्राप्त, श्री मोटाराम सारण से 5,600 रुपये नकद प्राप्त। श्री चिमनाराम मायला से 5,600 रुपये नकद प्राप्त, श्री लाधूराम विश्नोई से 5,500 रुपये नकद प्राप्त, श्री भारमल विश्नोई से 5,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री भभूताराम सारण से, 5,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री बांकाराम सियाग से 4,200 रुपये नकद, श्री तुलछाराम मायला से 4,200 रुपये नकद, श्री खेताराम सियाग से 4,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री रामूराम सेंवर से 3,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री लच्छाराम चौधरी से 3,000 रुपये, श्री किशनाराम फगोड़िया से 2,800 रुपये नकद प्राप्त, श्री रामलाल विश्नोई से 40,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री रामचंद्र फगोड़िया से 25,000 रुपये नकद प्राप्त हुए। **रा.उ.मा.वि. कालेवा** में श्री आईदान गोदारा द्वारा 1,50,000 रुपये की लागत से एक प्याऊ, वाटर कूलर सहित भेंट, श्री अचलाराम जाट से विद्यालय में कार्यालय फर्नीचर भेंट, जिसकी लागत 35,000 रुपये।

शेष अगले अंक में.....

संकलन- प्रकाश सहायक

शिविरा पत्रिका (मासिक) : दिसम्बर 2017 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। © वरिष्ठ सम्पादक : जयपाल सिंह राठी, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाकरा, जालोर में आयोजित 62 वीं राज्य स्तरीय मा. वि./उ. मा. वि. जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में विजेता छात्र–छात्राओं के साथ मुख्य अतिथि, कोच, प्रभारी , संस्थाप्रधान तथा अतिथिगण।

राउमावि. शिवबाड़ी, बीकानेर में भामाशाह द्वारा नवनिर्मित तीन कक्षा–कक्षों व मुख्यद्वार के लोकार्पण समारोह में भामाशाहों का सम्मान करते हुए मा. विधायक खाजूवाला व संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, श्री विवेक खेलिया उपाध्यक्ष रा.अनु.जाति आयोग,जयपुर व श्री महावीर रांका अध्यक्ष नगर विकास न्यास बीकानेर।

राजस्थान सरकार के संस्कृत विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता की रा. उ. प्रा. वि. जसरासर (नोखा) बीकानेर की विजेता छात्राओं को सम्मानित करते हुए प्रधानाध्यापक श्री शोभाराम मंडीवाल, श्री जयप्रकाश स्वामी, श्रीमती सुशीला व श्री बजरंग गर्ग।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जिला स्तरीय विज्ञान,गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी 2017–18 के त्रि–दिवसीय आयोजन अवसर पर रा.उ.मा.वि.असाडा (बाड़मेर) में (दांये) श्रेष्ठ छात्र को पुरस्कृत करते हुए मुख्य अतिथिगण एवं (बांये) प्रदर्शनी में मॉडल का प्रदर्शन करता संभागी छात्र व अवलोकन करते मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व आमंत्रित शिक्षकगण।

डाक पंजीयन संख्या : जयपुर सिटी/417/2017-19 शिविरा पत्रिका (मासिक) ● दिसम्बर, 2017 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 2 दिसम्बर, 2017 पृष्ठ 52 ● प्रेषण : माह की 5–6 तारीख

चित्र वीथिका

निवाई (टोंक) में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता-2017

(19 वर्ष छात्र-छात्रा वर्ग)